

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, सेक्टर-19, नया रामपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : esac.cg@nic.gov.in

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की दिनांक 21/09/2022 को संपन्न 424वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—2—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 424वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 को डॉ. बी.पी. नोव्हारे अध्यक्ष राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. वी.लेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री विजय सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. कनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री कालदिवुस ठिकरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष सौंप प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: शीप/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति/टीओआर /अन्य आवश्यक निर्माण किया जाना।

1. मेघाई भीतररास सोफ्ट माईन (प्रो.- श्री दीपक गुप्ता), बाम-भीतररास, तहसील-नवरी, जिला-पलठारी (सकियालय का नस्ती क्रमांक 1094)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 268084/2022, दिनांक 20/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।



प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (नौन खनिज) है। यह खदान ग्राम-नीलकण्ठ, तहसील-नगरी, जिला-धनगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 630, कुल क्षेत्रफल- 4.96 हेक्टर में प्रस्तावित है। पर्यावरण महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित रेत पर्यावरण क्षमता - 51,206 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 08/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अधूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवंटित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाली गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 21/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अधूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवंटित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाली गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स तात्कालिक ड्रिवस अर्थ वले माईन (पी.- श्री मोहन पाई), ग्राम-तात्कालिक, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा (सकियालय का नक्सा क्रमांक 1783)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 228936/2021, दिनांक 30/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 07/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/01/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संश्लिष्ट मिट्टी पर्यावरण (नौन खनिज) खदान एवं खिसा किमी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-तात्कालिक, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1411,

1419, 1424, 1429 एवं 1430, कुल क्षेत्रफल—1.04 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित क्षमता—1,379 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 09/05/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवंटित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई सूचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 28/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 28/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवंटित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई सूचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन पांडे, ज्येष्ठ इंजीनियर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्णय किया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में निम्नी खदान खनन क्षमता 1411, 1418, 1424, 1429 एवं 1430, कुल क्षेत्रफल—1.04 हेक्टेयर, क्षमता—1,347.16 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभ्यता निर्धारण प्राधिकरण, जिला—बलौदाबाजार—भाटागढ़ द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

*GA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 08/01/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोसहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. खनि निरीक्षण, जिला-बलीदाबाजार-नाटाचरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 08/08/2022 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्खान (नग)
दिनांक 01/12/2020 से 31/03/2021 तक	230	1,15,000
2021-22	200	1,00,000
दिनांक 01/04/2022 से 31/08/2022 तक	100	50,000

2. काम पंखाघर का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में काम पंखाघर सार्वजनिक का दिनांक 31/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - संविभाईड सार्वजनिक प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रवा.) जिला-बिलासपुर के पु. प्रमाण क्रमांक 2368/2/खनि/निर्द्दी/ख.पौ./2021 बिलासपुर, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलीदाबाजार-नाटाचरा के प्रमाण क्रमांक/2019/खनि/सीन-1/2021 बलीदाबाजार, दिनांक 24/03/2021 के अनुसार अधिविधित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सार्वजनिक कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलीदाबाजार-नाटाचरा के प्रमाण क्रमांक/06/खनि/सीन-1/2021 बलीदाबाजार, दिनांक 01/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, मयन, स्कूल, अस्पताल, बाटर सफ्टवॉइ परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुफाघर, मत्तघर, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

[Handwritten Signature]

6. लीज का विवरण – लीज की सीडन पाइप के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्षी अवधि दिनांक 29/01/2011 से 28/01/2021 तक की अवधि हेतु पैव थी। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्षी अवधि दिनांक 29/01/2021 से 28/01/2041 तक की अवधि हेतु पैव है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय घास-ताराशिव 400 मीटर, स्कूल घास-ताराशिव 400 मीटर एवं अस्पताल बलीदासपुरा 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 104 मीटर, एनोकाट 348 मीटर एवं तालाब 400 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की धरिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पीन्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – डिपॉजिटिवल रिजर्व 15,721 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 12,402 घनमीटर एवं निकरनेबल रिजर्व 11,789 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 623 वर्गमीटर है। खोपन कार्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र की भीतर 437 वर्गमीटर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी किस्म किन्नी की ऊंचाई 30 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी को सख 50 प्रतिशत प्लाई ऐस का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 7.8 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 4 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमानित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,579	पंचम	1,579
द्वितीय	1,579	षष्ठम	1,579
तृतीय	1,579	सप्तम	1,579
चतुर्थ	1,579	अष्टम	1,349

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न किस्मकलारी (जल छिड़काव, कुआनेपन आदि) हेतु जल की आपूर्ति टैंकन के माध्यम से किया जाएगा एवं फेडरल की आपूर्ति क्षेत्रफल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत घास पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र एवं

[Handwritten Signature]

सेक्टरल कार्यालय सीडर अखीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 350 रूप वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र को चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु नीची का सीमन, मुखा हेतु खोदिए, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. **गैर माइनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में अधिना हेतु 30 वर्गमीटर क्षेत्र एवं मिट्टी को रखरखाव हेतु 517 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माइनिंग प्लान में किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना अत्यावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उद्योग निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School, Village-Tarashiv	
			Rain Water Harvesting	0.60
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation (30 plants)	0.072
Total			0.822	

17. सी.ई.आर. को लागू प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. ईट निर्माण से जनित पलाई ऐल का उपयोग पुनः ईट निर्माण में किये जाने एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/डिब्रन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पर्येण कार्य को रक-रखाव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, संजालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम दिनांक 22/02/2022 के अनुसार ईट निर्माण प्रक्रिया में ईट बनाने (किल्स विगनी में) की विधि दो वर्षों के भीतर विग-वेग तकनीक से किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. यू-स्पलिन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र में निवृत्तता का क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेंट्रल प्रायमरी वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की चारों ओर 1 मीटर की सीमा बट्टी में फूलादीपन हेतु पीछे का पीपल, सुखा हेतु पीपल, खाद एवं सिंचाई तथा रक्त-रक्तव के लिए 5 वर्षों का छटाकार समय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. ईट निर्माण से जनित फ्लाई ऐश का उपयोग पुनः ईट निर्माण में किये जाने एवं रिजैक्ट ब्रिक्स (Reject bricks) / ब्रीकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पट्टन मार्ग की रक्त-रक्तव में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के अनुसार ईट निर्माण प्रक्रिया में ईट फालने (खिलत दिवनी में) की विधि दो वर्षों के भीतर जिन-जिन तकनीक से किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. सड़कनिर्माण लीज क्षेत्र की अंदर बाधन फूलादीपन किये जाने एवं लेपित पीपल का सतर्पण रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. धरतीसंगठन आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को संयोजन किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का पालन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का संपत्ति सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 824(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई संलग्न का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।



3. बेसल बोर्ड (बीरोबन्दी) आर्बिनरी स्टोन कारी (पी.- वी अश्व कुमार सोनी), ग्राम-बोकी, तहसील-जसापुर नगर, जिला-जसापुर (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1750)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन क्रमांक - एसआईए/बीबी/एनआईएन/222218/2021, दिनांक 28/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कनिष्ठी होने से ज्ञापन दिनांक 04/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्रित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह समस्त विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व में संघालित सार्वजनिक पथ पर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बोकी, तहसील-जसापुर नगर, जिला-जसापुर स्थित खसरा क्रमांक 42/1, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर है। खदान की उत्खनन क्षमता - 3,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 44,313.88 टन प्रतिवर्ष है।

उदात्त परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, उत्तीर्ण के ज्ञापन एवं ई-मैक दिनांक 23/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी मह के आयोजित बैठक में समय उपान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई पत्रित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / प्रस्तावक सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, उत्तीर्ण के ज्ञापन दिनांक 07/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 18/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 18/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय उपान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई पत्रित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / प्रस्तावक सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, उत्तीर्ण के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 28/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि व्यक्ति जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आर्योपिठ बैठक में समय उपान करने हेतु अनुवीय किया गया है।

समिति द्वारा उपसमय सर्वसम्बन्धि से निर्णय लिया गया था कि परिषोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई व्यक्ति जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

कवानुसार परिषोजना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी., पल्लितगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री असागर अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्नी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- a. पूर्व में साधारण पथर खदान खसत क्रमांक 42/1, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता-3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सरोय पर्यावरण सभ्यता निर्धारण अधिकरण, जिला-जरापुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
- b. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोबासस सहित प्रस्तुत की गई है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः समिति का मत है कि परिषोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- c. निर्दिष्ट सारानुसार 200 नम नमूनोपल किया गया है।
- d. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाल), जिला-जरापुर के ज्ञापन क्रमांक /310/खनि.श./2021 जरापुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी ज्ञापन पर अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2001	80	2008	785	2015	555.1
2002	235	2009	600	2016	28.1
2003	120	2010	360	2017	10
2004	85	2011	180	2018	77
2005	निराक	2012	165	2019	185.8
2006	85	2013	240	2020	480
2007	10	2014	80	2021	312

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोली का दिनांक 18/09/2000 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



3. **उत्खनन योजना** – निम्नलिखित खादी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संकलक (ख.प्र.), जिला-सरगुजा के ज्ञान क्रमांक 282/खनिज/ख.नि. 3/उत्खनन पी./2020-21 दिनांक 13/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जलपुर के ज्ञान क्रमांक 169/खनि.शा./2021 जलपुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जलपुर के ज्ञान क्रमांक 160/खनि.शा./2021 जलपुर, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल एवं रेल लाइन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – उक्त सार्वजनिक भूमि है। पूर्व में लीज की संख्या कुमार गुला के नाम पर थी। लीज की 30 वर्ष अवधि दिनांक 13/03/2001 से 12/03/2031 तक की अवधि हेतु है। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 14/08/2020 को श्री जयस सोनी के नाम पर किया गया है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनामतित प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, जलपुर जलमण्डल, सामान्य जलपुर नगर के ज्ञान क्रमांक/मा.वि./557 जलपुर, दिनांक 08/02/2021 से जारी अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी वान-बोली 250 मीटर, स्थूल वान-बोली 3 कि.मी. एवं अस्पताल जलपुर नगर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। तालाब 250 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलवायव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली पीएनयूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. **खानन संपदा एवं खानन का विवरण** – जिब्रोसिडिकल रिजर्व 4,88,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,21,888 टन एवं निकलेबल रिजर्व 1,39,412 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,384 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी सेल्फड्रिफ्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की इस्तामित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी मिट्टी की गहराई 1 मीटर है। बेंच की गहराई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर है। जैक हेमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाबिलिटींग किया जाता है। खदान में चादु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का निष्कास किया जाता है। वर्षवार इस्तामित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-



वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	44,313.68
द्वितीय	44,313.68
तृतीय	44,313.68
चतुर्थ	44,313.68
पंचम	44,313.68

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घाग पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत घाग पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 7.12 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया जाना बताया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा घाग पंचायत विरोधवादी बोर्डों के अंतर्गत विरोधवादी चतुर्थ मार्ग के दोनों तरफ 200 नम वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना किया जाना आवश्यक है। साथ ही चतुर्थ मार्ग की लम्बाई (जहाँ में अक्षांश देशांतर सहित दस्तावेज़ हुर एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त पृथी का खपन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति के विभिन्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भागत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलसंधु परिधान नजालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर पंचायत कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुस्लयोग न करने, मिश्रण न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / खपन के दौरान निरीक्षण करार जाने बाबत साथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) हेतु चतुर्थ मार्ग की लम्बाई (जहाँ में अक्षांश देशांतर सहित दस्तावेज़ हुर एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त पृथी (जैसे- पीपल, बरगद, बेल,



- कायम अदि) का चयन कर सीईआर (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. माइनिंग लीज क्षेत्र की अंतर राज्य कृषारीयता किये जाने एवं संशित पीछे का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 6. जलीमगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 7. सभीपक्षों प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा करने तथा कोई हानि नहीं पहुंचाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का चयन कर प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
 9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यानित समझ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने तयतत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तयपुर को पत्र भेज किया जाए।

4. मेसर्स बीबी आईनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- बी अमर कुमार गोपी), ग्राम-बीबी, तहसील-जसपुर नगर, जिला-जसपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1737)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एलआईए/सीजी/एलआईए/218063/2021, दिनांक 18/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 24/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव कर विवरण - यह समस्त विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित सधारण खनन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बीबी, तहसील-जसपुर नगर, जिला-जसपुर स्थित खनन क्रमांक 282, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर है। खदान की सतखनन क्षमता - 2,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 8,358 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, जलीमगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीठकों का विवरण -

(अ) सचिवालय की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह को आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुत्प्रेष किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / वस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 18/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुत्प्रेष किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / वस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 28/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वरिष्ठ जानकारी अपूर्ण होने के कारण से अतः बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुत्प्रेष किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / वस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अलग-अलग अतिरिक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में सभारण पाथर खदान खसरा क्रमांक 282, कुल क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर, समता— 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—जलपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।

2. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों से वास्तव में की गई अवस्था की जानकारी छोटीछास सहित प्रस्तुत की गई है। मुक्ति यह समता विस्तार का प्रकल्प है। अतः समिति का मत है कि

परिषद्‌जना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणमैत्री नीति/कृषि का पालन प्रतिबन्धन ज्ञापन कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नम वृक्षादीनन विन्धन गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जहापुर के ज्ञापन क्रमांक/309/खनि.शा./2021 जहापुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी ज्ञापन पर अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
2012	निरंक	2017	157
2013	370	2018	100
2014	50	2019	624
2015	निरंक	2020	1,700
2016	निरंक	2021	300

समिति का मत है कि प्रस्तुत ज्ञापन पर अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में दिये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकरई (Unit) का उल्लेख नहीं है। अतः विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में किये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकरई (Unit) का उल्लेख करते हुए खनिज विभाग से प्रामाणिक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनामदित प्रमाण पत्र - उत्खनन की संकेत में ग्राम पंचायत बोर्डो का दिनांक 25/09/2010 का अनामदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - रिवाइज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.) जिला-सामुजा द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परिषद्‌जना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित रिवाइज्ड क्वारी प्लान में जाचक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाइज्ड क्वारी प्लान की क्वैररी सेंटर (जाचक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जहापुर के ज्ञापन क्रमांक 157/खनि.शा./2021 जहापुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जहापुर के ज्ञापन क्रमांक 158/खनि.शा./2021 जहापुर, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मठ, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण - पूर्व में लीज श्री विरेन्द्र के नाम पर थी। लीज डीज 30 वर्षों अवधि दिनांक 11/05/2012 से 10/05/2042 तक की अवधि हेतु वैध है। एकल लीज का हस्तांतरण दिनांक 19/11/2018 को श्री अमर कुमार सोनी के नाम पर किया गया है।

7. मृ-स्वामित्व - भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय वनमन्त्रालयकी, जयपुर वनमन्डल, जयपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.सि./2012/800 जयपुर, दिनांक 08/03/2012 के प्रमाण पत्र में अर्पित क्षेत्र हेतु अनापत्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अतः लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी राम-बोकी 830 मीटर, स्कूल राम-बोकी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल जयपुरलक्ष्म 12.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 कि.मी. एवं राजमार्ग 11.7 कि.मी. दूर है। गदी 1.2 कि.मी. एवं लाला 205 मीटर की दूरी पर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. खनन संघदा एवं खनन का विवरण - जिब्रोलाइटिकल रिजर्व 3,51,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,38,767 टन एवं रिकवनेबल रिजर्व 1,24,890 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,801 वर्गमीटर है। खोपन कास्ट सीमा मेंकेनाईज्ड मिट्टि में उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में समरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बीच की मोटाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन स्थापित नहीं है एवं उत्खनन स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। डिजिटल एवं कटौल प्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिफ्टिंग जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,318
द्वितीय	8,318
तृतीय	8,318
चतुर्थ	8,318
पंचम	8,318

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति स्कीम एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. नुसारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 415 नम नुसारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में नुसारोपण हेतु पौधों का रोपण, नुस्खा हेतु पंक्ति, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का बटकावार धाम का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्रीय पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 200 मीटर वृत्ताकार क्षेत्रों में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत को उपयुक्त बनाना किया जाना आवश्यक है। साथ ही पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शों में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त कुओं का खनन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धित से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भावा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रारम्भ प्रतिक्रिया प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में किये गये उत्खनन आंकड़ों की मात्रा में इजाजत (Jaz) का उल्लेख करते हुए समित्व विभाग से प्रभावित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. अनुमोदित निर्धारित क्षारीय प्लान के कन्ट्रोलिंग लेटर (जोयक अर्थात् एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र से निकटवर्ती वन क्षेत्र की पूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अखतम अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
7. क्षारीय मिट्टी की मात्रा एवं क्षारीय मिट्टी प्रकल्प योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही क्षारीय मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / अमल के दौरान निरीक्षण करवा देने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृत्ताकार हेतु क्षेत्रों का रोपण, सुरक्षा हेतु सीटिंग, खार एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का खरकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना की कुल लागत को उपयुक्त बनाना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) हेतु पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शों में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त कुओं का खनन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सखन वृत्ताकार किये जाने एवं रोपित क्षेत्रों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. प्रतीकण्ड अर्थात् पुनर्वास नीति के तहत स्थायी जमीनों को रोजगार दिये जाने हेतु संपन्न पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का नोटरी से सत्यापित संपन्न पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.21, 804(2), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही सूचीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भूदा संचार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र भेज दिया जाए।

5. मेकर्स भीला इस्पात स्टील क्वारी (प्रो.- बी विपिन चौहान), धाम-भीला, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1948)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एमआईएन/ 2021802/2022, दिनांक 20/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से आपन दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित संचित जानकारी दिनांक 14/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान धाम-भीला, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया स्थित खदान क्रमांक 402, कुल क्षेत्रफल-1.1 हेक्टेयर में है। खदान की संबंधित उत्खनन क्षमता- 7,600 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, प्रतीकण्ड के द्वारा दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिखाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमति किया गया है।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्ण से संचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, प्रतीकण्ड के द्वारा दिनांक 14/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि व्यक्ति जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई व्यक्ति जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. बेसर्स बुंदेली कृषार स्टोन क्वारी (प्री.- की छुपद बीडान), ग्राम-बुंदेली, तहसील-मनेन्दगढ़, जिला-कोरिया (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 19248)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजे/ एम्आईएन/ 257438/2022, दिनांक 19/02/2022 द्वारा सर्वोपलब्ध सूचना हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमीषी होने से आपन दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित व्यक्ति जानकारी दिनांक 14/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संचालित माथारन क्वार (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बुंदेली, तहसील-मनेन्दगढ़, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 482, कुल क्षेत्रफल-0.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-8,943 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, उल्लैसगढ़ के आपन दिनांक 22/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 28/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई व्यक्ति जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, उल्लैसगढ़ के आपन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि व्यक्ति जानकारी अपूर्ण होने के

कारण से समिति को समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी अव्ययित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई शर्तित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-3:

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित शर्तित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री तुलसी फॉर्सेट्स लिमिटेड, बिरखोनी औद्योगिक क्षेत्र, राम-बिरखोनी, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1925)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीओ/ आईएनडी3/ 71881/2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/07/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. के कुछ बिन्दुओं में सफ्टीकरण हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरखोनी औद्योगिक क्षेत्र, राम-बिरखोनी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित प्लॉट नं. - 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल - 4.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित विंगल सुपर फॉर्सेट (एसएसपी)/ट्रिपल सुपर फॉर्सेट (टीएसपी) क्षमता-1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निविदाएँ रुपये 17.5 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., प्रलीनागर के द्वारा क्रमांक 732, दिनांक 17/06/2022 द्वारा प्रकरण सी-1 कंटेनरों का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टीम्पर्ड टर्न ऑफ रिकॉर्स (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम्.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेन्सि 5(ए) केमिकल फटिलिटीज हेतु स्टीम्पर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/07/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. के कुछ बिन्दुओं में सफ्टीकरण हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है-

S.N.	Conditions	Clarification
1.	It has been asked by SEAC Chhatnagar to conduct Hearing for the project.	The project is in a notified industrial area. The notified area has been established before 2006. Public Therefore, the project being located in a notified industrial area, the project is exempted from Public Hearing as per clause 7 (b) (1) of EIA notification 2006 & OM J-11011/021/2016-IA, II(1) dated 27.04.2016.
2.	Condition No. (i): Project Proponent shall	According to the Office Memorandum, dated 29th August 2017 issued by MOEF&CC is enclosed, it

<p>inform Chhatbisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.</p>	<p>is stated that the baseline data used for the preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, the baseline data should not be older than 3 years. So, in line with this Otd, M/s Tubal Phosphate has already conducted the monitoring for the period (1st Dec 2021 to 28th Feb, 2022). The monitoring test reports will be submitted along with the submission of EIA report.</p>
---	---

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/08/2022:

समिति द्वारा नसीब, बसुतुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी गई जनसौख्य समीक्षणन के सिन्दु क्रमांक 1 के परिषेख में समिति के संहान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचन संमोलेखन क्रमांक J-11011/021/2016-IA (A), दिनांक 27/04/2018 के अनुसार "the exemption from public consultation, as provided under para 7(i) & State (3)(ii)(b) of the EIA Notification, 2006, shall not be applicable to the following projects or activities (located within the industrial estates / parks) listed as under:" में 5 (a) का उल्लेख नहीं है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Government of India Ministry of MSME, State Industrial Profile of Chhatbisgarh 2015-18 के सारणी क्रमांक-8 के सिन्दु क्रमांक-37 में Industrial Area, Birkoni, Mahasamund का उल्लेख है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीज मेलर्स श्री तुलसी कॉरपोरेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर है। जीज डीड 28 वर्षी अधीतु दिनांक 28/10/2010 से 24/10/2009 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचन संमोलेखन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि एन.ई.ए.सी., उल्लेखनन के आवन क्रमांक 732 दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में लोक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी गई जनसौख्य समीक्षणन के सिन्दु क्रमांक 2 के परिषेख में समिति के संहान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचन संमोलेखन क्रमांक J-11013/41/2006-IA-103(Part), दिनांक 29/08/2017 के अनुसार "(vi) The baseline data used for preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, such a baseline data and the public consultation should not be older than 3 years, at the time of submission of the proposal, for grant of Environmental Clearance, as per ToRs prescribed" का उल्लेख है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ही बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किया गया है। उक्त बेसलाइन डाटा की अवधि को 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु उक्त बेसलाइन डाटा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान किये जाने



एवं तदनुसार नवीन टर्मों अर्थात् डिफरेंस (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञानन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में निम्न संशोधन किये जाने की अनुमति की गई—

“प्रकल्प बी-1 कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्मों अर्थात् ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्फार्मेशन क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेरी 5(ए) केंबिकल फर्टिलाइजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अधिनियम विन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुमति की गई”

के स्थान पर

“प्रकल्प बी-1 कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्मों अर्थात् ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्फार्मेशन क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेरी 5(ए) केंबिकल फर्टिलाइजर्स एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम नंबर 2008 क्रमांक J-11011/321/2018-IA.1(a), दिनांक 27/04/2018 द्वारा Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) निम्न अधिनियम विन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुमति की गई”

कड़ा जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञानन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें पथावत रहेंगी।

सम्बन्धी पर्यावरण अथवा आकलन अधिनियम (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स राधा उद्योग इन्डस्ट्री लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, गिलहरा, फंस-2, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1450)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए/ सीपी/ आईएनपी/ 211830/ 2021, दिनांक 13/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/07/2022 के मतमम के सी.ई.आर. के संघर्ष से लप्य प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्बनलस के तहत औद्योगिक क्षेत्र, गिलहरा फंस-2 के समीप, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लॉट नंबर 114/(10-12), कुल क्षेत्रफल - 14.828 एकड़ में हीट सर्जिंग आधारित सेलिंग मिल - 57,800 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्बनलस के उपरोक्त विनिर्देश का कुल लागत 30.15 करोड़ होगा।

एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञान क्रमांक 101, दिनांक 13/08/2022 द्वारा मेरुता नाम उद्योग ड्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलवना, फेस-2, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा नंबर 114/(10-12), कुल क्षेत्रफल - 14.828 एकड़ में यूनिट-2 एवं यूनिट-3 को सामयोजित (Merged) कर परीक्षण में स्थगित इन्टरलॉक करनेस में होत पर्यावरण आधारित रीजिन मिल - 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति "सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रु. 60 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने उपरांत इसकी सूचना एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करें। साथ ही उक्त राशि का विस्तृत प्रस्ताव (D.P.R. with estimate) राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) से प्राप्त कर 02 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।" शर्त के अधीन जारी की गई थी।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/07/2022 के माध्यम से सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रु. 60 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने के संबंध में उक्त प्रस्तुत किन्हे गये हैं।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/08/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रु. 60 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरैण्डम क्रमांक F.No. 22-85/2017-JA.JL दिनांक 20/10/2020 के अनुसार "An OM of even number dated 30th September, 2020 was issued inter-alia stating that henceforth the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall deliberate on the commitments made by the project proponent to address the concerns raised during the public consultation and prescribe specific condition(s) in physical terms while recommending the proposal, for grant of prior environment clearance instead of allocation of funds under Corporate Environment Responsibility." की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार पर समिति का यह मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु समपद्ध कार्ययोजना (निर्माण एवं संरक्षण सहित) प्रस्तुत करें, जिसका सत्यापन इस समिति द्वारा संचित होने वाली उपसमिति द्वारा, की गई शीघ्रता अनुसार कार्य की प्रगति का नियमित अंतराल पर मौखिक जाँच व प्रतिवेदन स्वयं निर्दिष्ट आधारित प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा।



समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सी.ई. आर. के तहत ईको चार्ज निर्माण हेतु समयबद्ध कार्ययोजना (निर्माण एवं संस्करण सहित) प्रस्तुत किया जाए जिसका संचालन इस समिति द्वारा गठित होने वाली उपसमिति द्वारा की गई योजना अनुसार कार्य की प्रगति का नियमित अंतराल पर ब्रीफ जॉन व प्रतिवेदन स्थान निर्दिष्ट अवधिगत प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स एस.के.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान-सिलखरा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 703)

ऑनसाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएनआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएनआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 08/02/2021 द्वारा फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित की भेरी को अंतर्गत ज्ञान-सिलखरा, तहसील व जिला-रायपुर निम्न प्रकार क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1, कुल प्लॉट 121.40 हेक्टेयर (300 एकर) में से 2.528 हेक्टेयर में कोल बीसरी समता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निवेश रुपये 1450 लाख प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. प्रलीक्षण के कारण दिनांक 13/04/2018 द्वारा प्रकरण बी-1 कंटेनरी कर होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्नर ऑन रिजर्व (टीओआर) नंबर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिज्वायरींग इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लीयरेंस अन्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित भेरी 2ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल बीसरी समता-0.72 मिलियन टन/वर्ष के टाईन हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 17/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

बीठकों का विवरण -

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की गती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सलाहगत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी टीओआर एवं अतिरिक्त टीओआर के कारण में की गई कार्यवाही की विन्मुक्त जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., जलसंग्रह के पत्र एवं ई-मेल द्वारा दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं मेडवॉ एनाकीम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. खारवेकर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक विभिन्न जानकारियों के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्पत्ति – वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मंडल से ज्ञान दिनांक 18/03/2018 द्वारा जारी जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण की जानकारी निम्नानुसार है:-

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Sponge Iron	2,70,000 Tonnes per Annum (Two Lakh Seventy Thousand Tonnes per Annum)
2.	Steel Division	3,31,500 Tonnes per Annum (Three Lakh Thirty one Thousand Five Hundred Tonnes per Annum)
3.	Rolling Mill (3-one additional)	3,84,000 Tonnes per Annum (Three Lakh Eighty Four Thousand Tonnes per Annum)
4.	Waste Heat Recovery Based Power Plant	25 MW (Twenty Five Megawatt)
5.	Coal Based Power Plant	2x30 MW (Two into Thirty Megawatt)
6.	Ferro Alloys Plant	29,400 Tonnes per Annum (Twenty Nine Thousand Four Hundred Tonnes per Annum)
7.	Coal Gasifier Plant	5x8,000 Nm ³ / hr (Five into Eight Thousand Nm ³ / hr)
8.	Oxygen / Nitrogen Gas Plant (One No.)	170 Nm ³ / hr (One Hundred Seventy Nm ³ / hr)

2. निकटतम स्थित किसानों संबंधी जानकारी –

- निकटतम जलवादी घाट-गांधर 8 कि.मी. एवं तहर रावपुर 12 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन गांधर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जलन नदी 0.88 कि.मी. एवं खोला नाला 1.03 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.88 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ताराज्य, परिसंस्थिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होना अधिदेित किया है।
- घाट पंचायत सिलतत का दिनांक 25/08/2005 को जारी अधिदेित ज्ञान पत्र प्रस्तुत किया गया है।



3. **जेम्स एरिया स्टेटमेंट** - कुल क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर है, जिसमें से खसरा क्रमांक 16/1 के अंतर्गत 0.534 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/1 के अंतर्गत 0.352 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/2 के अंतर्गत 0.809 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 28/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर है।
4. **भू-स्वामित्व** - भूमि मेसर्स एस.के.एस. इत्यात आईवेट लिमिटेड के नाम पर है।
5. **सी-बटोरिवाल** - सी-कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष से वास्तु कोल - 0.54 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा कोल रिजेक्ट्स - 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। सी-कोल एस.ई.सी.एल. / अंगण मार्ट के खदानों से आपूर्ति किया जाता है। खदान से वास्तु तक सी-कोल का परिवहन रेल एवं सड़क मार्ग से ड्रॉप ट्रेड वाहनों द्वारा किया जाएगा। वास्तु कोल का उपयोग स्वयं के इटीपेटेड स्टील प्लांट में किया जाएगा।
6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - कोल डकार इकाई, टोटली डेकर एवं स्टीम हाऊस में डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ वेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेंयर बेल्ट्स को डस्ट जैकर वेग फिल्टर से संलग्न कर 30 मीटर किन्गी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेसन / फ्यूजिनिंग डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्वेंयर सिस्टम को डस्ट जैकर से जोड़ा जाएगा।
7. **वास्तु अपशिष्ट की मात्रा** - रिजेक्ट कोल 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रिजेक्ट्स का उपयोग स्वयं के वास्तु प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा।
8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** -
 - **जल संचयन एवं रजोत संबंधी जानकारी** - कोल कोलरी में प्रयोग हेतु लगभग 72 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं इन्धनस्ट्रीमल उपयोग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। इस प्रकार कुल 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। इटीपेटेड स्टील प्लांट में जल की आपूर्ति काकन नदी से की जाती है, इस हेतु 4,800 घनमीटर प्रतिदिन जल रोहन हेतु अनुमति जल संसाधन विभाग से प्राप्त किया गया है। सभी व्यवस्था कोल कोलरी में अपनाई जायेगी। वॉटर बेलन चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - उद्योग द्वारा पैट प्रयोग पर अस्थापित (कलोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था) कोल कोलरी स्थापित किया गया है। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपचार हेतु विकल्प एवं सेटलिंग पीण्ड की स्थापना किया जायेगा। कोल प्लांट के किनोटिंग हेतु व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरंत पुनः प्रक्रिया में तथा परिवहन के अंदर पुनः प्रयोग में उपयोग किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.5 घनमीटर/दिन होगी। घरेलू दूषित जल को उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। मृदु निस्तारण की विधि रखी जायेगी।
 - **भू-जल उपयोग प्रबंधन** - परिवोजना स्थल सेंट्रल इन्डस्ट्रियल वाटर बोर्ड के अनुसार सभी किटिकल जोन में आता है। जिसकी अनुसार-

[Handwritten Signature]

(अ) कुहर एवं माछन उपयोगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचालन एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) बायोमैट्रिक्स वाटर रिचार्ज हेतु अगलाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वीस्टिंग / ऑटोमैटिकल जल रिचार्ज के आधार पर नू-जल रिचार्ज करने की अनुमति सेंट्रल बायोमैट्रिक्स वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केंद्रीय भूमि जल प्रतिकरण के अनुसार उपयोग स्थल सेमीड्रिटिकल ज़ोन के अंतर्गत आता है। उपयोग को रेनवाटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

• रेन वॉटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था – प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. विद्युत खपत एवं स्रोत – परियोजना हेतु 85 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति स्वयं से कंपटींग प्लान पॉइंट से की जाएगी।

10. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – इटीपेटेड स्टील प्लांट परिसर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र में वीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 700 से 800 नम वृक्षारोपण किया गया था। कोल वॉशरी के चारों तरफ 1,500 नम वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्ड 13 मार्च 2019 से 13 जून 2019 के काल किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर नू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₁₀ 15 से 39.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम._{2.5} 42 से 112.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एनओ_x 8 से 23.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 10 से 28.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर कई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 61.5 डीबीए से 73.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.3 डीबीए से 61.4 डीबीए पाया गया। जो वास्तव क्षेत्र से निर्धारित मानक के अनुसार है।

12. लोक सुनवाई दिनांक 29/11/2020 द्वारा 03:00 बजे स्थल सी.एच.आई.डी.सी. भवन, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, राम-सिंहपुरा, लक्ष्मील व जिला-रायपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर से पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा भेजा गया है।

13. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. विभिन्नियों से निकलने वाले धुं के कारण प्रदूषण आवधिक हो रहा है। साथ ही काले धुं के कारण ताजवाब का पानी भी प्रदूषित होता है।

2. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित घाटों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

ब. जनसुनवाई रखे जाने की सूचना हेतु जल पंपघरों में मुनादी नहीं बजाये जाने के कारण जनता अपनी समस्या रख नहीं पाए।

जनसुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित इतिथि/कॉन्सल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. कोल ज्वार इकाई, रोडवे ब्रेकर एवं स्टील हाउस में डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ वेन फिल्टर की स्थापना की जाएगी। डस्ट जनरेशन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। ई.आई.ए. रिपोर्ट में 10 कि.मी. की परिधि में आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है।
 2. विविध बेरोजगारी को रोकथाम के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
 3. जनसुनवाई के संदर्भ में जानकारी दी गई थी एवं स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना दी गई थी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु 57.118 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति रशि (Damage Cost) की गणना की गई है। उक्त गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानवीय न्यायलय में कोई वाद दायर नहीं होना बताया गया है, जबकि यह पर्यावरण का प्रकरण है। अतः इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त निरस्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्कथ्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सर्वेक्षण में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्मूख जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कोल बीकरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कुहरौपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
3. हाउसिंग वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (प्लान एवं साईज सर्टिफिकेट) प्रस्तुत की जाए।
4. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नैचुरल एण्ड कम्युनिटी आनुवंशिक प्लान, इन्टीग्रेटेड इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।
5. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिधि में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।
6. उक्त निर्दिष्ट की जानकारी सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का निरस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने परांत आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 367वीं बैठक दिनांक 04/08/2021 के परिष्कृत में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/08/2021:

समिति द्वारा नयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. परामर्श में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी सार्वजनिक शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. कोल बॉसरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कम से कम 10-15 मीटर की चौड़ाई में कुआरेशन को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. हाउसिंग वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. जल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का अद्यार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही संशोधित रेमेडिएशन प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आनुवंशिक प्लान, इन्फॉर्मेशन इन्वेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन रेमेडिएशन प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवार के चारों तरफ एवं स्टीक गार्ड में रेन पन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. कोल बॉसरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु प्रोसेस में लगभग 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होना बताया गया है। जल की मात्रा बॉसरी की क्षमता के संदर्भ में कम प्रतीत हो रही है। गणना सहित विस्तृत वाटर बैलेस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. एम.ई.आई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अधिन दिनांक 17/12/2018 के परिष्कृत में की गई कार्रवाई के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी अद्यार है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. कोल बॉसरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कुआरेशन को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. हाउसिंग वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
3. Environmental Compensation हेतु की गई गणना का अद्यार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अद्यारन कम संशोधित रेमेडिएशन प्लान तथा नेचुरल एण्ड

सामुनिटी अल्युमेंटेशन प्लान, इन्टीग्रेटेड इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्टीग्रेटेड मीनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के चारों तरफ एवं स्टीक घाई में रेन वन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. कोल बॉयली क्षमता—0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार अत्यधिक जल की मांग की समस्या सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोल बॉयलर घाई प्रस्तुत किया जाए।
6. स्थल निर्देशन की जपरीय सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. एसईआईएए, छत्तीसगढ़ के इापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त संबंधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के इापन एवं ई-मेल दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 18/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की दीयक गुणा, प्रबंध संचालक एवं पर्यावरणीय सलक्षकार के रूप में मेहरी इन्डियन गार्डन फ्लान्ट एवं कन्साल्टेंट की ओर से श्री जगमोहन कुमार घंटा विधिवे जानकारी के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का उपलब्ध एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पर गई गई—

1. कोल बॉयली एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कूलरीयन को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
2. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था — जल संकट परिहार में वर्षा के पानी का कुल संयोजक 4,12,500 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) एवं 4 नग रिजर्वयर (दीयक) क्षमता 4,94,500 घनमीटर स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित रिजर्वयर से परिवार के पूर्ण संयोजक को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का संचय हो सके।
3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनसे द्वारा Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, प्राप्त होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सोसियो-इकोनॉमिक इम्पैक्ट का सम्बंध करते हुए रेमेडिएशन प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 34,23,000, प्राकृतिक संरक्षण संरक्षण प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संरक्षण संरक्षण प्लान रुपये 4,35,000 (कुल-रुपये 61,68,000/-) की गणना कर



प्रस्तुत किया गया है। Environmental Compensation की गणना का अंशान्त रूपत नहीं किया गया है।

3. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संरक्षण प्लान रुपये 4,35,000 (कुल-रुपये 27,45,000/-) की आवा-पान की क्षेत्रों में सोलर वाटर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, ड्रिपिंग प्रणाली के निर्माण, पशुओं के गोशाला, टीचिंग हॉल के निर्माण, हेल्थ चेकअप किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर की चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में स्थापित रेन-गन का कोटीवापस सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
5. कंक्रीट कीतरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवापान प्लान की मात्रा की गणना वॉटर केरिंग चार्ट सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परिवर्तन हेतु कुल 254 घनमीटर प्रतिदिन जिसमें से मैकअन वॉटर हेतु 90 घनमीटर प्रतिदिन (जोशिया हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, इस्ट स्टोरेज एवं वृक्षांशण हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) एवं रिहाईकुल वॉटर 150 घनमीटर होगी।
6. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा समिति को सन्तक विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
1450	1%	14.5	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility	5.00
			Plantation	1.65
Total			20.03	

अनुसूचित कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य राष्ट्रीय प्राथमिक शाला, ग्राम-बरीदा, ग्राम-कपरादा, ग्राम-धरिया, ग्राम-टांडा एवं नवीन प्राथमिक शाला बरीदा, राष्ट्रीय कक्षा पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम-बरीदा, राष्ट्रीय माध्यमिक शाला ग्राम-तिरुवुमा, राज पीनमलाल उच्चत माध्यमिक शाला ग्राम-बारसलगाई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-बरीदा, ग्राम-तिरुवुमा में किया जाएगा। समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि सी.ई.आर. की गणना 2 प्रतिशत की दर से कर कुल राशि 29,00,000/- का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव में तात्पर्य की सहरीकरण का प्रस्ताव शामिल किया जाए।

[Signature]

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिप्रेय में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है।

समिति द्वारा उत्तरांचल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- i. Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट किया जाए। इससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाए।
- ii. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उत्तरांचल के लिए Environmental Compensation की राशि का उपयोग अला-पात की सहायक स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में लेक्टोर टर्निंग व्यवस्था, लालाच महरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवाही कार्य का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
- iii. सी.ई.आई.ए.ए. राशि की गणना 2 प्रतिशत के दर से कर कुल राशि रुपये 29,00,000/- का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- iv. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिप्रेय में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।
- v. उत्तरीकत समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उत्तरांचल आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 के परिप्रेय में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निर्देशन प्रतिवेदन दिनांक 18/08/2021 एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. मेलर्स Chala Chlorides Pvt. Ltd., district- Solapur, Maharashtra एवं मेलर्स Sree Kartikeya Kameshwar Industries, द्वारा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र को प्रस्तुत Remediation, Community and Resource Augmentation Plan अनुसार गणना की गई है। जिसके अनुसार Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोसियो-इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का संरक्षण करती हुए रेमेडिएशन प्लान एवं रीगिनिंग राशि (Damage Cost) रुपये 28,25,000, प्राकृतिक संरक्षण संरक्षण प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संरक्षण संरक्षण प्लान रुपये 4,35,000 (कुल-रुपये 51,80,000/-) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Environmental Compensation की गणना हेतु (1) कोल बीसरी की स्थापना के उपरोक्त कार्य भी उत्तरांचल कार्य किया गया, (2) संरक्षण प्रारंभ उपरोक्त कितनी अवधि के लिए कब-कब संचालित किया गया, (3) कोल बीसरी के विस्तृत विवेचन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की गई है अथवा नहीं? आदि की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण

11

संरक्षण मंचल से मंगाया जाना आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत पर Environmental Compensation की गणना की पुष्टि की जाके Remediation, Community and Resource Augmentation Plan पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1400	2%	29	Following activities at 10 Nearby Government Schools and Deepening of Pond	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility for Toilets	5.00
			Plantation with Fencing	1.00
			Deepening of Pond	9.00
			Total	29.00

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-बरीदा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-बरीदा, (3) शासकीय कन्हा पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम-बरीदा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-बरीदा, (5) डॉ. श्रीरामलाल उदार उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-बरसतलाई, (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम-तिनदुम, (7) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-कपरादा, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-बारीदा, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-टांडा में किया जाएगा। (10) कालाब की पहनीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम-बरीदा, ग्राम-मिलतार, ग्राम-परसरी एवं ग्राम-बरसीदा को शामिल किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं निरीक्षण के उपरोक्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन/परिष्करण किया गया, जिससे प्रस्तावित कार्यों में अनुमानित कार्य अल्पधिक बताया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त रकमों को शामिल करते हुये सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्कालीन कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंचल के माध्यम से निम्न जानकारी ली जाए—

- i. क्या कोल वीरारी की स्थापना की उपरोक्त कमी को संतुष्ट करने का कार्य किया गया है?
 - ii. कोल वीरारी को कब-कब कितनी अवधि के लिए संघालित किया गया?
 - iii. कोल वीरारी का संघालन बन्द करने के लिए क्या चलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं? साथ ही क्या कोल वीरारी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही चलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल / विद्युत विभाग द्वारा की गई है?
 - iv. कोल वीरारी वर्तमान में संघालित है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जाए। साथ ही वर्तमान में विद्युत विच्छेदित है अथवा नहीं? बताया जाए।
2. उपरोक्त निर्देश अनुसार सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त मशीनों को शामिल कराते हुये इसकी उपयुक्त गणना कर विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज सहित एवं Environmental Compensation की उपयुक्त गणना उपरोक्त Remediation, Community and Resource Augmentation Plan पर प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी बैठक में ऑनलाईन उपलब्ध होने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार एस.ई.ए.सी., चलीसगढ़ की 395वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के परिच्छेद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की दीएक पुस्त, प्रकृत संघालक विच्छेद कार्गईसिंग के मध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. चलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की मत्र दिनांक 14/09/2021 के मध्यम से निरीक्षण अतिवेदन प्रेषित की गई है जिससे निम्न जानकारी प्राप्त हुई है—
 - i. उद्योग की चलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय द्वारा पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में कोल वीरारी-0.72 मिलियन टन अतिपर्य हेतु स्थापना सम्मति दिनांक 02/08/2007 को जारी की गई थी। इस संदर्भ में उद्योग का निरक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, चलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 08/10/2009 को किया गया था, लक्षमय उद्योग द्वारा कोल वीरारी 200 टी.पी.एच का निर्माण कर उत्पादन कार्य आरंभ किया गया था।
 - ii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय सधतु चलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की आपन क्रमांक 2578 दिनांक 28/10/2010 के द्वारा उद्योग को निर्देशित किया गया कि आगले द्वारा 200 टी.पी.एच. क्षमता की कोल वीरारी स्थापित की गई है। इस कोल वीरारी के लिये अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संघालन सम्मति प्राप्त नहीं हुई है। निरक्षणुसार पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संघालन सम्मति प्राप्त किये किन्तु कोल वीरारी संघालित नहीं की जा सकती है। निरीक्षण पर उद्योग की इस कोल वीरारी इकाई में विद्युत सघालन पाया गया है। अतः कोल वीरारी के बलाये जाने की संभावनाओं को समझा करने के लिये कोल वीरारी इकाई को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को विच्छेदन कर सुचित करें।



- iii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा क्रमांक 2578 दिनांक 28/10/2010 के पालनार्थ कार्यालय मुद्रित विद्युत निदेशक, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 491 दिनांक 24/12/2010 के अनुसार कोल बीसरी प्लांट के लिए स्थापित मेन एल.टी. ड्रेकर को दिनांक 08/12/2010 को सील करने तथा तत्समय विद्युत विभाग द्वारा स्वतः पर बनाये गये संयन्त्रों की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- iv. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा दिनांक 14/09/2021 को किये गये निरीक्षण के दौरान कोल बीसरी बंद पाई गई तथा कोल बीसरी को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सील पाये गये।

उल्लेखनीय है कि उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से बताया गया कि कोल बीसरी के स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। कोल बीसरी हेतु स्थापना सम्मति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय से पत्र क्रमांक 3236, दिनांक 02/08/2007 जारी किया गया था व उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2578, दिनांक 28/10/2010 के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का विधेदन करने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद उद्योग द्वारा स्वतः ही विद्युत आपूर्ति विधेदन कर दिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 08/12/2010 को क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2579 दिनांक 28/10/2010 के निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित कोल बीसरी का निरीक्षण कर उद्योग बंद स्थिति में पाया व संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित सील किया। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार व विद्युत विभाग की कार्यवाही विद्युत विधेदन के बाद से अब तक कोल बीसरी पूर्णतः बंद है व अब जॉरेंट अवस्था में है, पर्यावरणीय स्वीकृति व संचालन सम्मति मिलने तक कोल बीसरी में कोई उत्पादन नहीं किया जाएगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अर्थात प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करने हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 14 Nearby Government Schools, 01 Govt. Hospital and Deepening of 04 village's Pond	
			Rain Water Harvesting System	13.5
			Potable Drinking Water Facility	2.56
			Running Water Facility for Toilets	2.5

		Plantation with Fencing	1.68
		Deepening of Pond	9.00
		Total	29.31

प्रस्तावित सीमेंट पर्यावरणीय दंडित (C.E.R.) कार्य (1) नवीन सार्वजनिक प्राथमिक शाला ग्राम-धरीदा, (2) सार्वजनिक प्राथमिक शाला कोन्ड ग्राम-धरीदा, (3) सार्वजनिक कन्डा पूर्व प्राथमिक शाला ग्राम-धरीदा, (4) सार्वजनिक उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-धरीदा, (5) टाक पीपलाजाल उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-परलठवाई, (6) सार्वजनिक प्राथमिक शाला ग्राम-तिरछुवा, (7) सार्वजनिक उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-तिरछुवा (8) सार्वजनिक प्राथमिक शाला ग्राम-अयसदा, (9) सार्वजनिक प्राथमिक शाला ग्राम-धरसीवा, (10) सार्वजनिक प्राथमिक शाला ग्राम-टांका (11) सार्वजनिक प्राथमिक शाला बरतभार (12) सार्वजनिक प्राथमिक शाला ग्राम-कुर्वा (13) सार्वजनिक प्राथमिक माध्यमिक शाला ग्राम-मुवेठी (14) सार्वजनिक प्राथमिक शाला ग्राम-धरसीवा भाटा (15) सार्वजनिक स्वास्थ्य कोन्ड ग्राम-धरसीवा में किया जाएगा। (16) टालाव के गहराकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम-धरीदा, ग्राम-तिलतटा, ग्राम-परलठवाई एवं ग्राम-धरसीवा को शामिल किया गया है।

- परिचालना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Ecological Damage, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan की रणनीति हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उपरोक्त होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्फ्रान्फ्रैक्ट, संचिती-इकोलॉजिक इन्फ्रान्फ्रैक्ट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति रशि (Damage Cost) रुपये 28,25,000, वार्षिक संसाधन संकलन प्लान रुपये 27,80,000 एवं सामुदायिक संसाधन संकलन प्लान रुपये 8,80,000 (कुल-रुपये 82,75,000/-) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्लान के तहत परिचालना काल से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन, आसन बाड़ी में सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, पट्टेय मार्ग में वृक्षरोपण, जागरूकता कार्यक्रम, होल्ड वेकअप आदि किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।
- समिति द्वारा कोन्डीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्यायपाल, वन और जलवायु परिचालन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/63/2019-AD/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 8th conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2018" के अनुसार Environmental Compensation हेतु निर्धारित कार्जुला EC=PIxNxRxSxLF (EC - Environmental compensation in Rs, PI - Pollution Index of Industrial Sector, N - Number of days of violation took place, R - a Factor in Ra. For EC, S - Factor for scale of operation LF - Location Factor) अर्थात् न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति दिन का अवलोकन किया गया। उक्त के परिधि में समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु 5,000 रुपये प्रति दिन के आधार पर स्थापना सम्मति दिनांक 02/06/2007 एवं एल.टी. डेकर सील दिनांक 08/12/2010 के तहत की अवधि को संज्ञान में लेते हुए कुल अवलोकन दिवस 1,264 मान्य किया गया। जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रशि 82,75,000/- रुपये (5000 X 1264) होगा। परिचालना प्रस्तावक द्वारा Ecological Damage, Remediation Plan and Natural and Community

B.S.

Resource Augmentation Plan हेतु राशि 62.75,000/- रुपये की राशियां जन प्रस्तुत की गई है। उक्त के संदर्भ में समिति सर्वमत रही कि सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ के माध्यम से सिलचर औद्योगिक क्षेत्र में इनके पार्क निर्माण हेतु राशि 62.75,000/- रुपये का व्यय किया जाए। इस आवक हेतु उक्त राशि की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सिलचर औद्योगिक क्षेत्र में इनके पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाल्टेन, सड़क के दोनों किनारे कुआरोपण कर सौंदर्यकरण एवं फ्लुडिटीव डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर निचकलर निर्माण हेतु राशि 62.75,000/- रुपये का विस्तृत प्रस्ताव सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर 62 सत्र में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. मैसर्स एच.के.एल. इन्फ्रा एन्ड पीवर लिमिटेड की घास-सिलचर, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1, में स्थित कोल वीरली क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ जन विकास निगम से सिलचर औद्योगिक क्षेत्र में इनके पार्क निर्माण हेतु राशि 62.75,000/- रुपये का विस्तृत प्रस्ताव 62 सत्र में प्रस्तुत करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62.75,000/- रुपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति तक जारी किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संगम 116वीं बैठक में विचार किया गया था। प्राधिकरण द्वारा नसी/का अवलोकन उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करती हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62.75,000/- रुपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किये जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त बैंक गारंटी की कलेम वैधता कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी। बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से होने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने बाबत विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए।

सद्वानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 28/09/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/10/2021 एवं 16/11/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/12/2021 को संगम 117वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी/दस्तावेज का अवलोकन कर नोट किया गया:-

1. मैसर्स एच.के.एल. इन्फ्रा एन्ड पीवर लिमिटेड की घास-सिलचर, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1 में स्थित कोल वीरली क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ जन विकास निगम से सिलचर औद्योगिक क्षेत्र में इनके पार्क



निर्माण हेतु राशि 62,75,000/- रुपये का विस्तृत प्रस्ताव आज दिनांक तक अध्याप्य है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय सतिभूति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/- रुपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा किया जाना बताया गया है। उक्त बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 18/11/2021 द्वारा किया गया है, जिसकी केषात दिनांक 31/03/2022 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा "कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2529 हेक्टेयर" में कोल वीथरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के स्थान पर "कुल एरिया 77.18 हेक्टेयर (190.78 एकड़) में से 2529 हेक्टेयर" में कोल वीथरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ए-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारियां एवं समिति द्वारा किये गये परामर्श एवं जारी टी.ओ.आर. में कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2529 हेक्टेयर का परीक्षण किया जाना बताया गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- परियोजना प्रस्तावक से सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ईको मार्क निर्माण, पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउण्टेन, सड़क के दोनों किनारे प्लांटेशन कर सीट्टीकरण एवं क्युजिटिव इस्ट नियंत्रण के लिए वाटर सिंकलर्स की स्थापना हेतु राशि 62,75,000/- रुपये का विस्तृत समर्थक प्रस्ताव मंगाना जाए।

उपरोक्त तथ्यों तथा प्लॉट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वीथरी के क्षेत्रफल संबंधी तथ्यों तथा सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ईको मार्क निर्माण, पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउण्टेन, सड़क के दोनों किनारे प्लांटेशन कर सीट्टीकरण एवं क्युजिटिव इस्ट नियंत्रण के लिए वाटर सिंकलर्स की स्थापना हेतु विस्तृत समर्थक प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण उपरोक्त उपयुक्त अनुमति किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुमति किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

(घ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारों का अवलोकन करने पर चर्चा गया कि आवेदित प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा जो तथ्यों को संज्ञान में लिया जाकर परियोजना प्रस्तावक से जानकारियां वांछनीय थी, उसके संदर्भ में प्रस्तुत जानकारों/प्रस्तावित अपूर्ण है। भूमि संबंधी अधिलेख पूर्ण नहीं है एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों का पुनः परीक्षण आवश्यक है। कोल वीथरी की संयोजन सम्पत्ति कब स्वीकृत हुई, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। संयोजन सम्पत्ति के पत्रधार कितना मेट्रिक टन कोयले कब से कब तक बीज किया गया एवं उससे कितना उत्पादन हुआ? इस दौरान पर्यावरण की कितनी क्षति हुई नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। विस्तृत रिपोर्ट कब किया गया? वर्तमान में कोल वीथरी संयोजित है

RE

अवकाश नहीं? कोल वीरगरी को बंद करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा काम कार्यवाही की गई।

समिति द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय क्षति का नये सिरे से मूल्यांकन कर प्रस्तुत किया जाए।
3. प्लांट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वीरगरी के क्षेत्रफल संबंधी लुप्टी तथा सी.एस. आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विभाग निगम से ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउण्टेन, गड्ढा के दोनों किनारे बुझावोपन कर सीढ़ीकरण एवं पदुसिस्टिम इस्ट निर्धारण के लिए वाटर सिंचकलन की स्थापना हेतु विस्तृत समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति के अनुसार परियोजना के कुल विनिर्माण का घटकवार ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने परंतु आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 23/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. सुरेश, जनरल मैनेजर एवं श्री सुष्मा जोशी, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजर तथा मैसर्स एन.सी.एन. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत की. व्यासेपर, उचित कार्यवाही वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. ईको पार्क निर्माण हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त मुनि खसरा क्रमांक 517/1, 518/1, 519/2, 519, 520/1, 520/2, 524/1, 531/1, 532/1, 532/2 एवं 532/3 में सम्बल प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग निगम लि. वासनवापाठ परियोजना सम्बल, रायपुर के द्वारा क्रमांक/व.दि.नि./व्यप/2022/5888 रायपुर, दिनांक 25/01/2022 के अनुसार ईको पार्क निर्माण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

वर्ष एवं कार्य	राशि
प्रीलिम व्यय	5.36,599
प्रथम वर्ष (क्षेत्र मापवाई, स्केटिंग कार्य, गड्ढा खुदाई, मिट्टी ढांच, रोपणी व्यय, खाद व्यय, सिंचाई, सुखा रक-रखाव, आदि)	29,72,630
द्वितीय वर्ष (मृदा पीठा परिवर्तन कार्य, रोपणी व्यय, खाद व्यय, सिंचाई, मिट्टाई कार्य, सुखा रक-रखाव, आदि)	10,48,573
तृतीय वर्ष (मिट्टाई कार्य, सिंचाई, सुखा रक-रखाव, आदि)	8,27,129
चतुर्थ वर्ष (सुखा रक-रखाव, आदि)	4,56,406
बीबीदार इट का निर्माण	26,389
अन्यो निर्माण कार्य, डेपर लगाना	3,09,379
कुल	62,75,000

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत ले-आउट प्लान में कुआरोपन हेतु कुल क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत क्षेत्र में कुआरोपन लगाया जाना बताया गया है। समिति का मत कि कुआरोपन हेतु वर्तमान में स्थापित कुआरोपन क्षेत्र एवं अस्थापित कुआरोपन क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वीजरी का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर है। समिति द्वारा उक्त के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज में ग्राम-सिलतार एवं ग्राम-मुंठी का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल ग्राम पंचायत सिलतार का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत कि ग्राम पंचायत मुंठी का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. समिति द्वारा पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. के तहत कार्पी एवं 8 वर्षों तक उसके रख-रखाव हेतु उक्त स्कूल में अतिरिक्त इको लाईब्रेरी निर्माण करने का मत शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

समिति द्वारा तत्कालम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विद्यमान औद्योगिक विकासताप के पृथक-पृथक इकाई सहित कुआरोपन हेतु वर्तमान में किये गए कुआरोपन एवं अस्थापित कुआरोपन क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में किये गये कुआरोपन का नाम, संख्या, रोपण क्षेत्रफल एवं फोटोशॉपस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वीजरी का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम पंचायत मुंठी का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. के तहत कार्पी एवं 8 वर्षों तक उसके रख-रखाव हेतु उक्त स्कूल में अतिरिक्त इको लाईब्रेरी निर्माण करने का मत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. वित्तीय वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी का आडिटेड वार्षिक रीपोर्ट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाये जिससे कि कंपनी का वित्तीय अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्बाटंक अधिलेखित किया जा सके।

उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने परन्तु आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., फरीदाबाद के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 के परिप्रेष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ए) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र/कलाप के पृथक-पृथक इकाई सहित पुष्करोपम हेतु वर्तमान में किये गए पुष्करोपम एवं प्रस्तावित पुष्करोपम क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए को.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र/कलाप के पृथक-पृथक इकाई परिसर के भीतर कुल भूमि 190.78 एकड़ में स्थित है। वर्ष, 2020 में कठोरे एवं लॉ सिटी के अनुसार उद्योग परिसर के भीतर कुल क्षेत्रफल के 64.94 एकड़ क्षेत्र में (लगभग 33 प्रतिशत) पुष्करोपम किया जा चुका है तथा वर्ष, 2020-21 से वर्ष, 2022-23 तक 3 वर्षों में लगभग 8 एकड़ भूमि में (8 एकड़ रिया लगान एवं 3 एकड़ में गैप फिलिंग) सहित लगभग 50,000 गम पुष्करोपम का कार्य कराया जा चुका है, जिसके अनुसार कुल भूमि 190.78 एकड़ में से 70.94 एकड़ (37.19 प्रतिशत) क्षेत्र में पुष्करोपम का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगामी गामसुल वर्ष, 2023-24 तक (40 प्रतिशत) क्षेत्र में पुष्करोपम कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
2. पूर्व में किये गये पुष्करोपम का नाम, संख्या, रोपण क्षेत्रफल एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार—

Tree Sapling Location	Number of Plants
2020-21 to 2021-22	
Gate No. 4 & 5 gap filling	800
Near Gate No. 4 garden site	1,000
Gap filling in Plant premises	3,000
Near fly ash silo no. 5 & 6 plant boundary site	500
Road site gap filling between Gate No. 1 to coal yard & Gate No. 4 & 5 road side (work in under progress)	1,000
Near rolling mill & dispatch yard	250
out side the premises of Maha-abhiyan Program	1,000
2022-23	
Near Gate No. 5	1,250
Near SMS cooling tower plant garden	600

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल रुबिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.34 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.78 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से केवल वीहटी का क्षेत्र 2.629 हेक्टेयर के संकेत में राज्य पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संकेत में समिति का मत है कि उक्त लॉ के परिप्रेष्य में राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



4. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चुकि खोल बाली की स्थापना ग्राम-सिलतल की अधिपटित भूमि में किया जाना है। इस कारण ग्राम संघपाल सिलतल का अनापति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। इस संबंध में समिति का मत है कि यह परियोजना ग्राम-मुंठी के अंतर्गत भी आता है। अतः ग्राम संघपाल मुंठी का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. पर्योग द्वारा पूर्व में सी.ई.आर. के अंतर्गत 29 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। परंतु प्रस्तुतीकरण के दौरान कम से कम 3 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया था, जिसके लिये पर्योग द्वारा 3 लाख रुपये अधिक व्यय करने का निर्णय लिया है। साथ ही स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईफेटी निर्माण हेतु एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों में जागरूकता हेतु अतिरिक्त 1 लाख रुपये व्यय किया जाएगा। इस प्रकार सी.ई.आर. के अंतर्गत कुल 33 लाख रुपये व्यय किया जाएगा। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at, 14 Government Hospitals, School & 1 Village Pond	
			Rain Water Harvesting	15.525
			Potable Drinking Water Facility	2.944
			Running Water Facility for Toilets	2.875
			Plantation with fencing	1.697
			Total	23.241
			Development of Environmental Library	4.152
Grand Total	27.393			

सी.ई.आर. के अंतर्गत कुल 33 लाख रुपये व्यय किये जाने का लेख किया गया है, जबकि वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सी.ई.आर. के प्रस्ताव में 27.393 लाख रुपये का ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत कुल 33 लाख रुपये व्यय किये जाने हेतु संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. के तहत कार्य एवं 5 वर्षों तक उसके रख-रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईफेटी निर्माण करने बाबत साथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



6. वित्तीय वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक की अवधि हेतु कंपनी का अडिटेड वार्षिक सीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. समिति द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कुल आवेदन में वर्णित क्षेत्र की अधिरिक्त अन्य विवरण इस स्टेटमेंट में मान्य योग्य नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

- कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.34 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.78 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कौल बीहारी का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर से संक्षेप में रायस पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
- इस संघागत मुद्दे का अन्वयित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- सीईओएर की तहत् कुल 28 लाख रुपये व्यय किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव सीपीओएर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में दिये गये सीईओएर की तहत् कार्य एवं 5 वर्षों तक उसके रख-रखाव हेतु तथा स्कुलों में अधिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत रायस पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. गैसार्थ दुलदुला ब्रिक्स अर्थवर्ग क्वार्टी एम्ड ब्रिक्स विनवी ब्रिक्स प्लॉट (पी.-बी दिनेश ब्रसाद गुफा), बाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जसपुर (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1888)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईएर/ सीजी/ एम्आईएल/ 243410/2021, दिनांक 25/12/2021 द्वारा पार्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित मिट्टी परखनन (नीम खनिज) खदान एवं क्वार्टी क्वार्टी ईट खदान इकाई है। खदान बाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जसपुर स्थित खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल क्षेत्रफल - 2,258 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परखनन क्षमता - 1,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, जलसीसगर के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु बी दिनेश ब्रसाद गुफा, प्रोगराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब, प्रस्तुत जानकारी का अन्वयित एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई-
1. पूर्व में जारी पार्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्ण में मिट्टी खदान खसत क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल क्षेत्रफल-2,255 हेक्टर, क्षमता-1,400 घनमीटर (ईट उत्पादन 10,00,000 गम) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्पदा निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जसपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों को पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अतुल प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों को पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. निर्धारित सतानुसार पृष्ठांकन नहीं किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 282/खनि.सं./2021 जसपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2011	200	2017	1,910
2012	निरंक	2018	1,280
2013	निरंक	2019	520
2014	200	2020	100
2015	1,000	03/2021	540
2016	820		

5. वर्ष, 2017 में पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्पादन करने के कारण उपर्युक्त उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्पादन के संबंध में ग्राम पंचायत दुलदुला का दिनांक 25/09/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्पादन योजना - सिवईज्ड जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघायक, जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1852/खनिज/खनि.3/उत्पादन योजना/2020 दिनांक 04/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.सं./2021 जसपुर, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अश्विगत अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.सं./2021 जसपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पब्लिक स्कूल, धार्मिक स्थल, मस्जिद, स्कूल, पुज, कालवाट, बांध, नल जल योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण - पूर्ण में लीज की श्रेण प्रसाद गुप्ता के नाम पर की। सम्पदा लीज का प्रस्ताव दिनांक 28/08/2017 को श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता के नाम पर किया गया है। लीज डीक में 30 वर्ष की, दिनांक 10/12/2010 से 10/12/2040 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. मू-स्वामित्व - भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनायतित प्रमाण पत्र - काशीलम वनमण्डलधिकारी, जसपुर वनमण्डल, जिला-जसपुर के द्वारा अनांक/मा.वि./2019/10253 जसपुर, दिनांक 27/11/2019 से जारी अनायतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महाकपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घास-दुलदुला 1 कि.मी., स्थूल घास-दुलदुला 2 कि.मी. एवं अनायतित घास-दुलदुला 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 42 कि.मी. एवं राजमार्ग 20 कि.मी. दूर है। परती सड़क 30 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संचयन एवं खनन का विवरण - डिपोजीटिज्जल रिजर्व 49,100 घनमीटर, सॉर्नेबल रिजर्व 27,581 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,021 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.212 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्टा स्थापित है, जिसकी विरल विन्नी की ऊंचाई 30 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के सख 30 प्रतिशत पत्ताई एस का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिपकाता किया जाता है। अनुमेदित क्वारी प्लान अनुसार सर्वेकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,400
द्वितीय	1,400
तृतीय	1,400
चतुर्थ	1,400
पंचम	1,400

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा घास पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत घास पंचायत का अनायतित प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।
14. कृषासौपन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में कहीं और 1 मीटर की पट्टी में 814 नम कृषासौपन किया जाएगा।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
29	2%	0.58	Following activities at Village- Duladula	
			Pavitra Van	2.24
			Total	2.24

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (अंचल, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए प्रति 600 रुपये, फसिल के लिए प्रति 40,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 700 रुपये, जल बोरेल/खालार से टैंकर के माध्यम से एवं लछ-लछार के लिए प्रति 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल प्रति 2,24,100 रुपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घास पंखादात दुलदुला के सहमति उपरोक्त पञ्जाबीय स्थान (खसत क्रमांक 589/1, क्षेत्रफल 0.4) को संरक्ष में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संकेत में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एच.एन. 22-21/2020-आई.ए./18 [ई138948], दिनांक 28/01/2022 द्वारा जारी अधिसूचना नमोरेण्डम का अवलोकन किया गया। साथ ही उक्त ओ.एन. के पूर्व उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संकेत में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एच.एन. 22-21/2020-आई.ए./18, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी अधिसूचना नमोरेण्डम का अवलोकन करने पर निम्न तथ्य पाये गये-

"B. If permissible:

- As per extant regulation at the time of scoping, if it is viewed that the project activity is otherwise permissible, Terms of Reference (TOR) shall be issued with direction to complete the impact assessment studies & submit Environment Impact Assessment (EIA) report & Environment Management Plan (EMP) in a time bound manner.
- Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - Damage Assessment
 - Remedial Plan and
 - Community Augmentation Plan by the central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory Level Expert Appraisal Committees, as the case may be."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसाधारण से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.सा./2021 जसपुर, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संरक्षा निरख

है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बीट' श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक को विन्यक्त पर्यावरण (संचालन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रतीकित पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्दिष्ट किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लेख करने वाले क्लस्टरों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश हैं:-

"The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विचारणीय खदान उल्लेख का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्डोवरीमेंट इम्पेस्ट जॉर्नलमेंट सिटेट, इन्डोवरीमेंट सेन्सैजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2018 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओव्यार (बिना लोक सुनवाई) वॉन डोल माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु निम्न अतिरिक्त टीओव्यार के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the new NOC of gram panchayat for mining.
- iv. Project proponent shall submit the details of land documents (B-1 and P-2) with agreement copy.
- v. Project proponent shall submit the detail compliance report of previous Environmental Clearance.
- vi. Project proponent shall submit the detail proposal of uses of broken bricks & the quantity of coal.
- vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

- ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- x. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
- xi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- xii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.
- xiii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.
- xiv. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.
- xv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.
- xvi. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/08/2022 को संयुक्त 123वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्य की परिधि में परीक्षण उपरोक्त उपयुक्त अनुमति किये जाने हेतु प्रकरण को एसईएसी, जलसम्पद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समक्ष सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि संबंधी (बी-1, बी-2) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

कवानुसार एम.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 द्वारा वसित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। हवाईपट्टा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 28/08/2022 के माध्यम से प्रेषित जानकारी में पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों समाप्त नहीं होना बताया गया है तथा केंद्रीय नाम परिवर्तन हेतु आवेदन करना होगा। उक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकल्प को निरस्त किन्ने जाने हेतु अनुसूच पत्र दिनांक 28/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2022 को भूमि संकपी (सी-1, पी-2) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/08/2022:

समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्खनन करने के कारण उत्खनन उत्खनन की श्रेणी में आने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकल्प को निरस्त किन्ने जाने हेतु अनुसूच पत्र को अग्रगण्य किया गया।
2. भूमि की महेश जगदल गुफा के नाम पर है, उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सारण), जिला-जगपुर के ज्ञापन क्रमांक 282/खनि.सा./2021 जगपुर, दिनांक 24/08/2021 द्वारा प्रस्तुत उत्खनन आंकड़ों की जानकारी में वर्ष 2017 में उत्खनन 1910 घनमीटर उल्लेखित है, जबकि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 1400 घनमीटर उल्लेखित है। उक्त से यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 510 घनमीटर अधिक उत्खनन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सारण), जिला-जगपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.सा./2021 जगपुर, दिनांक 24/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की गील अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'सी2' श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्वयंसेवा समिति / संचालन समिति जारी नहीं किन्ने जाने हेतु भी लिखा जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जा.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उत्खनन करने वाले प्रकल्पों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किन्ने जाने के निर्देश है—

"The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The

bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विद्यार्थीन खदान प्रस्तावना का प्रस्ताव है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना क्र. आ. 1030 (अ) दिनांक 04/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फोर्मेशन इम्पैक्ट असैसमेंट रिपोर्ट, इन्फोर्मेशन बेनेफिट प्लान आदि तैयार करने हेतु सारा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित केली 1(ए) का स्टैण्डर्ड टैरिफेयर (मिन्स लोक सुनवाई) नीम कोल नॉईसिन प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टैरिफेयर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the new NDC of gram panchayat for mining.
- iv. Project proponent shall submit the consent letter from the land owner.
- v. Project proponent shall submit the detail compliance report of previous Environmental Clearance.
- vi. Project proponent shall submit the detail proposal of uses of broken bricks & the quantity of coal.
- vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.
- ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- x. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
- xi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- xii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.
- xiii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and



Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

- iii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.
- iv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.
- xv. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण तथा आवास विभाग (एस.ई.आय.ए.ए.) उत्तीर्णता को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. मेसर्स एच. बलीराम कृष्णम स्मृति स्टासकीन विज्ञान महाविद्यालय (सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अम्बर पी.एम.एस.एस.बाए., फेज-IV), ग्राम-किमरापाल, तहसील-जनवलपुर, जिला-बस्तर (सविद्यालय की नस्ती क्रमांक 1400)

ऑनलाईन आवेदन- प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एमआईएस/ 174475/ 2020, दिनांक 26/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (अम्बर पी.एम. एस.एस.बाए., फेज-IV) है। यह हॉस्पिटल ग्राम-किमरापाल, तहसील-जनवलपुर, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 81 एवं 82, प्लॉट एरिया-41,558.4 वर्गमीटर में प्रस्तावित बिल्टअप क्षेत्रफल 26,787.27 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनिर्देश रुपये 82 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्कालीन कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउत्प्रेषण की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, क्युजिटिव हार्ड उपायार्थी नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. टीमा अपशिष्टों के निपटार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।



6. प्रस्तावित ऊर्जा संकलन के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित ले-आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह को आयोजित बैठक में उपरोक्त सभ्यता सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अतानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. जलौलगाड को ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उल्लेख्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वरिष्ठ जानकारी एवं सभ्यता सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अतानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. जलौलगाड को ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी कोई भी अधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —

- निकटतम रेलवे स्टेशन जलदलपुर 7.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 कि.मी. दूर है। जलदलपुर एयरपोर्ट 9.7 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिगुली वॉल्डुटेज एरिया, परिसरितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे अनुसार राजकीय भूमि सतह 2.35 हेक्टेयर तथा राजकीय वन भूमि सतह 2.25 हेक्टेयर है। प्रस्तावित सुपर स्पेसिफिकेटी होमिगटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बचाव जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. लेन्ड कुरिया स्टेटमेंट —

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)	Percentage (%)
1.	Constructed Area (Ground Coverage)	4,232.79	10.19

2.	Open Area	9,280.93	22.27
3.	Parking Area	5,919	14.24
4.	Road and Paved Area	8,422	20.27
5.	Green Belt	13,724.71	33.03
6.	Total Plot Area	41,556.4	100

4. फ्लोर संबंधी विवरण –

Floor	FSI Area (Square meter)	Non - FSI Area (Square meter)
Basement	870.31	40.15
Ground Floor	2,453.86	354.74
First Floor	2,098.36	354.74
Second Floor	2,174.86	354.74
Third Floor	2,098.36	354.74
Fourth Floor	2,454.36	354.74
Fifth Floor	1,943.73	354.74
Sixth Floor	1,891.06	354.74
Seventh Floor	1,820.06	354.74
Eight Floor	1,820.06	354.74
Ninth Floor	1,820.06	354.74
Tenth Floor	1,820.06	354.74
Terrace	-	212.52
Service Block	-	587.42
Total	22,868.04	4,722.23
Total BUA (FSI+Non-FSI)	28,787.27	
Total Plot Area (At Actual)	41,556.4	

5. कार्यालय एवं कोचलक, नगर तथा ग्राम विभाग, जगदलपुर की ज्ञापन क्रमांक 633/न.ग्र.नि./अ.नि./2019/2019 जगदलपुर, दिनांक 17/05/2019 द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र नगर निगम के कार्य क्षेत्र के बाहर होने के कारण भवन निर्माण की अनुमति कार्यालय कलेक्टर, जिला-जगदलपुर से प्राप्त की गई है।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण – निर्माण के दौरान वायुमय क्वालिटीज अक्ट के नियंत्रण हेतु डीन नेट से एक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

7. टीएस अपशिष्ट प्रबंधन – टीएस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल स्वयं एवं स्वयं – परियोजना हेतु कुल 818 घनमीटर प्रतिदिन (कंस बीटर 273 घनमीटर प्रतिदिन तथा रिहायरकल बीटर 245 घनमीटर प्रतिदिन) की आवश्यकता होगी। सूख निस्सारण की निधि रखी जाएगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेंट्रल घाघण्ड बीटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

• **जल इस्तेमाल नियंत्रण** - दूषित जल की मात्रा 270 घनमीटर प्रतिदिन उपलब्ध होना। दूषित जल को उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 300 घनमीटर प्रतिदिन एवं इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया। दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण (इंजिनीयरिंग), उपचारित दूषित जल को उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है।

• **घु-जल उपयोग इबंधन** - परियोजना स्थल सेंट्रल प्रायमरी वाटर बोर्ड के अनुसार लेक जॉन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) कुहर एवं गलन उपयोगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःउपयोग एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) प्रायमरी वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक क्या रेनवाटर हावेस्टिंग / ऑर्टिकुलियर जल रिचार्ज के आधार पर घु-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल प्रायमरी वाटर बोर्ड द्वारा देने जाने का प्रावधान है। अतः उपयोग को रेनवाटर हावेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

8. **विद्युत खपत** - परियोजना हेतु 2,700 कं.सी.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आगुती एनर्जीसर्विस राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। बैकअप व्यवस्था हेतु 2,700 कं.सी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एनर्जिस्टिक इंस्लीजर में स्थापित किया जाएगा।

9. **वृक्षादीयता की स्थिति** - परिसर के घाटी और तथा पट्टे वर्न में हरित पट्टिकर का विकास क्षेत्रफल 13924.71 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 33.03 प्रतिशत) में किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ले-आउट के अनुसार परिसर के घाटी पट्टेयता 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के विकास का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

10. **ऊर्ध्व संरक्षण प्रभाव** - परिसर में सभी स्तलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। सोलर लीटर हीटर की स्थापना की जाएगी। लेम्ब सौरिंग एवं ड्राई-वे में सोलर एल.ई.डी. लाइटिंग मिस्टन प्रस्तावित है।

11. **रेन वॉटर हावेस्टिंग व्यवस्था** हेतु संभावित जल की मात्रा की गणना करती हुए घाटी की संख्या सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. **सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility)** हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **समिति के सज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रकरण हाई स्टील सिंथिसिस के निर्माण का है। प्रस्तावित क्षेत्र से जनदलपुर एयरपोर्ट की लंबाई दूरी लगभग 8 कि.मी. है। इस हेतु भारतीय विमानपत्तन अधिकरण द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।**

समिति द्वारा उत्तमव्यव सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशिअलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि को उपयोग की अनुमति संबंध जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वन भूमि को उपयोग हेतु ऑरिस्ट क्लीयरेंस स्टैज-1 की प्रति प्रस्तुत की जाए।



2. स्वाम्य प्राधिकारों द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपघातों/प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. प्रस्तावित ले-आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. रेन वॉटर हार्वैस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संरक्षण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. भारतीय विमानचालन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाये।
8. परिशोधन प्रस्तावक से उपरोक्त खंडित जानकारी प्राप्त होने पर अगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., जयपुर-1 की 348वीं बैठक दिनांक 08/12/2020 के परिशिष्ट में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 10/02/2021 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. प्रस्तावित सुपर स्पेसिएलिटी होटिफटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाक्य जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु ऑरिस्ट क्लीयरेंस स्टैज-1 की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. स्वाम्य प्राधिकारों द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपघातों/प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रस्तावित ले-आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. से कुछ दिव्य जाने का अनुरोध किया गया है।
6. रेन वॉटर हार्वैस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संरक्षण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. भारतीय विमानचालन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

(Signature)

समिति द्वारा उत्सवस्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एआईएटी, अलीबागढ़ के ज्ञान दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की सनवाबू कार्यालय अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. प्रस्तावित सुनर स्पेसिफिकिटी इंस्ट्रुमेंटल से निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बसंत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेशन-1 की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र में से सार्वजनिक वन भूमि एकमा 2.25 हेक्टेयर को घटाकर 0.99 हेक्टेयर क्षेत्र किया गया है। सार्वजनिक वन भूमि 0.99 हेक्टेयर के उपयोग हेतु कार्यालय वनस्पतारधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञान दिनांक 29/03/2018 द्वारा भूमि प्रदाय की गई है। अतः वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेशन-1 की आवश्यकता नहीं है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका निम्न, जगदलपुर के क्षेत्र से बाहर होने तथा प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग हेतु ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण भवन निर्माण अनुज्ञापन कलेक्टर व अथॉरिटी हाई राईज समिति, जिला-बस्तर का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रस्तावित से-आउट में कुसरोपन हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी इरिग पट्टिका को दर्शाते हुए कुसरोपन की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही कुसरोपन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. सेन वॉटर हाईलिटिंग के प्रस्ताव हेतु स्थापित जल संग्रहण की शक्ति की गणना कलाएँ हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनिवार्य प्रस्ताव पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा उत्सवस्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि—

1. कार्यालय वनस्पतारधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञान दिनांक 29/03/2018 द्वारा अस्तित्व निर्माण हेतु 0.99 हेक्टेयर वन भूमि पर जारी दिनांक से । एवं हेतु प्रदाय की गई की जिलाधी वेपता सन्भार ही गई है। अतः वेपता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. केंद्रीय क्लीयरेंस के लिए वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र (सुनरीसित) को से-आउट में दर्शाते कलाएँ हुए (खसरा आदि का उल्लेख कलाएँ हुए), न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी इरिग पट्टिका को दर्शाते हुए कुसरोपन की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुसरोपन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत किया जाए।



3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. 10 मीटर हाईरिजिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संवहान की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. वार्षिक विमानपत्तन प्रतिकरण से प्रस्तावित हाई राईज रिजिडेंस के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रती प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., छातीसगढ़ के डायन दिनांक 18/08/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अलोक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. कार्यलय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के डायन क्रमांक/क.ता. अ./1882 जगदलपुर, दिनांक 18/04/2021 द्वारा जारी पत्र अनुसार "इस कार्यलय द्वारा अस्वातल निर्माण हेतु वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) खसत क्रमांक 82, एका 0.89 हेक्टेयर उपलब्ध भूमि दिया गया है, जिसे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है। भूमि उपरोक्त भूमि का अधिपत्य निश्चित सम्पत्तियों (दिनांक 01/04/2018) में आयेके द्वारा कर लिया गया है और वर्तमान समय में भी आयेके अधिपत्य में है। अतः उक्त भूमि का नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।" होना बतलाया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा की प्रस्तावित परियोजना हेतु खसत क्रमांक 81 का क्षेत्रफल एवं खसत क्रमांक 82 का किल्ला-चिल्ला क्षेत्रफल है तथा उक्त में से किल्ला क्षेत्रफल वनभूमि एवं उपलब्ध भूमि के अंतर्गत है? अतः इस संबंध में जानकारी संसाध जाना आवश्यक है।
2. गैरिजल कॉलेज के लिए वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र (पुनरीक्षित) की ले-आउट में प्रदर्शित करते हुए (खसत आदि का चर्लेख करते हुए), न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी इतित पट्टिका को प्रस्तावित होने कुशासेपन की कुल संख्या 2,089 मग तथा क्षेत्रफल 1.112 हेक्टेयर का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कुशासेपन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष में 1,000 मग, द्वितीय वर्ष में 589 मग एवं तृतीय वर्ष में 500 मग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्वतः निरीक्षण उपरोक्त विमानपत्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

TRD

8200	2%	164	Following activities at Skill & Economic Development Activities	
			Arrangement for vocational training to interested local youth	8.20
			Computer Literacy and Assistance to Youth SHGs	8.20
			Provision of Market linkage for selling the products through training center	8.20
			Total	24.60
			Education facility	
			Donation of computers, books, furniture to village schools	16.40
			Donation of stationery, books, scholarships to needy students	16.40
			Maintenance/Repair of village school buildings	13.12
			Provision of RO System	11.48
			Total	57.60
			Solid Waste Management Area	
			Solid Waste Treated Through Septic Tank Via Soak Pit	11.48
			Disposal of solid waste	9.84
			Total	21.32
			Rain Water Harvesting	
			Surface Water / Runoff Harvesting Techniques	9.84
			Rooftop Water Collection / Rainwater Cistern	5.74
			Water Harvesting Pond / Storage Tank	5.74
			Total	21.32
			Women empowerment	
			Assistance to Women SHGs	8.20

Handwritten signature

		Vocational Training	8.20
		Total	16.40
		Plantation in Community areas	
		Site Prep. Tree Purchase	8.20
		Tree maintenance Mulching	8.20
		Tree maintenance Watering	6.50
		Total	22.90
		Grand Total	164.00

- उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल संचयित 23,324 क्यूबमीटर है। प्रस्तावित परियोजना हेतु रेन वॉटर इवैलिटिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नम रिजर्व स्ट्रक्चर विथ बीरोवेज (ज्यास 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 3 नम रिजर्व वेल (ज्यास 1.52 मीटर एवं गहराई 3.28 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्यीय विमानमाला प्रविकल्प से प्रस्तावित हवाई राईल बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र की प्रति के संलग्न में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ए.के.ए. कन्सल्टेंट्स (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, इंदौर (मध्यप्रदेश) द्वारा दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी पत्र अनुसार "Under the provision of rule 62(C) (Table B) of the Chhattisgarh Bhumi Vikash Rules (1964), as per which no NOC is required from airport authority of India (AAI) for the building located more than 3224 M from the nearest Civil Airport and not exceeding the height of 152 M.

In this regard, we have obtained a coordinate certificate from Survey of India, which mentions that the aerial distance between the above mentioned site and the nearest airport is 9.7 KMs. Hence as per the said guidelines we are not required to obtain NOC from AAI" की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- प्रस्तावित परियोजना हेतु खसरा क्रमांक 81 का बीजकाल एवं खसरा क्रमांक 82 का किराना-किराना बीजकाल है तथा उक्त में से किराना बीजकाल वनभूमि एवं राजस्व भूमि के अंतर्गत है? इस संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- प्रस्तावित परियोजना द्वारा 0.99 हेक्टर वन भूमि में प्रस्तावित निर्माण हेतु उपयोग में ली गई है, यह सीन में खसरे की है? स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- सैम्पल एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
- खसरा में उपरोक्त की जाने वाली प्रस्तावित भूमि हेतु ले-आउट प्लान की रूप-रू, आईन साईट प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत अगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15/1

8. मैकर्स रोड-2 रोड माईन (प्लॉ- श्री गणेश राम बीवास), ग्राम-नेरवा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरवा (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1801)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एसआईए/ 227201/2021, दिनांक 07/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-नेरवा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरवा स्थित खसरा क्रमांक 854/1, कुल क्षेत्रफल - 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उल्लेखन इलाकी नहीं से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उल्लेखन क्रमांक - 58,582 जनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, प्रतीभापुर के द्वारा दिनांक 18/01/2022 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

अनुमोदन हेतु श्री सुभा मुन्शी मुन्शी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उल्लेखन के संबंध में नगर पालिक निगम कोरवा का दिनांक 01/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज सारवा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उल्लेखन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उच्च क्षेत्रफल (खनि. प्रसा.), जिला-कोरवा के द्वारा क्रमांक 4004/खनि-6/2020 कोरवा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-कोरवा के द्वारा क्रमांक 3880/खनि-01/रेत मी. (मिखा 2)/न.क. 03/2021 कोरवा, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/भरकनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-कोरवा के द्वारा क्रमांक 3979/खनि-01/रेत मी. (मिखा 2)/न.क.03/2021 कोरवा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान को 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, अस्पताल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री गणेश राम बीवास के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-कोरवा के द्वारा क्रमांक 2119 खनि-01/रेत मी. (मिखा 2)/न.क.03/2021 कोरवा, दिनांक 24/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 महीने हेतु है। अनुमोदन के दौरान परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की किताब दृष्टि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।



8. वन विभाग का अनादीत प्रमाण पत्र - उद्यालय वनमण्डलधिकारी, कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला-कोल्हा के द्वारा अनादीत/एक.अदि./2021/2668 कटघोरा, दिनांक 26/08/2021 से जारी अनादीत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-गेरवा 1 कि.मी. स्थूल ग्राम-गेरवा 3 कि.मी. एवं अस्पताल कोल्हा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कि.मी. राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। खीसुत रेल खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एरीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अमरावती, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
12. खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी छूट से दूरी - आवेदन अनुसार खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 328 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर तथा खानन स्थल की लंबाई - अधिकतम 279 मीटर, न्यूनतम 272 मीटर एवं खानन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 110 मीटर, न्यूनतम 107 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी छूट से किन्तले से दूरी अधिकतम 93 मीटर, न्यूनतम 29 मीटर है, जबकि इसकी नदी छूट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 4 मीटर तथा रेत खानन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा - 58,582 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.19 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पर्याप्त प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 08/08/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें सम्बन्धित विभाग से प्रमाणीकरण उद्योग फोटोग्राफा सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। समिति का मत है कि आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित चिह्न शैप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. क्वैरिरीट चर्चावर्गीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति से सम्बन्धित विभाग से चर्चा उपर्युक्त विस्तार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.38	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Gerva ghat & Anganbadi	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC	0.70
Total			1.40	

समिति का मत है कि रेल ब्रीडर हावीस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर चाईय के माध्यम से रेलिंग ब्रीडर एवं पैस चलाने हेतु अलग-अलग टेंडर अधिष्ठाित किया जाएगा।

16. सीईओआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं अस्तित्वित रजुल के प्राचार्य (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. रीर माईनिंग क्षेत्र - नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 328 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 83 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर है। नदी दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 708 वर्गमीटर रीर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेल उत्खनन का कार्य खदान के अर्धवृत्त 2.829 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

18. रेल उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेल की आवस्यतिक माहवाई हेतु प्रस्तुत पंचसमय में खनि निरीक्षक से हस्ताक्षरित है, परंतु खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कटाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि रेल के समय में खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कटाकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या अर्धवृत्त स्थान (खननकार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु बीघों, बीघों, खाद एवं सिंचाई तक रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार समय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही रेल स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु स्थान अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तमस्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. एन.ओ.आई की कौल वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित विड मैप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कटावन जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत रेत सीटिंग हावीस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सख्तसिखल रेत लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग सीटर एवं पेग जल हेतु अलग-अलग टांकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या कक्षाधीन स्थान एवं सी.ई.आर. के तहत पूंजावेधन हेतु पीछे का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या कक्षाधीन स्थान पर पूंजावेधन किये जाने हेतु स्वाम प्रधिकारों से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आनाभी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., फलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 के परिप्रेक्ष्य में परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 14/03/2022:

समिति द्वारा मसौ, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वनेश राम भीखरा के नाम पर है, जो पंचालनालय, भीमिडी तथा खनिखर्न, नया रावपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 624/खनि 02/रत(सु.क.7)/न.अ.38/1998 तथा रावपुर अटल नगर दिनांक 14/02/2022 द्वारा किया वृद्धि हेतु जारी की गई, जिसकी अवधि 8 मही (अर्थात् दिनांक 23/05/2022) हेतु वैध है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में रेत सटल के लेवल्स (Levels) लेकर विड मैप में प्रदर्शित कर सर्वेयर (Surveyor) के हस्ताक्षर एवं सील सहित सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
3. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कटावन जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार रेत की उच्चतम औसत गहराई 3.18 मीटर है।
4. सी.ई.आर. के तहत रेत सीटिंग हावीस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सख्तसिखल रेत लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग सीटर एवं पेग जल हेतु अलग-अलग टांकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत प्रस्तावित स्थल की प्राधान (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.36	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Gerva ghat & Anganbadi	
			Running Water Facility for Toilets	0.50
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in School	0.45
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in Anganbadi	0.45
Total			1.40	

5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर वा. पंचायोग्य स्थान में 1,500 मग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार नदी के लिए राशि 75,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 1,82,000 रुपये, खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,82,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,09,000 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकवार एवं समन्वयक व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण (खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर वा. पंचायोग्य स्थान) किये जाने हेतु कार्य क्रमांक-53 नगर निगम कोरवा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में पार्षद से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नगर निगम आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से कार्य क्रमांक-53 नगर निगम कोरवा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त/ जॉन कमिश्नर की अनुमति प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 28/04/2022 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. कार्य क्रमांक-53 नगर निगम कोरवा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किये जाने हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरवा का दिनांक 02/09/2022 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



3. एल.ओ.आई. की कथता वृद्धि हेतु जारी पत्र की कथता दिनांक 23/06/2022 को समाप्त हो गई है। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की कथता वृद्धि संबंधी प्रस्तावक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की कथता वृद्धि संबंधी प्रस्तावक प्रस्तुत किये जाने उपर्युक्त अगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स हनुमंत एलियस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, सिलवहरी औद्योगिक क्षेत्र, पत्रम-हरदीकला, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर (समिवालय का पत्ता क्रमांक 881)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 36887 / 2019, दिनांक 27/06/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 36887 / 2019, दिनांक 23/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलवहरी औद्योगिक क्षेत्र, पत्रम-हरदीकला, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर स्थित प्लॉट नम्बर 18 (खसत क्रमांक 857/2), कुल क्षेत्रफल - 3.85 हेक्टेयर (9.78 एकड़) में स्थापित सी.ओ.आई. क्लिन (स्वांग आचरण) क्षमता - 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुना 60 टन प्रतिदिन) से 18,500 टन प्रतिवर्ष (Increase in the no. of days from 300 to 330 days), गू, सी.ओ.आई. क्लिन (स्वांग आचरण) क्षमता - 41,250 टन प्रतिवर्ष (1 गुना 125 टन प्रतिदिन) को पर्यावरणीय मूल्यांकन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग लक्ष्य 11 करोड़ है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान क्रमांक 1072, दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रकरण सी-1 खंडनरी का होने के कारण भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टेपडॉई टर्न ऑफ़ रिपोर्ट (टी.ओ.आर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इम्प्लायमेंट क्लीयरेंस अप्रैल ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेमी 3(ए) मेटालर्जिकल इन्फ्रस्ट्रक्चर (कॉरस एण्ड गैस-कॉरस) का स्टेपडॉई टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 08/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 15/07/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगिता अग्रवाल, डी.पेरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स चांदोनिपर इन्धायरी लेबोरेटरीज एण्ड कन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, हरदवाड़ की ओर से श्री वाम. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्ती, प्रस्तुत जाणकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई-

1. जल एवं वायु सम्बन्धि -

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर जटल नगर से डीआरआई क्लिन (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन) हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी नवीनीकरण दिनांक 25/11/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 21/11/2022 तक वैध है।
 - पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्बन्धी नवीनीकरण को शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की किन्तुवार जानकारी सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रामाणिक क्रमांक 883, दिनांक 07/08/2022 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।
2. जल पंपावत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – जल पंपावत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 3. भू-स्वामित्व – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 4. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –
 - निकटतम आबादी ग्राम-कोल्ही 800 मीटर एवं राउर बिलासपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम स्कूल एवं अस्पताल बिलासपुरी 1.4 कि.मी. तथा निकटतम रेलवे स्टेशन बिलासपुर 4.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कि.मी. दूर है। जलवा नदी 4.8 कि.मी. एवं गौरीनाह नाला 0.4 कि.मी. दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्धकारण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित लिमिटेड रीजिस्ट्रेशन एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Existing & Proposed Area (Acres)
	Plant Area	2.10
	Raw material Yard	1.70
	Product Storage Area	1.10
	Solid Waste Storage Yard	0.80
	Internal Roads	0.50
	Green Belt Area	3.25
	Parking Area	0.51
	Total	9.76

6. रॉ-मटेरियल –

S.No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For New DRI Klin (Sponge Iron) - 41,250 TPA				
1.	Iron Ore	66,000	NMDC, Bailadila/ Bachhal	By rail and road (through covered trucks)
2.	Indian Coal	53,825	SECL, Chhattaigarh/ MCL, Odisha	By rail and road (through covered trucks)
3.	Imported Coal	37,125	Indonesia/ South Africa/ Australia	through Sea route, rail route & by road

Handwritten signature/initials

4.	Dolomite	2,000	Local Area	By road (through covered trucks)
For DRI Kiln (Sponge Iron) - 15,500 TPA				
1.	Iron Ore	28,400	NMDC, Bailadila/ Bachhel	By rail and road (through covered trucks)
2.	Indian Coal	21,450	SECL, Chhatargarh/ MCL, Odisha	By rail and road (through covered trucks)
3.	Imported Coal	14,550	Indonesia/ South Africa/ Australia	through Sea route, rail route & by road
4.	Dolomite	825	Local Area	By road (through covered trucks)

प्रस्तावित स्थापित डी.आर.आई. किलन (स्पंज आयरन) क्षमता-15,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता-15,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु डॉन-डॉन से टी-मटेरियल किलनी-किलनी माड में उपयोग किया जाएगा। इस संशोधन में आवश्यक मंगल प्राप्त हो सकता है।

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी -

Product	Existing Plant	Proposed Expansion
DRI Kiln (Sponge Iron)	1 X 50 TPD (15,000 TPA)	1 X 50 TPD (15,000 TPA To 15,500 TPA by increase in the no. of operating days from 300 to 330 days)
		1 X 125 TPD (41,250 TPA)
Total production		57,750 TPA

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में स्पंज आयरन इकाई (1 X 50 TPD) से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 40 मीटर स्तर स्थापित है। पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से स्पंज आयरन इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. एवं 50 मीटर की किन्नी स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्बकलस हेतु स्पंज आयरन इकाई (1 X 125 TPD) से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करने हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. एवं 70 मीटर की किन्नी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। टी-मटेरियल के हेन्डलिंग हेतु वर्तमान में एवं प्रस्तावित कार्बकलस संशोधन वाइब्रेटिंग स्क्रीन को हटा जाएगा एवं लची कन्वेंयर बेल्ट्स को डी.आई. सिस्टम से हटा जाकर परिवहन किया जाएगा। स्फुटिटींग बस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल सिंक्रलाय की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्बकलस हेतु भी अपनाई जाएगी। वाइब्रेटिंग स्क्रीन, कन्वेंयर बेल्ट्स, रिजिंग पार्ट्स आदि में धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. डेप किल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

9. टीस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था -

Waste	Quantity		Method of Disposal
	Existing	Proposed	



Ash from OR	9	23	Is being given to brick manufacturers (i.e. M/s Chhabra Marble and Tiles Industries) and same practice will be continued after expansion also.
Dolochar	15	38	Is being given to M/s Nutan Inpat & Power Pvt. Ltd. for Power generation and after expansion same practice will be continued.
IOIn Accretion Slag	0.45	1.1	Is being used in road/civil construction & being given to road contractor (i.e. M/s Khetan Suidocon Pvt. Ltd.) and same practice will be continued after the proposed expansion also.
Wet Scraper Sludge	2.3	6	Is being used in road/civil construction & being given to road contractor (i.e. M/s Khetan Suidocon Pvt. Ltd.) and same practice will be continued after the proposed expansion also.

10. जल प्रबंधन व्यवस्था —

- **जल सफाई एवं बर्बाद** — वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आपूर्ति न्यू-जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकाल के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 60 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति न्यू-जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी से 60 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 27/01/2021 से 28/01/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। साथ ही आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एम.आई.डी.सी. लिमिटेड से अनुमति प्राप्त किये जाने संबंध अवेदन किया गया है। नतीजतन प्रस्तावित कार्यकाल हेतु भी अपनाई जाएगी।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** — स्प्रेड डिचार्ज प्लॉट से दूषित जल उत्पन्न होगा। कुलिंग जलवाहक प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेंट्रिक टैंक एवं सेकण्डरी जल निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक अस्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट की स्थापना प्रस्तावित है। शुष्क निरक्षरण की स्थिति रही जाएगी।
- **न्यू-जल उपयोग प्रबंधन** — उपयोग स्थल सेंट्रल प्राइमरी वॉटर बोर्ड के अनुसार सेमी डिस्ट्रिक्ट जोन में आता है। जिसके अनुसार—

 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 60 प्रतिशत दूषित जल का पुनःसंग्रह एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) प्राइमरी वॉटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑटोमैटिकल जल रिचार्ज के आधार पर न्यू-जल निकाले जाने की

12/3

अनुमति सिट्टल इलाय्ब वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्रधिकरण के अनुसार उपयोग स्थल सेमी क्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। केन्द्रीय भूमि जल प्रधिकरण द्वारा जारी सैटिक दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment जोन में स्थापित इन्फ्रार्ड, इंसाइटकन सुनिट एवं माडर्निज प्रोजेक्ट्स को नू-जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरुप उपयोग को औद्योगिक कार्य हेतु नू-जल बौदन की अनुमति नहीं होगी। उपयोग को रेनवाटर हाईरिस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- रेन वाटर हाईरिस्टिंग व्यवस्था – वर्तमान में परिवर्जना हेतु कुल 2 नम रिचार्ज फिट (त्रिज्या 1 मीटर एवं गहराई 2 मीटर) निर्मित किया गया है। उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रणजीफ 22,019 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वाटर हाईरिस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल 5 नम रिचार्ज फिट (त्रिज्या 2 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वाटर हाईरिस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 11. विद्युत आपूर्ति संबंधित – प्रस्तावित कार्यकरण से परभाव परिवर्जना हेतु कुल 2 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिलानी आपूर्ति प्रतीसग्न राज्य विद्युत विद्युत कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा।
- 12. पूसाटीपन संबंधी जानकारी – हरित पदिकता के विद्युत हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.25 एकड (34.8 प्रतिशत) क्षेत्र में 800 नम प्रति एकड चौड़े 15 मीटर से 42 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि पूसाटीपन के रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुमे नूत चौड़ी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है। साथ ही क्षेत्रन एरिया में भी हरिपत्ती निर्वाहन किया जाना आवश्यक है।

13. ई.आई.ए रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवर्तीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर नू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
2. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएन, एसओ₂, एनओ₂ का साम्दन लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	22.1	58.9	60
PM ₁₀	38.5	64.8	100
SO ₂	10.1	16.2	80
NO ₂	12.8	21.2	80

[Handwritten Signature]

- iii. परियोजना स्थल के आसपास धूल सजोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दशमि नवे टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तारी के सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।
- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day Leq	47	70	75
Night Leq	37	54	70

जो एक क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की बचत:- भारी वाहनों / मल्टीएजल हेवी वाहनों को सम्बंधित करते हुए दैनिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 18,000 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 220.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तापरवात् कुल 18,220.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। किल्ला के उपरांत सी-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता 20,000 पी.सी.यू. प्रतिदिन (ISC-73-1680) के भीतर है।

14. लोक सुनवाई दिनांक 08/10/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - धाम-इरडीकला, लक्ष्मील-बिल्हा, जिला-दिलालपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई इलाहाबाद सदरत मजिस्ट्रेट, जलौलका पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर जटल नगर, जिला-रावपुर के पत्र दिनांक 30/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
15. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सामूहिक रूप में टिप्पणी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत सांख्यिक महीन प्रथमिक साला धाम-कोली, सांख्यिक प्रथमिक साला धाम-इरडीकला, सांख्यिक पूर्व मध्यमिक साला धाम-इरडीकला, सांख्यिक प्रथमिक साला धाम-इरडीकला, सांख्यिक प्रथमिक साला धाम-गुमा, सांख्यिक प्रथमिक साला धाम-रावतारा, आंगनवाड़ी बॉन्ड धाम-कोली एवं सांख्यिक प्रथमिक साला धाम-किलवाही में आवश्यकानुसार रैन वॉटर हार्नेटिंग, डिजिटिंग वॉटर प्रसवक, रमिंग वॉटर सेसिलिटी, व्हाशिंग कार्व एवं बोलेल के कार्व किये जाने हेतु कार्व योजना प्रस्तुत की गई है। जिली समिति द्वारा अध्ययन किया गया। समिति द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत रशि का उपयोग परियोजना के आस-पास के धाम में ईको पार्क निर्माण हेतु जलाव कार्व योजना सहित प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थलित सी.आर.आई. किल्ला (स्लैज आचरण) क्षमता-18,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता-18,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु सी-मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. घास पंखावत का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. फुआरेमन हेतु पीछे का रोपण, बुखार हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार कार्य का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही फुआरेमन की दस्तावेज दूधे ले-आउट प्लान (KML फाईल सहित) प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप जमात इकाई से प्रदूषण भंग की विस्तृत योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. रेनवॉटर इन्फेस्टिंग हेतु विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रेनवॉटर इन्फेस्टिंग स्ट्रक्चर का विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य को सुनिश्चानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रदूषण नियंत्रण आदेशों पुराने नीति के तहत स्थानीय लोगों को संज्ञाएं दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
9. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कर्तव्य सत्य पत्र (Notarized Affidavit) जमा किया जाए।
10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत रजि. का उपयोग परियोजना के जान-घर के घास में पर्यावरण सुदूरीकरण हेतु प्रस्ताव कार्य योजना सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., प्रदूषण नियंत्रण के आदेश दिनांक 22/09/2022 को परिशिष्ट में परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा मल्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. प्रस्तावित स्थापित सी.आर.आई. किलन (स्प्रेड आयरन) क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता-10,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु सी-मेटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत की गई है-

Input	
Item	Quantity (Tonnes/Year)
Iron Ore	26,400
Coal (Indian)	21,450
Dolomite	625
Total	48,575
Output	
Item	Quantity (Tonnes/Year)

Sponge Iron	16,500
Dolochar	4,950
Ash/Dust from Bag filters	2,970
Wet Scraper Sludge	759
Accretion slag	148
Flue Gases	23,348
Total	48,675

2. प्रेषित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेख किया गया कि अपेक्षित उद्योग सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तीर्ण स्टेट इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमाण प्रमाण/सीएसआईसीसी/बु.आ./2022/5198 रायपुर, दिनांक 08/09/2022 को इकाई नमर्स अनुमत एंलायंस (इन्फिन्टा) प्राइवेट लिमिटेड, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर के अधिस्तुत औद्योगिक क्षेत्र के प्रमाणीकरण के संबंध में जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दान पंथागत का अन्यायित प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है।
3. उत्तीर्ण स्टेट इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लॉट नम्बर 18 (खसरा क्रमांक 667/2), कुल क्षेत्रफल - 3.85 हेक्टर (8.78 एकड़) हेतु जारी सीज क्षेत्र की प्रति प्रेषित की गई है, जिसकी केषा दिनांक 15/01/2103 तक है।
4. पूंसापन हेतु सीपी का रोपण, सुखा हेतु केंचिन, खाद एवं सिपाई तथा रस-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पूंसापन की दरसे हुये ले-आउट प्लान (KML काईल सहित) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
उद्योग परिसर के भीतर कुल क्षेत्रफल के 3.25 एकड़ क्षेत्र में (1,625 वर्ग मग) पूंसापन हेतु	पूंसापन हेतु राशि	1,53,750	1,18,300	22,600	24,860	-
	रस-रखाव हेतु राशि	1,83,500	1,96,360	1,83,553	2,01,697	2,13,758
कुल राशि = 12,98,568		3,37,250	3,14,650	2,06,153	2,26,557	2,13,758
उद्योग परिसर के बाहर दान पंथागत सिलपहरी द्वारा स्कूल दान-सिलपहरी में कुल क्षेत्रफल के 1 एकड़ क्षेत्र में (750 वर्ग मग) पूंसापन हेतु	पूंसापन हेतु राशि	1,62,500	18,300	15,000	16,500	-
	रस-रखाव हेतु राशि	1,71,000	1,66,100	1,81,236	1,99,351	2,13,768
कुल राशि = 10,83,644		2,73,500	1,84,300	1,96,236	2,15,851	2,13,758

5. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- g. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त इकाई से प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:-

Annual Emission Loads (Tons/year)			
Parameter	Existing	Expansion	After Expansion
PM	5.59	15.51	21.10
SO ₂	258.81 (9.0 gm/sec)	858.21 (30.1 gm/sec)	1,114.82
NO _x	39.82 (1.4 gm/sec)	111.20 (3.9 gm/sec)	151.12

- f. रेन वॉटर हार्वैस्टिंग हेतु विस्तृत गणना प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल स्तरीय 12,760 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था को अंतर्गत 8 मग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर, गहराई 8 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था परम्पत्त परिसर के पूर्ण स्तरीय को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किन् जल को इन्हें सभ्यता मार्ग में वर्षा जल का बहाव हो सके। साथ ही रेनवॉटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
- g. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनको निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संक्षेप में जन सन्तुष्टि के सुविधानुसार मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (tabular form in hand) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/निर्धार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- उद्योग की स्थापना से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सड़कों में घलना मुक्ति हो गया है, किलानों के कल्लत बहुत बन्द हो रही है।
- उद्योग से प्रभावित क्षेत्र सिलपहरी एवं इन्दी में सी.एस.आर. का अधिक से अधिक उचित उपयोग किया जाए।
- ग्रामिणता के अधार पर संबंधित इलों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिचालना प्रस्तावक की ओर से उपनिर्धारित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- प्रस्तावित इलाका किलान में प्रदूषण को रोकथाम हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सुझाये गये मानकमों के मातल हेतु पंचयत किया जाना प्रस्तावित है। दोनो किलानों में ई.एस.पी. की स्थापना की जाएगी। सभी कम्प्लैटर वेल्ड जी.आई. सीट्स द्वारा पूर्णतः ढके होंगे। ई.एस.पी. में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। गृह निस्सारण की स्थिति रही जाएगी। परिसर में लगभग 3.4 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है तथा भविष्य में इसमें वृद्धि कर सभ्य वृक्षारोपण किया जाएगा। मानकों के मातल हेतु सभी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना तथा सलत संचालन किया जाएगा।
- ग्राम सिलपहरी एवं इन्दी में सामाजिक तथा अर्थोभारवना के विकास कार्य किये जाएंगे।



8. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकतापूर्वक रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शब्ध पत्र दिनांक 05/09/2022 के विन्दु क्रमांक 5 में "That the company will give priority in employment of local peoples as per their qualification as per commitment given in Public Hearing and Chhattisgarh Government Policy." का उल्लेख है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शब्ध पत्र दिनांक 05/09/2022 के विन्दु क्रमांक 6 में "That we will strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue the raised during Public Hearing." का उल्लेख है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत सड़क का उपयोग परियोजना के आस-पास के ग्राम में पर्यावरण सुदृढीकरण हेतु प्रस्ताव कार्य योजना सहित प्रस्तुत किया गया है-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1100	1%	11	Following activities at Village-Hardikala	
			Pavira Van Niman	12.95

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (अवकाश, बस पौडल, गीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार

- (1) प्रथम वर्ष में 1,050 नग पौधों के लिए सड़क 2,13,250 रुपये, रख-रखाव के लिए सड़क 1,98,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल सड़क 4,13,750 रुपये,
- (2) द्वितीय वर्ष में लगभग 210 नग मृत पौधों हेतु प्रतिस्थापित (Mortality replacement) सड़क 38,220 रुपये, रख-रखाव के लिए सड़क 1,72,130 रुपये, इस प्रकार द्वितीय वर्ष में कुल सड़क 2,10,370 रुपये,
- (3) तृतीय वर्ष में लगभग 158 नग मृत पौधों हेतु प्रतिस्थापित (Mortality replacement) सड़क 31,800 रुपये, रख-रखाव के लिए सड़क 1,98,298 रुपये, इस प्रकार तृतीय वर्ष में कुल सड़क 2,17,698 रुपये,
- (4) चतुर्थ वर्ष में लगभग 158 नग मृत पौधों हेतु प्रतिस्थापित (Mortality replacement) सड़क 34,780 रुपये, रख-रखाव के लिए सड़क 2,04,912 रुपये, इस प्रकार चतुर्थ वर्ष में कुल सड़क 2,39,672 रुपये,
- (5) पंचम वर्ष में रख-रखाव के लिए सड़क 2,13,758 रुपये,

इस प्रकार 5 वर्ष में कुल सड़क 12,95,448 रुपये हेतु परतकाल खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत हन्दी कला (टीन्हा) के सहमति अर्थात उच्चाधिकार स्थान (खसरा क्रमांक 21/अ/ए), क्षेत्रफल 5 एकड़ में से 2.5 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

पर्यवेक्षित खेतों के अन्तर्गत पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से पेशाई अनुमान एकीकरण (इन्फिस्ट) प्रॉजेक्ट लिमिटेड को सिलखटरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-हरदीकाल, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर विधात प्लॉट नम्बर 18 (खसत क्रमांक 887/2), कुल क्षेत्रफल - 3.85 हेक्टर (3.78 एकड़) में संचालित डीआरआई किलन (स्प्रेड आयरन) क्षमता - 18,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुण 90 टन प्रतिदिन) को 18,000 टन प्रतिवर्ष (Increase in the no. of days from 300 to 330 days), न्यू डीआरआई किलन (स्प्रेड आयरन) क्षमता - 41,250 टन प्रतिवर्ष (1 गुण 125 टन प्रतिदिन) (कुल क्षमता-59,250 टन प्रतिवर्ष) हेतु परिशिष्ट-81 में उचित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

उक्त सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (एस.ई.आई.ए.ए.) पर्यावरण को तटानुसार सूचित किया जाए।

8. पेशाई प्लॉट आर्डिनरी स्टोन फाईन (प्रो.- बीमती रुचि प्रायश्चित्त), ग्राम-कोट, तहसील-बैरुणपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1879)

ऑनलाईन आवेदन - परीक्षण नम्बर - एनआईए/ सीडी/ एनआईए/ 284838/2022, दिनांक 21/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट में संचालित साधारण पत्थर (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोट, तहसील-बैरुणपुर, जिला-कोरिया विधात खसत क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल-1.81 हेक्टर में है। खदान की आवेदित प्रस्तावना क्षमता - 9,875.84 टन प्रतिवर्ष है।

तटानुसार परिशोधन प्रस्तावक को एस.ई.आई.सी. पर्यावरण को खतरा दिनांक 22/08/2022 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/08/2022

अनुमोदन हेतु श्री अरुण कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पेशाई, अनुमोदन आदेशों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष पड़े-

1. प्लॉट में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. प्लॉट में पत्थर खदान खसत क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल - 1.81 हेक्टर, क्षमता-9,875.84 टन (3,885 मल्टीटन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वजनिक पर्यावरण सभागत विधायक प्रतिवेदन, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 30/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी।

2. प्लॉट में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों को पालन में की गई कार्रवाही की जायकारी परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि प्लॉट में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों को पालन में की गई कार्रवाही की विन्दुगत जायकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण,



वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंडलास, गजराजपुर से ज्ञात वन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- क. निर्धारित सर्वेनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- ख. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 1480/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उखनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उखनन (घनमीटर)
2017	657
2018	1,238
2019	3,308
2020	2,700
2021	2,048

2. वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उखनन के संबंध में वन पंचायत अनापत्ति का दिनांक 14/04/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उखनन योजना - ज्योती प्लान, इन्फ्लेमेटोरी कैन्सेलिंग प्लान एंड क्वॉली क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 20/खनिज/2017 सुरजपुर, दिनांक 04/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक/1481/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 अनुसार अवेधित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक/1482/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कलाट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। लीज भीमरी कर्षि उत्पादक के पास है। लीज डीथ 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 07/04/2017 से 06/04/2047 तक की अवधि हेतु है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर के द्वारा क्रमांक/वा.वि./1346 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/05/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अवेधित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घास-कोट 800 मीटर, स्कूल घास-कोट 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल घास-बैकुण्ठपुर 7.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं कनुवारी नला 1 कि.मी. दूर है।

(Handwritten signature)

10. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली बॉम्बुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र किस्त नहीं होना प्रतिबन्धित किया है।

11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - पूर्व में जिपसोलॉजिकल रिजर्व 2,44,380 टन (90,500 घनमीटर), माइनेबल रिजर्व 1,09,222 टन (90,482 घनमीटर) एवं लिक्विडेबल रिजर्व 98,300 टन (98,400 घनमीटर) था। वर्तमान में जिपसोलॉजिकल रिजर्व 2,14,515 टन एवं लिक्विडेबल रिजर्व 71,448 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,288.88 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी सेकेंडरिज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,508.48 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में कंलकन वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अकार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ट्रिजिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्राफ किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,975.84	षष्ठम	9,975.84
द्वितीय	9,975.84	सातम	9,975.84
तृतीय	9,975.84	अष्टम	9,975.84
चतुर्थ	9,975.84	नवम	9,975.84
पंचम	9,975.84	दशम	9,975.84

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.91 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरोवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबजू ग्राम पंचायत एवं न्यू-जल की उपस्थितिता हेतु सेन्ट्रल प्रायमरी वॉटर अथॉरिटी का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,084 नम वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 350 नम पीछे का रोपण किया गया है। शेष 704 नम वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 26,200 रुपये, बीसिंग के लिए राशि 85,800 रुपये, खाद के लिए राशि 52,700 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,10,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,83,800 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 10,42,800 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपयुक्त निम्नानुसार निस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
9.98	2%	0.20	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Kot	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.25
			Running Water Facility for Toilet	0.18
			Total	0.43

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) स्थापित किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की विन्मूख जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किन्हीं जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/08/2022 के परिप्रेक्ष्य में परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/08/2022:

समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में "भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक F.No.IAS-22/10/2022-IA.18 (2177258), दिनांक 08/08/2022 के अनुसार सिर्फ वर्तमान में विद्यमान किसी पर्यावरण स्वीकृति के अभाव विस्तार से संबंधित प्रकरणों में सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट जमा अनिवार्य किया गया है।" का उल्लेख है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक F.No.IAS-22/10/2022-IA.18 (2177258), दिनांक 08/08/2022 के अनुसार अभाव विस्तार से अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं लिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. वर्तमान में परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विधान विमर्श उपसंहार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंधन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपसंहार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को यह लेख किया जाए।

8. मेघाई जोशीनवांगांव प्लाट साईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री सरयजीत सिंह), ग्राम-जोशीनवांगांव प्लाट, तहसील-बोडला, जिला-कबीरघाम (सविधानिक कत नक्सी क्रमांक 1888)

ऑनसाईन आवेदन - उपरोक्त नम्बर - एसआईए/सीजी/एसआईए/247207/2021, दिनांक 24/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोशीनवांगांव प्लाट, तहसील-बोडला, जिला-कबीरघाम स्थित खसरा क्रमांक 30/26 एवं 30/38, चूना क्षेत्रफल-1.188 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-15,360 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, कबीरघाम के द्वारा दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सरयजीत सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मौला का दिनांक 07/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान इन्फार्मरीमेट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रसा), जिला-बिलासपुर के चू. डायन क्रमांक 2710/2/खनि/चूनापत्थर/उ.पी./2021 बिलासपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरघाम के द्वारा क्रमांक 819/खनि./खनिज/उ.प./2021 कबीरघाम, दिनांक 22/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.018 हेक्टेयर है।



5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ड्राफ्ट क्रमांक 818/ख.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 22/10/2021 द्वारा जारी ड्राफ्ट पत्र अनुसार एक अलग से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनिकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ड्राफ्ट क्रमांक 801/ख.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 20/09/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-सूचिका - भूमि खराब क्रमांक 30/38 सीमाई प्रतिबंध सिंह एवं खराब क्रमांक 30/26 आकेटक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत ड्राफ्ट पत्र - कार्यालय वनमन्त्रालयिकारी, कर्करी वनमन्त्रालय, जिला-कर्करी के ड्राफ्ट क्रमांक/तरु.अधि./4323 कर्करी, दिनांक 31/05/2021 से जारी अनधिकृत ड्राफ्ट पत्र अनुसार अनाधिकृत क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5-8 कि.मी की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घास-जमीनघास 1.2 कि.मी, स्कूल घास-जमीनघास 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल कबीरधाम 30.40 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.2 कि.मी. दूर है। सरकारी गलत 80 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्य संबंधनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख निवेशक बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफली पॉइन्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संबंधनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - जिमोलॉजिकल रिजर्व 8,04,080 टन, मरुमिचल रिजर्व 1,49,437 टन एवं निष्करोचल रिजर्व 1,48,448 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,200 घनमीटर है। खनन कास्ट सेमी मेकनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर एवं माच 1,878.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,182 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में सीलाकर पुनर्स्थापन के लिए उपयुक्त तथा शेष 341.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर गैर मरुमिचल क्षेत्र में मरुमिचल कर संरक्षित किया जाएगा। जोकर बर्सेन की मोटाई 0.7 मीटर एवं माच 3,918.5 घनमीटर है, आवश्यकतानुसार जोकर बर्सेन को पैग एवं हील रोड बनाने में उपयुक्त किया जाएगा तथा शेष जोकर बर्सेन को लीज क्षेत्र के भीतर गैर मरुमिचल क्षेत्र में मरुमिचल कर संरक्षित किया जाएगा। बेंच की मोटाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अकार स्थिति किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया

(Handwritten signature)

जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ्यूजन किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,043	चतुर्थ	15,251
द्वितीय	15,019	पाचम	15,068
तृतीय	15,215	अष्टम	14,994
सातम	15,068	नवम	15,031
दशम	15,368	दशम	10,364

13. **जल आपूर्ति** – परिचोपना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.18 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर से संचालन से किया जाना प्रस्तावित है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **बुझारोपण कार्य** – सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 638 म² बुझारोपण किया गया है, जिसमें पौधों के लिए राशि 32,000 रुपये, बरतिका के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 31,850 रुपये, सिंचाई एवं पत्र-पत्राव के लिए राशि 2,00,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,13,850 रुपये एवं पत्र-पत्राव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 3,87,500 रुपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **गैर माईनिंग क्षेत्र**– सीज क्षेत्र से बरसाती नाला 50 मीटर दूर है। नुस्खा के दृष्टिकोण से सीज क्षेत्र में 3,085 वर्गमीटर क्षेत्र को बरसाती नाला की तरफ गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उपलब्ध माईनिंग प्लान में किया गया है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परिचोपना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से सभी उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.96	2%	0.34	Following activities at Government Primary School Village- Khumunda	
			Drinking Water filter Facility with AMC	0.25
			Environmental Library	0.20
			Plantation with fencing	0.30
			Total	0.75

18. सी.ई.आर. की तहत प्रस्तावित स्कूल को प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. माननीय एन.डी.पी. डिसिपल बीच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारम्परिक विस्तृत भारत सरकार, पञ्जाब, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिकृतकृत्य दृष्टिकोण नं. 186 तारीख 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय सर्वेक्टर (खनिज साख), जिला-कबीरवाह के द्वारा क्रमांक 619/ख. लि./खनिज/ख.प./2021 कबीरवाह, दिनांक 22/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.819 हेक्टर है। आवेदित खदान (घान-जोगीनवागांव प्लाट) का क्षेत्रफल 1.188 हेक्टर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-जोगीनवागांव प्लाट) को मिलकर क्षेत्रफल 2.806 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आदेश - मेरठ जोगीनवागांव प्लाट लाईन स्टीन क्वारी (प्रै - बी सत्यजीत सिंह) की घान-जोगीनवागांव प्लाट, तहसील-बीकाना, जिला-कबीरवाह के खाना क्रमांक 30/25 एवं 30/38 में किया चुना पत्थर (पीथ खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.188 हेक्टर, क्षमता - 16,388 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 03/08/2022 को संयुक्त बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा क्वारी का अवलोकन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नोट किया गया कि:-

1. सीमा क्षेत्र से 50 मीटर दूर बरसाती नाला होने के कारण मुक्का के दृष्टिकोण से सीमा क्षेत्र में 2,000 वर्गमीटर क्षेत्र को बरसाती नाला की लम्बे गैर माइनिंग क्षेत्र में जोड़कर क्वारी को सम्मिलित कर संयोजित किये जाने का इच्छा माइनिंग प्लान में दिष्ट किया है। प्रतिकल्प का मत है कि बरसाती नाला को सुरक्षित रखने एवं गैर माइनिंग क्षेत्र में पुनर्स्थापन किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव मंगाया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय वनमण्डलधिकारी, कच्चा वनमण्डल, जिला-कच्चा के द्वारा दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी अनुमति ज्ञापन पर अनुमान आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5-8 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है, उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदित खदान से वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी कितनी है?

प्राधिकरण द्वारा विचार दिनांक उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रस्तोक्त तथ्यों के परिच्छेद में परीक्षण उपरोक्त उपरोक्त अनुसंधान किये जाने हेतु प्रकल्प को एल.ई.ए.सी. उत्तीर्णता के समतल प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. बरसाती नाला को सुरक्षित रखने एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. सीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनामति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एल.ई.ए.सी. उत्तीर्णता के ज्ञान दिनांक 28/08/2022 के परिच्छेद में परिच्छेदना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/08/2022 की प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/08/2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई:-

1. बरसाती नाला को सुरक्षित रखने एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनुसार सीज क्षेत्र की सीमा में घाटी क्षेत्र 7.5 मीटर की गहराई में 839 नग वृक्षारोपण तथा गैर माईनिंग क्षेत्र में 343 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, इस प्रकार बरसाती नाला को सुरक्षित रखने हेतु कुल 1182 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परिच्छेदना प्रस्तावक द्वारा सीज क्षेत्र के सीज पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रथम निवेशन हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/सड़क मार्ग से उत्पन्न हुए उत्सर्जन को निवेशन हेतु जोड़ चिड़काव हेतु	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
खदान के आगमनी एवं गैर माईनिंग क्षेत्र (378 नग) वृक्षारोपण हेतु राशि	30,000	7,800	7,800	7,800	7,800
वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	56,000	-	-	-	-
खदान के आगमनी एवं गैर माईनिंग क्षेत्र (378 नग) वृक्षारोपण हेतु राशि	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
सिंचाई एवं नल-रक्षा हेतु राशि	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000
रेम एंड होल रीज के नल-रक्षा हेतु राशि	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
खदान के अमिली हेतु	65,000	40,000	40,000	40,000	40,000



कंसिडरिड हेतु रकम					
कुल राशि = 29,90,000	5,00,000	3,90,000	3,90,000	3,90,000	3,90,000

2. कार्यालय वनस्पतशास्त्रिकारी, कार्यालय वनस्पत, कार्यालय के ज्ञान कक्षा/उप.अधि. /7830 कार्यालय, दिनांक 24/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5.8 कि.मी की दूरी पर है।

3. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र की वैधता दिनांक 19/08/2022 को समाप्त हो गई है। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स कलकत्ता साईन स्टोन कारी (प्री.- श्री चरन कुमार), राम-कलकत्ता, लहरील-खीरामगढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 938)

ऑनसाईन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 40348 / 2019, दिनांक 31/07/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परीक्षण में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 40348 / 2019, दिनांक 02/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए साईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित कूल पत्थर (सीम खनिज) खदान है। खदान राम-कलकत्ता, लहरील-खीरामगढ़, जिला-राजनांदगांव विद्युत चार्ट अंक खाना क्रमांक-254, कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-20,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. परलीमनगढ़ के ज्ञान दिनांक 12/04/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' श्रेणी का होने के कारण भासत सकार, पर्यावरण, वन और जनसमुदाय परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित स्टैन्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैन्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) को लागू नहीं किया प्रोजेक्ट हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. परलीमनगढ़ के ज्ञान दिनांक 08/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीठकों का विवरण -

(अ) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 18/08/2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जोसेवार, अधिवृत्त प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एनए एन सील्युलर, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगदीश चन्दा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीं, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि साईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन साईन प्लानर एण्ड कन्सल्टेंट, कोलकाता द्वारा

सिद्ध किया गया था। मैसर्स इन्डियन आईन प्लानर एण्ड कन्सल्टेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैसर्स पी एण्ड एम सील्युशन, नौरङ, जलखर्दवा की नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्धरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मैसर्स पी एण्ड एम सील्युशन, नौरङ, जलखर्दवा द्वारा विरलेणम एवं सत्यानित (Analyzed and Verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकल्प से संबंधित समस्त कर्तव्यों का उत्तरदायित्व मैसर्स पी एण्ड एम सील्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 1838/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 27/08/2020 द्वारा निम्न वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
जनवरी 2006 से दिसंबर 2006 तक	निराक
जनवरी 2007 से दिसंबर 2007 तक	200
जनवरी 2008 से दिसंबर 2008 तक	2,000
जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक	1,250
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 तक	निराक
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 तक	4,000
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012 तक	500
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 तक	निराक
जनवरी 2014 से दिसंबर 2014 तक	2,000
जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक	1,000

3. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खन्टेवपुर का दिनांक 31/08/2005 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - क्वार्टी प्लान (विश्व इन्धनसीमेंट प्लान एण्ड क्वार्टी कलेक्टर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो एन-संचालक (ख.प्र), संचालकलय, भूमिहीन तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर द्वारा क्रमांक 3870/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क.08/2019 नया रायपुर, दिनांक 18/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 4288/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित 13 खदानें, सीरकल 13,341 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/1712/ख.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 10/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जगत खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक

स्नान, मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, मुज, कुलिया, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. भूमि एवं सीज का विवरण - यह राजकीय भूमि है। प्लॉट में सीज की परत कुमार के नाम पर थी। सीज डीड 10 वर्षी अवधि दिनांक 03/11/2008 से 03/11/2018 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/1013/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 11/08/2020 द्वारा 'खलीसागढ़ हासन, खनिज सख्त विभाग, संजालय का आदेश दिनांक 12/08/2020 अनुसार तीन खनिज कुच पत्थर की उत्खनियट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22/12/2014 की परिधि में खलीसागढ़ नौन खनिज नियम, 2014 तथा संबंधित के नियम 38 क की अनुसार मुनदीन के आधार पर निराकरण किया जाता है। संजालय द्वारा पट्टा आवधि विस्तार हेतु जारी निर्मित दिनांक 08.08.2018, के अनुसार नियम 38 (क) के तहत नौकरण आवेदन एवं पर्यावरण सम्मति के अभाव में आवधि विस्तार पुरक अनुबंध निष्पादन नहीं किया जा सकता। अतएव पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।' का उल्लेख है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलधिकारी, वनमण्डल क्षेत्रागढ़, जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/ख.नि./न.क. 28/2088 क्षेत्रागढ़, दिनांक 07/07/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.1 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-बलकला 0.9 कि.मी, स्कूल ग्राम-बालेजपुर 1.3 कि.मी, एवं अस्पताल क्षेत्रागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है।
11. परिसिद्धितीय/जीवविक्रियता संबंधनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटरली पोल्युटेड एरिया, परिसिद्धितीय संबंधनशील क्षेत्र या घोषित जीवविक्रियता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - विद्योलीजिकल रिजर्व 7,28,400 टन, माइनेबल रिजर्व 2,82,168 टन एवं निकलहेबल रिजर्व 2,58,928 टन है। सीज की 7.5 मीटर भीड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,198 वर्गमीटर है। जोपन करस्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। सीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल गांज 8,720 घनमीटर है, जिसमें से 3,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बालन्डी) क्षेत्र में तथा शेष 3,620 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसत क्रमांक 525/5) में संकलित कर संरक्षित रखा जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। सीज क्षेत्र में अखन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-



वर्ष	घरलाहित परखनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, कुआरीपन) हेतु जल की आपूर्ति आवश्यक किता निश्चित खदानों में एकत्रित जल एवं पेपजल की आपूर्ति बोरेडल से की जाती है। इस बावजूद न्यू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल वायुमय बीटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **कुआरीपन कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में 775 मग कुआरीपन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 15,500 रुपये, पीछे के लिए राशि 1,28,400 रुपये, खाद के लिए राशि 5,820 रुपये, सिंचाई एवं गड-गडवा आदि के लिए राशि 1,80,400 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,28,120 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 4,85,632 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार लागत का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में परखनन** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहरी का कुल क्षेत्रफल 3,198 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 3,200 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की गहरी तक उत्खनित है, जिसका उत्खनन अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गहरी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय लक्ष्य की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे बोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 4(अ) के अनुसार-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा जोन में कुआरीपन किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विकस्रेशन -**

अ. **जल एवं वायु आदि दूषणवला संबंधी जानकारी** - सॉनिटरींग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 से करवा किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिसंखीय वायु दूषणवला मापन, 10 स्थानों पर न्यू-जल दूषणवला मापन, 11 स्थानों पर जल सतर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल दूषणवला तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विकस्रेशन किया गया है।



- iv. सॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एचजी, एनजी, का सामान्य लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.32	44.77	60
PM ₁₀	47.22	67.15	100
SO ₂	7.24	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

- v. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाए गये टेबल अनुसार क्लोरिडिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक लवों का सामान्य लेवल राष्ट्रीय मानक से कम है।

- vi. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.69	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	45.21	70

जो एका क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- vii. पी.सी.यू. की गणना— भूरी बहनी / बल्टीएबल इरी बहनी को सम्बन्धित करते हुए दृष्टिक अवयव रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वाहन में 48 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं बी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। सम्बन्धित परियोजना उपरांत 8 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। उपरोक्त कुल 56 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं बी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.08 होगी। विस्तार के उपरांत भी बी-मटेरियल / ड्रेजिंग्स के परिष्कार हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 19/08/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - डाल पंचायत भवन कलकत्ता, डाल-कलकत्ता तहसील-खैरगढ़, जिला-राजनांदगांव में खोला हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदन सचिव, खैरगढ़ जर्वावरण संरक्षण मंडल, गंगा रामपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पुनरोपयोग का कार्य अतिरिक्त करने की सुझाव करें। लोक सम्मेलन होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चांदे तरक तार काटी का धेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5-7 जानवर मिर कुते हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है।
- ईपी एनर्जिडिंग से पत्थर के टुकड़ों के खेत में चले जाते हैं एवं एनर्जिडिंग के पूर्व किसी प्रकार से सुधना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्वेरा मजदूर स्वास्थ्यिक क्षति होती है।

[Handwritten Signature]

- ix. खदान को खुलने से पूर्व निर्मित बांध लगाया हो चुके हैं। जिस कारण खोली में पानी नहीं पहुँच पाता। बांध में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रुकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।
- x. प्राथमिकता से अक्षर पर संबंधित घाटों को लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही घाट को निराश्रितों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रशासक की ओर से उच्चस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- प्रदूषण का मुख्य कारण घूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का सिंचन किया जाएगा। खदान के घाटे और तथा कच्ची सड़क के किनारे कुआरौपण किया जाएगा जिससे घूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को घाटे तरक से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे भी आन्तर खदान में ना गिरे।
 - अनुपवी कंटेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।
 - हमारे द्वारा नालियों का ज़ीनीदार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी बना हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।
 - शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता से अक्षर पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। घाटियों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर उपलब्ध जाएगा।
20. कंसल्टर हेतु कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रशासक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए कंसल्टर में कुल 14 खदानें आती हैं। अतः कंसल्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
3.7 कि.मी. घाटों के दोनों तरफ (2.407 वर्ग) कुआरौपण हेतु	कुआरौपण (30 प्रतिघाट जीवन पर) हेतु राशि	48,340	4,940	4,940	4,940	4,940
	कंसिग हेतु राशि	34,76,700	-	-	-	-
	छाद, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		41,20,112	3,46,752	3,46,752	3,46,752	3,46,752



बीमन इन्धायरोमेटल मनेजमेंट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहायिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
300 मीटर नार्थ दोनों तक (200 मीटर) दूरादीपन हेतु	दूरादीपन (30 प्रतिशत जीवन हेतु हेतु राशि)	4,000	400	400	400	400
	सौरादीपन हेतु राशि	2,90,000	—	—	—	—
	वायु, सिंचाई एवं रक्ष- रक्षण हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		4,96,700	1,68,870	1,68,870	1,68,870	1,68,870

21. नगर सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संजाल, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कलक्टर हेतु बीमन इन्धायरोमेट मनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन से पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहायिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर में जाने वाले खदानों की रोकथाम गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकथाम हेतु कलक्टर में जाने वाली रीफ रामस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु बीमन इन्धायरोमेट मनेजमेंट प्लान तैयार किया जाने तक कच्चाई से विस्थापित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा धनिकर्ण, इन्धायरी भवन, नया रामपुर अटल नगर, जिला - रामपुर (अलीगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सार विस्तार से सभी खदानों निम्नानुसार वित्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.45	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van	10.14
			Niman	10.14
			Total	10.14

23. सी.ई.ओ. के अंतर्गत "परिवर्तन निर्माण" के तहत (अंधला, बड़ पीपल, नीम, आम, अनारुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नए पेड़ों के लिए राशि 18,000 रुपये, रेंजिंग के लिए राशि 1,88,100 रुपये, खाद के लिए राशि 8,000 रुपये, सिंचाई तथा स्ल-स्लॉव आदि के लिए राशि 1,72,800 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,86,900 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,53,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाम संघात बल्देवपुर के सहनति उपखंड सहायक स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) को संघ में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विखंड न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्भव हेतु किये जाने बाबत राज्य पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही राज्य पर में इस अवकाश का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तरव्यव सार्वजनिक के निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विखंड न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्भव कार्यों में किये जाने बाबत राज्य पर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उत्खनन किया जाना जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दम्भानक कार्रवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालयालय, भूमिहीन तथा खनिकर्त्त एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाने हेतु जलतीनवद पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया राजपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में उपस्थित करते हुए जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. कलक्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन परिस्थितियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुए, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संघालक, संघालयालय, भूमिहीन तथा खनिकर्त्त, इंडास्ट्री भवन, नया राजपुर अटल नगर, जिला - राजपुर (जलतीनवद) के साथ से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
5. जनसुनवाई के दौरान जमा शिकायत "खदानों के खुलने से पूर्ण निर्मित बांध सम्भवा हो चुके हैं। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। बांध में सिंचाई हेतु एकमात्र स्थान 2 बांध हैं। खदान होने से बांध का पानी नहीं रुकता है। पानी बहा नहीं है, खाली हो बन्द हुआ था वो दूर चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः पानी को बन्दवाने का काम किया जाए।" यह शिकायत अर्थात् गंभीर प्रवृत्ति की है। जिसका समाधान करके उक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं

दिखा गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत/जल संसाधन विभाग से जांच उपरोक्त प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये।

6. जलखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर बताई गई है। अतः जल स्रोत की गहराई के संबंध में अवलोकन जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
7. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत राज्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जायेगी।

सदामुखी एल.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 21/09/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022-

समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. लीज क्षेत्र में 3,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 1.5 मीटर (भाईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा क्षेत्र 3,820 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसत क्रमांक 525/5, एका 1,1315 हेक्टेयर) में संक्षिप्त कर संश्लिष्ट रखे जाने बाबत राज्य पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. बलस्टर हेतु कॉमन इन्शुरेन्समेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक मसौदा में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत की गई है। बलस्टर में खाने वाले खदानों द्वारा कॉमन इन्शुरेन्समेंट मैनेजमेंट प्लान को तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करार राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत की गई है।
3. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त विज्ञापन के संबंध में ग्राम पंचायत कलकत्ता द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं गहरा नाली का संधारण खसत के उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत कलकत्ता द्वारा जनसुनवाई के दौरान यह विज्ञापन पुनर्विचार की गई है, का लेख किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरीक्षण बनाने हेतु लेख किया जाए।
4. ग्राम पंचायत कलकत्ता द्वारा जारी पत्र अनुसार नू-जल सत की गहराई 150 से 200 फीट के उपरोक्त है।
5. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्शुरेन्समेंट मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्शुरेन्समेंट मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति, सड़कों की रख-रखाव एवं कुआरेपन कार्य के मीनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-सीन समिति (प्रोवाइडर/इतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित

Handwritten signature

क्रिया करना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता, स्थलों के एक-एक एक क्लस्टर का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त परिचित वि-प्राथमिक समिति से संबंधित कठोर काम आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., डिप्टी सचिव, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय विद्युत माल संचार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑन 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को परिचित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय क्लस्टर (खनि मण्डल), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 4288/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानों क्षेत्रफल 13.341 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (घान-कालकवा) का क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (घान-कालकवा) की मिलाकर कुल खदानों का क्षेत्रफल 14.555 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की शर्तों पर है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की संस्थापन हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित बनाने हेतु संघालक, संघालनपालक, भौतिकी तथा खनिकर्न, इंडास्ट्री भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (प्रतापीसंग्रह) के तार से उपयुक्त कर्तव्यही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
3. माईन सीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर चौड़े रोडटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपकारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के निरोधन हेतु आवश्यक उपायों तथा क्लस्टरिंग आदि के लिये समुचित उपायों बाध्य संघालक, संघालनपालक, भौतिकी तथा खनिकर्न, इंडास्ट्री भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (प्रतापीसंग्रह) को पत्र लेख किया जाय।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उत्खनन पाये जाने पर निम्नानुसार आवश्यक दृष्ट्यात्मक कर्तव्यही किये जाने हेतु संघालक, संघालनपालक, भौतिकी तथा खनिकर्न एवं पर्यावरण को शर्तों पर दृष्ट्याने हेतु



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री परेश कुमार) की ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के प्लॉट अंक खसरा क्रमांक-254 में स्थित चूना पत्थर (गीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर, क्षमता-20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-82 में वर्णित शर्तों को अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकल्प (एल.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को उपानुसार सुचित किया जाए।

11. मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमती अरुणा जोषेवार), ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1274)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 127254/ 2019, दिनांक 26/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 12087/ 2020, दिनांक 04/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने को लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संभावित चूना पत्थर (गीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक - 252, कुल क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित क्षमता- 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एल.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा प्रथम 'बी-1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट क्लीयरेंस अथॉरिटी ई.आई.ए. नॉटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) नीचे जेल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेंद्र जोषेवार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं मेसर्स वी एम्ब एम सील्युमन्, मोएडा, उत्तरप्रदेश की और से श्री जगमोहन मन्दा उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इन्डियन माईनिंग प्लानर एम्ब कन्सलटेंट, सोलकाटा द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इन्डियन माईनिंग प्लानर एम्ब कन्सलटेंट द्वारा अनिश्चित कार्यों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु अपनी कार्यवाही

10/10/2022

को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एम्ब एन सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा अम्बरटेकिंग (Ambertekong) प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार मेसर्स पी एम्ब एन सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) वन फाईनल [आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। अर्जित प्रकरण के संबंधित समस्त तथ्यों का उल्लेखित मेसर्स पी एम्ब एन सील्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में कुल चार सड़क कसरत क्रमांक 252, कुल क्षेत्रफल - 0.83 हेक्टेयर, समतल - 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारित प्रक्रिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/08/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार पुरावोपन नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि साख), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4358/ख.नि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/11/2020 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उखनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2008-09	1,690	2014-15	निरत
2009-10	1,900	2015-16	
2010-11	2,450	2016-17	
2011-12	1,695	2017-18	3,500
2012-13	3,500	2018-19	2,900
2013-14	400	2019-20	2,800

- पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरान्त भी उखनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यवाहियों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक बढ़ि की गई है। तदनुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार-

"BA. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of

validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control.

उपरोक्त अधिसूचना को अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिससे सविधि सम्पन्न हुई।

- अ. इस संबंध में समिति का मत है कि मार्च 2020 के उपरोक्त किए गए उत्खनन की कार्यात्मक माफ़ की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित बनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. धाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में धाम पंचायत बल्लेपुर का दिनांक 27/12/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना – जारी प्लान (एरिअल थिथ इन्क्वायरीमेंट प्लान एंड जारी क्लेयर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघालक (खनिज), जिला-राजपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./टीन-8/2017/3534 राजपुर, दिनांक 07/03/2017 द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि टी.ओ.आर. के दौरान संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया था। अतः वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. 600 मीटर की परिधि में निम्न खदान- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4268/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार अर्धेडित खदान से 600 मीटर के मीटर अर्धेडित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.287 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/सार्वजनिक – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1881/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 08/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्राप्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकर्ट, बांध एवं जल संचयन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
7. भूमि एवं एल.ओ.आई, का विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। लीज बीमटी अरुणा जोषेकर के नाम पर थी। लीज डीज 3 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/11/1992 से 19/11/1995 तक की अवधि हेतु थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 20/11/1995 से 19/11/1998 तक की अवधि हेतु, द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/1998 से 19/11/2008 तक की अवधि हेतु एवं तृतीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/2008 से 19/11/2013 तक की अवधि हेतु किया गया था। उपरोक्त लीज डीज में 3 वर्ष की दिनांक 20/11/2013 से 19/11/2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसंरक्षक(आर.डी. वनसंरक्षक सीरमपूर, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./न.क्र.

28/2358 खैरागढ़, दिनांक 01/07/2020 से जारी अनामित प्रस्ताव पर अनुसूत आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.95 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **सर्वसंपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी घास-बालूकता 900 मीटर, स्कुल घास-बालूकता 1 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राजमार्ग 23 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 4.8 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, सैन्यीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफ्टी पोल्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खान खनन एवं खान का विवरण** – जिम्बोलीजिकल रिजर्व 2,55,000 टन, माईनेबल रिजर्व 87,180 टन एवं रिजर्वेबल रिजर्व 83,480 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4.079 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर की, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संवेदित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में जल स्थिति नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कोटल ब्लॉकिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचनात किया जाता है। वर्षवार वार्षिक उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वार्षिक उत्खनन (टन)
2017-18	10,000	3,900
2018-19	10,000	2,900
2019-20	10,000	2,600
2020-21	10,000	7,100
2021-22 (दिनांक 31/12/2021)	10,000	2,900

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	10,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	10,000
पंचम	10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से माध्यम से की जाएगी। पृ-जल की

(Handwritten signature)

अनुमोदित हेतु सेक्टर प्रारम्भ बीटर असाइटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **पुनर्वास कार्य** - सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 1,000 मग पुनर्वास किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बायम्यू में (1,000 मग) पुनर्वास हेतु	पुनर्वास (30 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	75,000	7,500	7,500	7,500	7,500
	सिमेंट हेतु राशि	1,26,950	-	-	-	-
	कार्ड हेतु राशि	7,500	750	750	750	750
	सिंवाई एवं रक-पछाव हेतु राशि	2,46,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000
कुल राशि = 13,53,800		4,56,400	2,24,350	2,24,350	2,24,350	2,24,350

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन** - सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,079 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिशा में 412.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, पश्चिमी दिशा में 1,125 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिशा में 990 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिशा में 240 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संबंधित माइनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त का उत्पन्न है। अतः परियोजना प्रस्तावक को विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अर्थात् उत्खनन किन्हे जाने हेतु अर्थात् राशि रुपये 80,100/- लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/06/2022 द्वारा अर्थात् राशि रुपये 80,100/- खनिज विभाग में जमा किया जाकर स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में अर्थात् उत्खनन किया जाना जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरूद्ध निम्नानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण संकेत, मग समुद्र अदल नगर की आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि श्रावत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलसामु परिचालन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे बोल माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्त जारी की गई है। शर्त क्रमांक 718(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

इस मानक शर्त के अनुसार माइन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में पुनर्वास किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विरलेषण** -

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य आरंभ 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मान, 10 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मान, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मान, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के मयूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का साम्प्रदायिक लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	25.32	44.77	60
PM _{2.5}	47.22	87.16	100
SO ₂	7.24	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स एवं अन्य रासायनिक लवों का साम्प्रदायिक लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	64.67	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक मान से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना- नयी बहनों / मल्टीएकल हीवी बहनों को सम्बन्धित करते हुए ट्रेडिंक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उल्लेख 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तात्पर्यार्थ कुल 54 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उल्लेख भी सी-स्टेडियल / प्रोजेक्ट्स के परिवर्तन हेतु सड़क मार्ग की लीड कैपिंग प्रस्ताव निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) से नीचे है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 बीमहर 12:00 बजे स्थान -- राम पीसास मंगल कलकत्ता, राम-कलकत्ता, तहसील-खैरनगढ़, जिला-राजनांदगांव में संघन हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, जलसिमाई पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रामपुर अटल नगर, जिला-राजपुर को पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए कम्प्लेक्स में कुल 14 खदानें आती हैं, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं बीच खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई करवाया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- a. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिविवेक करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं जो उस खदान के चारों तरफ सार खांटे का घेरा किया जाता था। पूर्व में खदान में 5-7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
- b. हीवी क्वारिंटिंग से पत्थर के टुकड़ों को खेत में चले जाते हैं एवं क्वारिंटिंग को पूर्व किसी प्रकार से सुचना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्टेलस काब्रूर कारीरिक धति होती है।
- c. खदान को खोलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुकी है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। बांध में सिंचाई हेतु एकमात्र सामान 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं सकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।
- iv. प्राथमिकता को अन्वय पर संबंधित शान्ती को लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम को निवासियों के लिए स्वस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- a. प्रदूषण का मुख्य कारण मूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का विकल्प किया जाएगा। खदान को चारों ओर तथा कच्ची सड़क को चिनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे मूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारों तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।
 - b. अनुभवी कंट्रैक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल क्वारिंटिंग किया जाएगा, क्वारिंटिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। क्वारिंटिंग को पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सुचना दी जाएगी।
 - c. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।
 - iv. शिक्षित बेरोजगारों को खेती के अन्वय पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। शान्ति के लिए समय समय पर स्वस्थ शिविर लगाया जाएगा।
20. क्लरिफर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लरिफर में कुल 14 खदानें आती हैं। अतः क्लरिफर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-



विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
3.7 कि.मी. बाहुँच मार्ग के दोनों तारक (2.487 मग) पुस्तारोपन हेतु	पुस्तारोपन (30 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,282	18,772	18,772	18,772	18,772
	पेंसिंग हेतु राशि	19,73,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	18,800	1,880	1,880	1,880	1,880
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		35,54,482	8,84,632	8,84,632	8,84,632	8,84,632

कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परिवर्धित प्रस्तावक की सहायित निम्नानुसार होगी—

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
3.27 कीटर मार्ग के दोनों तारक (1.61 मग) पुस्तारोपन हेतु	पुस्तारोपन (30 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	11,478	1,140	1,140	1,140	1,140
	पेंसिंग हेतु राशि	1,20,800	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,200	120	120	120	120
	सिंचाई एवं रख- रखाव हेतु राशि	83,081	53,081	53,081	53,081	53,081
कुल राशि = 4,33,921		2,18,557	54,341	54,341	54,341	54,341

21. भारत सरकार, पर्यावरण, जन शक्ति जलवायु परिवर्तन संजाल, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (ज्या संबंधित) के प्रावधानों एवं कानूनीय एन.पी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कलक्टर हेतु कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा जल के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं नीतिक सहायित सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर में आने वाले खदानों की सखनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घाटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाली सैब सम्बन्ध खदानों को शामिल करके, कलक्टर हेतु कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कच्चाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिज, इंधन, ईंधन, तथा राष्त्र अटल मन्त्र, जिला - राष्त्र (प्रतीसगड़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त विन्यानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van	10.14
			Nirman	
Total			10.14	

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिवेक वन निर्माण" के लक्ष्य (अंधला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षा रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 788 नए पेड़ों के लिए राशि 27,648 रुपये, पंशिंग के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 2,48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,48,648 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,488 रुपये हेतु बजटवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत कालकसा के सहमति उपरोक्त वृक्षा रोपण स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) के संस्था में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान में प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र में आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें होना बताया गया है जबकि अनुवीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें क्वार्टर में आती हैं। अतः समिति का मत है कि आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी छविज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. अपनी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्प्राप्त हेतु किये जाने बाबत समय पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही तथ्य पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्कालय कार्यसमिति से विन्यानुसार निर्देश दिया गया था:-

1. मार्च 2020 के उपरोक्त किए गए उत्खनन की कार्यावधि मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति से छविज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के दौरान संतोषित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संतोषित अनुसंधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।



3. आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करताकर प्रस्तुत किया जाए।
4. खपरी मिट्टी को लीज रोच को बाहर मंत्रारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुस्प्रयोग न करने, विख्या न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्भरण कार्य में किये जाने बाबत राय पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संबंधित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षित के शर्तों के तालम में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, माला सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिकल्प, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना चाहे जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षित के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार पुनर्भरण इसी मानसून में करते हुए सीमा में संतुलन (Stabilization) एवं सीमा को नाम का चलेसा किया जाकर सीमापालन संबंधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. ब्लास्टिंग का कार्य सी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत लिसेंसहोल्डर लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत राय पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. क्लस्टर हेतु खोपन इन्फार्मेशन मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में जाने वाले समस्त खदानों द्वारा खोपन इन्फार्मेशन मेनेजमेंट प्लान को तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुसंधान कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. क्लस्टर में जाने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर घटने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु खोपन इन्फार्मेशन मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित हेतु रीजलरक, मंत्रालय, सीमापालन, सीमापालन, इन्फार्मेशन मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (प्रतीकण्ड) के तार से समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
11. जनमानसों के टीका प्राप्त शिकायत "खदान की खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके हैं। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। नाब में सिंचाई हेतु एकमात्र राधान 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं सकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। खेती बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।" यह शिकायत अत्यंत गंभीर प्रकृति की है। जिसका समाधान कालक उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं दिया गया है। अतः इस संबंध में जल संसाधन विभाग से अनुरोधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आवामी कार्यवाही की जाएगी।



तदनुसार एस.ई.ए.सी., चलीसगढ़ के डायन दिनांक 04/08/2022 को परिशेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/वसतीलेज दिनांक 20/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (ग्रामिण शाखा), जिला-चौनागढ़-घुईखदान-गन्डई के डायन क्रमांक /4/स.सि.02/2022, दिनांक 13/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये परखन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2020-21	8,400
2021-22	10,000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी चलाने किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 28/03/2020 के अनुसार विन परियोजनाओं एवं कार्यकालों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/08/2020 तक वृद्धि की गई है। तदनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/08/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/08/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी चलाने का कार्य किया गया है। अतः परखन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार परखन की प्रकरणी हेतु स्टैण्डर्ड ऑप प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and
 - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities



relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

- iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.
- iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किंग् डफ् उल्लंघन के लिए Environment Compensation की प्रति का उपयोग आरा-वास के राष्ट्रीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवीटर हाईविटिंग व्यवस्था, लालक गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किंग् जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवाहक का विवरण) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. नीटिकाईड क्वारी प्लान (क्वारी वन इन्स्टापरमैट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघराजक (खनि प्रदा), संघराजनालय, भीमिडी तथा खनिभर्न, नया रावपुर अटल नगर द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित नीटिकाईड क्वारी प्लान में आवक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। आत अनुमोदित नीटिकाईड क्वारी प्लान के अन्तर्गत श्रेटर (आवक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. कार्यलय कारोक्टर (खनि राखरा), जिला-राजनादगांव के आरण क्रमांक/1574/ख.लि.02/2022 राजनादगांव, दिनांक 17/08/2022 अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर के नीतर आवेदित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.321 हेक्टर है।
5. क्वारी मिट्टी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह पूर्व से संघराजित खदान है, जीज क्षेत्र के नीतर वर्तमान में क्वारी मिट्टी आवेदित नहीं है। पूर्व में उल्लेखित क्वारी मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जा चुका है।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में जी गई कारोवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रावपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. पूर्व में किये गए वृक्षारोपण की फोटोग्राफा प्रस्तुत की गई है। पीछी का संघराजित (Numbering) एवं पीछे का नामकरण नहीं किया गया है साथ ही इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्रारंभ होने उपरोक्त पीछी

का संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे का मानचित्रण कर फोटोवापस प्रस्तुत किया जाएगा।

8. एक्सप्लोसिव का कार्ड सी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक मकहौ में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में जाने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को लागू किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
10. जनसुनवाई के दौरान प्रायः शिकायत के संबंध में प्रायः पंचायत कलकला द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं नहन वाली का संभारण बरसात के उपरांत प्रायः पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। जनसुनवाई के दौरान यह शिकायत सुर्मावनापक की गई है। सत्य ही प्रायः पंचायत कलकला द्वारा जारी पत्र अनुसार नु-जल स्तर की गहराई 150 से 200 फीट के उपरांत है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में जल संसाधन विभाग से निरीक्षण करवाने हेतु लेख किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के मातलब में की गई कार्यवाही की विन्युक्त जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया दहली से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. मॉनिटरिंग जारी प्लान की कार्यालय लेटर (आयक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तावक द्वारा खदान का अडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रस्तावीन अवधि में दर्नक्षेपण की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार अर्धवार्षिक अडिटेड किया जा सके।
6. जनसुनवाई के दौरान प्रायः शिकायत के संबंध में प्रायः पंचायत कलकला द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं नहन वाली का संभारण बरसात के उपरांत प्रायः पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। जनसुनवाई के दौरान यह शिकायत सुर्मावनापक की गई है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में जल संसाधन विभाग से निरीक्षण करवाकर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया जाए।



7. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उत्सर्जन के लिए Environmental Compensation की राशि का उपयोग आस-पास के प्राथमिक स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रैनवीटर हावीसिटीन व्यवस्था, तालाब पहाड़ीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं सुधारोपन किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यकार वर्ष का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्दिष्ट शर्तानुसार सुधारोपन इसी नामकून में कलौ हुए शर्तों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे की नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोड्राफ्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

जल संसाधन विभाग को पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मेरसा दुमरडीहकला लाईन स्टॉन क्वारी (श्री.- श्री मनिंदर सिंह गरवा), ग्राम-दुमरडीहकला, तहसील ब खिला-राजनादिगांव (छत्तीसगढ़ का नक्का क्रमांक 1081ए)

श्री.लाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42880/ 2018, दिनांक 18/10/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। शीमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42880/ 2018, दिनांक 08/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित भूख पत्थर (सीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-दुमरडीहकला, तहसील ब खिला-राजनादिगांव स्थित खदान क्रमांक - 108/2 एवं 3, कुल क्षेत्रफल-0.8008 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्सर्जन क्षमता-14,825 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ से आपन दिनांक 08/06/2020 द्वारा प्रकल्प 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकृतिगत स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिक्वेस्ट (टी.ओ.आर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरींग इन्वायलमेंट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) गीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ से आपन दिनांक 23/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीडको का विवरण -

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनिंदर सिंह गरवा, प्रीमार्इटर एवं मेरसा पी एमड एम सी.ए.ए.सी. नौरा, उतावगढ़ की ओर से श्री जगदीश बन्दा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण को दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट मेसर्स इन्डियन गार्डन फ्लानर एन्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इन्डियन गार्डन फ्लानर एन्ड कन्सलटेंट द्वारा अनविश्वस्य कार्यों से आवेदित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एम्क एम सॉल्युशन, मोरदा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। उत्तरप्रदेश मेसर्स पी एम्क एम सॉल्युशन, मोरदा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) करवाई गयी ईआईए रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकल्प से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एम्क एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में कुल पत्थर खदान खसरा क्रमांक 106/2 एवं 106/3, कुल क्षेत्रफल-0.808 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-14,826 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निरीक्षण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंध प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्दिष्ट शर्तानुसार पुरालेपन नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि साखा), जिला-राजनांदगांव की छापन क्रमांक 1341/क.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 को अनुसार विगत वर्षों में विभिन्न वर्षों उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)	वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)
अगस्त 2009 से दिसंबर 2009	551	जनवरी 2017 से दिसंबर 2017	570
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010	2,057	जनवरी 2018 से दिसंबर 2018	649
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011	2,130	जनवरी 2019 से दिसंबर 2019	1,339
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012	1,850	जनवरी 2020 से जून 2020	7,700
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013	8,090	जुलाई 2020 से दिसंबर 2020	निरा
जनवरी 2014 से अगस्त 2014	17,800	जनवरी 2021 से जून 2021	626
दिसंबर 2014 से दिसंबर 2016	निरा	जुलाई 2021 से दिसंबर 2021	निरा

(Handwritten Signature)

अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018	150	जानवरी 2022 से मार्च 2022	3,800
--------------------------------	-----	------------------------------	-------

- घ. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरोक्त भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परिवोजनाओं एवं कार्यकार्यों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। इनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार-

"BA, Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

- ख. समिति का मत है कि परिवोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण बताया जाना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुनसरीखन्ना का दिनांक 22/02/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही केन्द्र सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 4. उत्खनन योजना - संविधानसभा क्वारी प्लान (क्वारी काम इन्वायरी-रीट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो कि संयुक्त संचालक (ख.प्र), संचालनालय, भीमिडी तथा खनिजों, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा अ. 843/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.अ.05/2019(1) नया रायपुर, दिनांक 26/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
 5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्पोलेय कलेक्टर (खनि सारंग), जिला-राजनांदगांव के द्वारा असांक/1342/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/08/2022 अनुसार अर्पित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.318 हेक्टेयर है।
 6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सर्वकार - समिति का मत है कि कार्पोलेय कलेक्टर (खनि सारंग) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मराठा, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनिकेट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



7. भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज भी मण्डिर सिंह मरवा के नाम पर है। लीज डीज 5 वर्षों अवधि दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक की अवधि हेतु है। तत्पश्चात् लीज डीज 25 वर्षों अवधि दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के द्वारा डा./मा.वि./म.अं. 10-2/2019/13188 राजनांदगांव, दिनांक 24/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम खेती का उल्लेख है। अतः ग्राम कुमरवाडीहवा, तहसील व जिला-राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकलता वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महावृक्ष संरचनाओं की दूरी - निकलता आबदी ग्राम-टेलवाडीह 1.2 कि.मी, प्रस्तुत ग्राम-टेलवाडीह 1.2 कि.मी. एवं अल्पताल टेलवाडीह 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.8 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संरक्षणीय क्षेत्र - परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जैवविविधता पॉइन्ट्स एरिया, पारिस्थितिकीय संरक्षणीय क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. खनन संकेत एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 3,44,800 टन, साइनेबल रिजर्व 1,18,822 टन एवं रिजर्वेबल रिजर्व 81,583 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर है। औपम कास्ट सेमी मेकानाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 0,540 घनमीटर है, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। क्षेत्र की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डीक ईयर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्लॉटिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,500	षष्ठम	8,500
द्वितीय	8,500	सप्तम	8,500
तृतीय	8,500	अष्टम	8,500
चतुर्थ	8,500	नवम	8,500
पंचम	8,500	दशम	8,500

[Handwritten Signature]

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बीकानेर के माध्यम से की जाएगी। न्यून-जल की उपस्थितिता हेतु सैन्यल सार्वजनिक बीकानेर अखीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 228 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बाधण्टी में (228 नम) वृक्षारोपण हेतु	24,828	2,508	2,508	2,508	2,508
पेसिंग हेतु राशि	41,000	—	—	—	—
खाद हेतु राशि	2,480	240	240	240	240
मिथाई एवं रकम-रक्षण हेतु राशि	2,48,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000
कुल राशि = 11,89,380	3,14,368	2,18,748	2,18,748	2,18,748	2,18,748

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उखनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिशा में 130 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक, पश्चिमी दिशा में 830 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिशा में 130.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिशा में 472.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उखनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संबंधित माइनिंग प्लान में किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध खनित विनाम द्वारा अर्थ उखनन किये जाने हेतु अर्बदण्ड राशि रुपये 1,01,000/- लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2023 द्वारा अर्बदण्ड राशि रुपये 1,01,000/- खनित विनाम में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अर्थ उखनन किया जाना पड़े जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन बेल्ट माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 5(A)(c) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of GPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमा जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

PL

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का निष्लेषण :-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जांचकारी - मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सखी जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम₁₀, एसओ₂, एनओ₂ का मानदम लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	21.38	40.45	60
PM _{2.5}	42.65	65.53	100
SO ₂	5.69	9.67	60
NO ₂	9.48	15.65	60

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये लेवल अनुसार फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, कल्डर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रासायनिक लवणों का मानदम लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	43.2	61.1	70
Night L _{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- गरी बहने / मल्टीएलएल डीपी बहने को समायोजित करते हुए ट्रांजिट अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MC ratio) 0.06 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MC ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी पी-मटेरियल / ग्रेडमैट्स के परिष्कार हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 17/06/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - ग्राम संचालक भवन, ग्राम - कुमरडीहकला, लखीसराय जिला - राजनांदगांव में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावक सदस्य सहित, उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रामपुर अटल नगर, जिला-राजपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को सम्मिलित करते हुए क्वेस्टर में कुल 31 खदानें आती हैं, जिनमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।



अतः कुल 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई करवाया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. खदान से निकलने वाले मिट्टी को वाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। नाप में परिवर्तियों के लिये प्राव नहीं बखाल है।
2. ईवी अस्मिंटिंग से घटों में दरान आ जाती है। अस्मिंटिंग के समय घटेली में घलना दुर्गर होता है. अस्मिंटिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।
3. खदान में काम करने वाले श्रमिकों को जखमत की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। इसार सड़क से लगा हुआ है, उसको चलने के कारण कई एम्बोडेंट हो चुके हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
4. नाप के पास शालासीय भूमि का अर्थैय रूप से उत्खनन किया जाता है। फ्लारोपण तथा जल छिड़काव का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान प्रदाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. खदान से निकलने वाले मिट्टी को वाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में फ्लारोपण का कार्य किया जाएगा।
2. अनुमती कंटेक्टर की नियतनी में ही कंटेनर अस्मिंटिंग किया जाएगा, अस्मिंटिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। अस्मिंटिंग के पूर्व हुटव बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे श्रमिकों को कम नुकसान का परेशानी नहीं होगी।
3. खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य विवरण लगाया जाएगा।
4. सर्वेक्षण प्लान के अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खदान के बायपासी तथा होल रोड में फ्लारोपण का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। फ्लारोपण एवं जल उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

20. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करती हुये कलक्टर में कुल 31 खदानें आती है। अतः कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान को तालु निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
4.7 कि.मी. चौंय मार्ग के दोनों तरफ (3.133) फ्लारोपण (30 अतिवात जीवन एवं हेतु सति) सति	2,38,108	23,788	23,788	23,788	23,788
कॉमन हेतु सति	25,08,400	-	-	-	-



नया)	खाद हेतु राशि	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000
कुआरोपन हेतु	सिंचाई एवं रक-रखाव हेतु राशि	18,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000
कुल राशि =		88,78,800	11,06,788	11,06,788	11,06,788	11,06,788

कीमन इन्व्हायर्मेन्ट मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
120 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (80 नया) कुआरोपन हेतु	कुआरोपन (80 प्रतिवर्त जीवन एवं हेतु राशि	8,232	808	808	808	808
	सिंचाई हेतु राशि	85,800	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	600	60	60	60	60
	सिंचाई एवं रक-रखाव हेतु राशि	32,746	27,746	27,746	27,746	27,746
कुल राशि =		2,18,828	1,05,177	28,413	28,413	28,413

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए, अधिसूचना, 2008 (नया संशोधित) के प्रावधानों एवं मानकीय एनजीटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कीमन इन्व्हायर्मेन्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं नीतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन परिधिधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली रोज सामान खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कीमन इन्व्हायर्मेन्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाने तथा क्लस्टर से विन्यासित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिधी तथा खनिक, इंडावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के साथ से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना चाहिए होगा।

22. अनुसूचीकरण के दौरान परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए क्लस्टर में कुल 31 खदानें जाती है, जिनमें से कीमन में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं रोज खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः 17 खदानें ही सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से सीईआर के अंतर्गत (1) मार्ग के पट्टेय मार्ग में कुआरोपन (2) अखन घाट के घाटी तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में कुआरोपन (3) बड़े तात्विक पर (आयना, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) कुआरोपन कार्य किया जावे।

परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा दाम पंचायत कुलडीहकला के सहनीय उपरंत संचालीय स्थान (अन्य खनन प्रजाति 802, 818/2, 804, क्षेत्रफल 0.835

हेक्टियर, 0.324 हेक्टियर, 0.287 हेक्टियर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा सी.ई.आर. के अंतर्गत 17 खादानों हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

(1) टैलरवाडीह सराफा में कुल दुमरडीहकाल के पशुधन मार्ग के दोनों तरफ (कुल लम्बाई 1.4 कि.मी.) में कुलरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग चौधों के लिए 76,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,00,000 रुपये, खाद के लिए राशि 7,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 4,18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,99,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,87,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(2) राजधान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी (क्षेत्रफल 3,240 वर्गमीटर) में कुलरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 72 नग चौधों के लिए राशि 8,352 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 87,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,980 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,23,302 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,68,180 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(3) बड़े लालाब (क्षेत्रफल 9,020 वर्गमीटर) पर (आंबला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) कुलरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग चौधों के लिए राशि 11,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,750 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,88,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,380 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,88,740 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय ज़िम्मेदार (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.5	Following activities at nearby, Village-Dumardihkala	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	11.91
			Total	11.91

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ललाब काली में से सी.ई.आर. के अंतर्गत बड़े लालाब (क्षेत्रफल 7,800 वर्गमीटर) पर (आंबला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) कुलरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग चौधों के लिए राशि 11,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,750 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 37,427 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,31,827 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 85,848 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

28. ऊपर की मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्षय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्स्थाप हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सत्य पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परिशोधना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तदसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. घाग पंचायत के अनाथालय प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 250 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनोकर, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में स्थिति विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. घाग कुम्हलीखोला, तहसील व जिला-राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनाथालय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपर की मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्षय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्स्थाप कार्य में किये जाने बाबत सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परिशोधना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जी नई कार्यवाही की विनियोजित जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित सार्वजनिक सुशोधन इली नानशून में करते हुए पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोवाला सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अर्थात् उत्खनन किया जाना चामे जाने का परिशोधना प्रस्तावक के विरुद्ध विनियानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु उत्तरीतम पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाए।
9. ब्लैस्टिंग का कार्य जी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. ब्लैस्टर हेतु सीमन इन्फ्लैमेटोरी मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही ब्लैस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा सीमन इन्फ्लैमेटोरी मैनेजमेंट प्लान को तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

11. कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों की लिए टीका वॉचिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सेनेजमेंट प्रदान हेतु सभी खदानों को अद्यतन एवं रेगुलर सटिल नक्शे में दर्शाते हुए पुनर्नियमित कर प्रस्तुत किया जाए।
12. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना जाये जाने पर परियोजना प्रसाधक को विरुद्ध पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अदालत नगर को नियमानुसार अवैध उत्खनन कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
13. कलक्टर में जाने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संरक्षण हेतु कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, कलक्टर हेतु वॉचिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सेनेजमेंट प्रदान टीका किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिज, इलाहाबाद मण्डल, नया रायपुर अदालत नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त संचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत अगामी कार्यवाही की जाएगी।

कवानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 04/08/2022 के परिच्छेद में परियोजना प्रसाधक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 426वीं बैठक दिनांक 21/08/2022:

समिति द्वारा कती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संक्षेप में परियोजना प्रसाधक का कथन है कि चूंकि यह पूर्व से संचालित खदान है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की केषत स्थापित के पश्चात् खनिज विभाग के आदेशानुसार ही खनन कार्य किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रसाधक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/03/2020 को सनाया होने के उपरंत भी उत्खनन किया गया है। इस संक्षेप में परियोजना प्रसाधक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की केषत दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य संपन्न हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की केषत दिनांक 30/08/2020 तक वृद्धि की गई है। तदनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की केषत दिनांक 30/08/2020 तक थी। समिति द्वारा कहा गया कि परियोजना प्रसाधक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की केषत दिनांक 30/08/2020 को सनाया होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उत्खनन का प्रकरण होने के प्रकरण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतिम मेम्बेरेशन दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in



accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, नवीकरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस नोर्माटिवन दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु सॉफ्टवेड ऑफ प्रोसिजर (SOAP) जारी की गई है, जिसके अनुसार-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - d) Damage Assessment.
 - e) Remedial Plan and
 - f) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.
- iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EEMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त विन्दुओं के अन्तर्गत पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस-पास के शहरीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में लैन्ड्रीट ड्राईनिंग व्यवस्था, लालाय महरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षरोपण किए जाने हेतु वितरित कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कर्मचारियों का विवरण) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उल्लंघन के संबंध में दान पंचायत कुमराडीहकला का दिनांक 22/02/2003 का अनाबंति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि दान पंचायत के अनाबंति प्रमाण पत्र (अन्यथाही बीच सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एन्रीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। संबंध में नाथय सहस्रीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा कार्ययोजना कलेक्टर (चरनिज साखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एन्रीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र

10/10/2022

निष्पत्त है अथवा नहीं? के संबंध में इमार्गित कठोर जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय वनमन्त्रालय अधिकारी, राजनांदगांव वनमन्त्रालय, जिला-राजनांदगांव को ज्ञापन क्र./मा.वि./न.अ. 10-2/2018/5086 राजनांदगांव, दिनांक 04/07/2022 से जारी अनारपित जंगल पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर निष्पत्त है।
6. लीज क्षेत्र से निकलने वाली छपरी मिट्टी को सहजता प्राप्त भूमि (जंगल अर्थात् 343, एका 0.518 हेक्टेयर) में संक्षिप्त कर संरक्षित रखे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के चलन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. पूर्ण में किये गए फोटोग्राफ की फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गए हैं। पीछे का संख्यांक (Numbering) एवं पीछे का नामकरण नहीं किया गया है साथ ही इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्रारंभ होने उपरांत पीछे का संख्यांक (Numbering) एवं पीछे का नामकरण कर फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाएगा।
9. एक्सप्लोसिव का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तैयार किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध करार कर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्थात् एवं देखाकर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
12. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये उपाय अनुसार कार्य किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. नविष्ठ में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन समाप्त से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का कथन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सत्य पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के तालम में जो नई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रावपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. वन संसाधन के अनापेक्षित प्रभाव (कार्यवाही केन्द्र सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/09/2022 तक की अवधि का परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा खदान का अडिटेड वार्षिक रीपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रस्तावीत अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार अडिटेड अधिरक्षित किया जा सके।
5. समिति द्वारा परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आम-प्राप्त के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में स्वीटर हाईनिंग व्यवस्था, टालार गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यकाय कार्य का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परिवर्तन प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया जाए।
6. कार्यालय बलेस्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की दूरी में कोई भी मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुक्रम निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इन्से मानसून में करते हुए पीछे में संख्यांक (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिवर्तन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रावपुर को पत्र लेख किया जाए।

13. मेजर सुमरडीहकला लाईन स्टोन कारी (प्रौ.- श्री कवन रायवा), ग्राम-सुमरडीहकला, तहसील ब जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1010)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 43820, दिनांक 08/11/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 73813/ 2020, दिनांक 07/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्यालय ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित चूना पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान ब्लॉक-डुमरडीहखला, ताहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक-23, कुल क्षेत्रफल-0.831 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-18,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 08/08/2020 द्वारा प्रकल्प 'बी' सैंटिग्रेट का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिज्वायरिंग इन्फार्मेट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक मुनवाई सहित) नीम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 08/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी मांगवा, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एच एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से की जनसंवेदन चर्चा आयोजित हुई। समिति द्वारा मेसर्स प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई-

1. प्रस्तुतीकरण की वीथन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्रान्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इन्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सल्टेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इन्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सल्टेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्वीकृति जारि हेतु आपानी कार्यवाही को जारी रखने में असममता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एच एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा अम्बरटेकिंग (Amber-tekling) प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार मेसर्स पी एच एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकल्प से संबंधित मांगवा तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एच एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 23, कुल क्षेत्रफल-0.831 हेक्टेयर, क्षमता-18,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभायाल निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 08/08/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. निर्धारित शर्तानुसार पुराचीकरण किया गया है।

121

- iv. कार्यलय कार्डबोर्ड (ऑफिस बोर्ड), जिला-राजनांदगांव के ड्राफ्ट क्रमांक 1394/ब.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 08/07/2022 द्वारा विपत लकी में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2009	625	2017	2,050
2010	8,487	2018	13,250
2011	658	2019	5,900
2012	9,820	2020	5,520
2013	5,395	2021	2,000
2014-18	निरंक	2022 (मार्च तक)	1,000

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरान्त भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जहाँ पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनको पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा कहा गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के बावजूद भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उत्खनन का प्रारंभ होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उत्खनन के प्रारंभ होने हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and
 - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State

Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

- iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EEMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत पर्याप्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुमरडीहकला का दिनांक 12/12/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन खोजका – नॉडिफाईड क्वारी प्लान (विश्व इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व्हाई क्वारी कलेक्टर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, खोमिडी लक्ष खनिज, नया राखपुर अटल नगर के द्वारा जमांक 643/खनि02/म.प.अनुमोदन/प.ज.06/2019(3) नया राखपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा जमांक/2634/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि अर्थात् 10 खदानें, क्षेत्रफल 10.66 हेक्टेयर है। प्रस्तुतकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करने वाले 500 मीटर की परिधि अर्थात् कुल 32 खदानें हैं। इस संबंध में परिधि का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि अर्थात् अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा जमांक/2634/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मीटर, परिवहन, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनिकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री सोहन झाजनांदगांव के नाम पर थी, जिसकी अवधि 05 वर्ष (दिनांक 28/05/2008 से 27/05/2013) तक थी। तत्पश्चात् लीज श्री 28 वर्ष अर्थात् दिनांक 28/05/2013 से 27/05/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के पु. द्वारा जमांक/471/ख.लि. 02/2017 राजनांदगांव, दिनांक 01/03/2017 को लीज का हस्तांतरण श्री पवन चण्डा के नाम पर किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. वन विभाग का अनापत्ति इमान पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव को डायन क्र./मा.दि./न.क्र. 10-2/2018/13139 राजनांदगांव, दिनांक 23/12/2018 से जारी अनापत्ति इमान पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आसपी घास-झाड़ 1 कि.मी., स्कूल घास-झुमरखीड़ 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब घास-झाड़ 1 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीवविकिपला सर्वेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिगारी पीन्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविकिपला क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – विनोदविजय रिजर्व 1,89,300 टन (78,730 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 79,082 टन (30,033 घनमीटर) एवं निकरबल रिजर्व 28,101 टन (11,240 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,944 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकनार्जिज विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,000 घनमीटर था। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं सेंट्रल स्टाफिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्तेम किया जाएगा। परिवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरहेल के माध्यम से की जाएगी। इस बचत सेन्ट्रल वाटरवर्क वीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में 836 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय संरक्षण योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बाह्यपट्टी में (836 नम) वृक्षारोपण	45,336	4,864	4,864	4,864	4,864
	79,100	-	-	-	-

हेतु	खाद हेतु राशि	4,770	480	480	480	480
	सिंचाई एवं खाद-रखाव हेतु राशि	2,08,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000
	कुल राशि = 12,53,582	3,68,208	2,21,344	2,21,344	2,21,344	2,21,344

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खनन - सीज क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,344 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 84.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 780 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 80 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 231 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उल्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉनिटरिंग जॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। उक्त परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा अर्थ उल्खनन किये जाने हेतु अर्बदम्ब राशि रुपये 1,38,000/- लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2023 द्वारा अर्बदम्ब राशि रुपये 1,38,000/- खनिज विभाग में जमा किया जाकर स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अर्थ उल्खनन किया जाना चाहे जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरण को हानि पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, राई चामपुर अटल नगर को अलाचक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राई दिल्ली द्वारा ग्रीन बेल्ट माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 13(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार ग्रीन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्ड अक्टूबर 2020 से विंगर 2020 के माध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परियेवीध वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एलसी, एनसी, का मानक लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	21.38	40.45	60

PM ₁₀	42.65	68.33	100
SO ₂	5.09	9.67	80
NO ₂	9.48	15.95	80

- ii. **परिदोषना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लीयरिजस, हाइड्रोजन, काल्शम, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।
- iii. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**—

Equivalent Noise level	Noise level - dB (A)		CPCB Standard dB (A)
	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	
Day L _{eq}	43.2	61.1	75
Night L _{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त स्तर से निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- iv. **पी.सी.यू. की गणना**— नयी गाड़ियों / मल्टीएक्सल डीपी गाड़ियों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं जी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 है। प्रस्तावित परिदोषना उपरांत 8 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तापस्थान कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं जी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी पी-सी-मेट्रिक्स / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) से भीतर है।
18. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - राम पंचायत भवन, राम-कुमरडीहकला, ताहसील ब. जिला-राजनांदगांव में संलग्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदनक सचिव, राष्ट्रीयराज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 09/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिदोषना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये कालक्टर में कुल 32 खदानें आती हैं, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानें द्वारा पर्यावरणीय नवीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय नवीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 17 खदानों द्वारा सामुहिक रूप से जनसुनवाई बनाया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे जाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी जाल किया गया है। गांव में परेशियों को जिनसे घात नहीं सकता है।
 - हेवी मशीनरी से धरों में दरार आ जाती है। मशीनरी के समय खोली में चलना दुर्भ्रम होता है, मशीनरी चलने के दौरान सड़क बंद बन दिया जाता है।
 - खदान में काम करने वाले श्रमिकों को जरूरत की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। अरण सड़क से लगा हुआ है, उसके चलने के कारण कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

16. गांव के पास हासवीय भूमि का अधिक रूप से उपखनन किया जाता है। कुआरोपन तथा जल संचयनाय का कार्य भी नहीं किया जाता है।

सोच मुचवाई के दौरान कटावे एवं विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिचोजना प्रस्तावकों की ओर से उपनिधाय प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान की 7.5 मीटर की सीमा पर्यंती में डालकर कुआरोपन का कार्य किया जाएगा।
2. अनुभवी कंटेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल खनितिंग किया जाएगा, खनितिंग निम्न स्तर पर किया जाय प्रस्तावित है। खनितिंग के पूर्व छुपर बजाकर सीमा की सूचना दी जाएगी, जिससे प्राणीयों को कम नुकसान का संशयनी नहीं होनी।
3. खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य तिविर लनायक जाएगा।
4. माइनिंग प्लान के अनुसार ही उपखनन कार्य किया जाएगा। खदान के बावजूद तथा होल रोड में कुआरोपन का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। कुआरोपन एवं छुल सलाजर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दी के तीन बार जल का संचयनाय किया जाएगा।

20. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान - परिचोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए कलक्टर में कुल 32 खदानें आती हैं। अतः कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपयें)	द्वितीय (रुपयें)	तृतीय (रुपयें)	चतुर्थ (रुपयें)	पंचम (रुपयें)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान साइकी/पहुंच मार्ग से उत्पन्न कुल सलाजर्जन के नियंत्रण हेतु जल संचयनाय, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 8 कि.मी.	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
पहुँच मार्ग के दोरी तार	4,05,508	40,508	40,508	40,508	40,508
(3,338 रूप) कुआरोपन हेतु	42,65,400	-	-	-	-
घाव सति हेतु	39,990	3,990	3,990	3,990	3,990

सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	20,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000
सड़कों / पट्टीय मार्ग के संभारण हेतु	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000
होम्य कंक्रिटिंग काम	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि = 1,81,29,890	75,89,898	26,32,498	26,32,498	26,32,498	26,32,498

कीमत इन्फ्लेशनमेंट मैनेजमेंट प्लान में परियोजना बजटवक की सहभागिता निम्ननुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रमुख नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग के सम्भारण कुल बजटवक के नियंत्रण हेतु जल विद्युत, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 242 मीटर, सड़कों / पट्टीय मार्ग के संभारण हेतु एवं होम्य कंक्रिटिंग काम	20,825.5	20,825.5	20,825.5	20,825.5	20,825.5
पट्टीय मार्ग के संभारण के लिए (अ) मार्ग)	8,158	808	808	808	808
वृक्षांश हेतु	64,800	8,400	8,400	8,400	8,400
	800	80	80	80	80
वृक्षांश हेतु	20,690.4	12,679.3	12,679.3	12,679.3	12,679.3
कुल राशि =	2,74,383.1	1,12,871.9	40,372.8	40,372.8	40,372.8

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सम्पूर्ण बजटवक हेतु कीमन इन्फ्लेशनमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बजटवक में शामिल सभी खर्चों द्वारा खर्च के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खर्चों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बजटवक में आने वाले खर्चों की संरक्षण परिधिओं से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु बजटवक में आने वाली सभी सम्भारण खर्चों को शामिल करने के लिए, बजटवक हेतु कीमन इन्फ्लेशनमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाने तथा बजटवक से क्रियान्वित खर्चों को हेतु मंत्रालय, संकलनालय, भौतिकी तथा अभिलेख, इलाहाबाद मन्त्र, मन्त्र सचिवालय

बनार, जिला - रायपुर (प्रदीपगढ़) के बाहर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) -- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के लक्ष्य विस्तार से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है--

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at nearby, Village-Dumardihkala	
			Paints Van	12.31
			Nirman	
			Total	12.31

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार "पब्लिक वन" के तहत (आंचला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) कुलरूपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 180 नग पौधों के लिए राशि 12,180 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 32,700 रुपये, खाद के लिए राशि 1,200 रुपये, सिंचाई तथा नहर-रखाव आदि के लिए राशि 3,18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,62,080 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,89,344 रुपये हेतु बजटवार व्यवसाय विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा धान पैदावार दुमरडीहकला के सहयोगी उपरोक्त पैदावार स्थान (खरसत इलाका 488, क्षेत्रफल 1.887 हेक्टेयर में से 0.1 हेक्टेयर) से संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. जमीन मिट्टी को लीच क्षेत्र के बाहर संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थापन हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

25. ब्लॉस्टिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा करने जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यसम्पत्ति में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि--

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संकलन, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का पालन प्रतिबंध प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करती हुई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भविष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन समता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाये जिससे कि खदान का इन्वेंटरी अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्बेड अधिसूचित किया जा सके।
5. आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी गहरी प्रमाण पत्र खनित विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
6. खलीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समय पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. लोडसुनवाई के दौरान जयपुर गवे क्लब भुद्री के निरुत्पन्न हेतु किये जाने वाले कार्यों संबंध समय पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अर्बेड रखरखन किया जाना चाहे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु खलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, महा रायपुर अटल नगर की आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
9. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में इंग्रेजित करते हुए जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों की अवकाश एवं रीसायन सहित नक्शे में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
11. कलक्टर में आने वाली खदानों की रखरखन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटना पर पहुंचने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संजालक, संजालगालघ, भीमिबी तथा खनिजन, इंदारली भवन, महा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (खलीसगढ़) के साथ से समयसमय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने परमांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एल.ई.ए.सी., खलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 28/08/2022 के परिप्रेष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा मती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह अन्ततः विस्तार का प्रकरण नहीं है; अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन स्वयं प्रगटित कर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(Handwritten signature)

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि हमारे द्वारा अतिरिक्त उखानन कार्य नहीं किया गया है। उखानन का कार्य खनिज विभाग से अनुमति प्राप्त होकर ही करना कार्य किया गया है तथा सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उखानन कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना नहीं की गई है। माइनिंग प्लान को अनुमोदित करवाने के समय क्षतिपूर्ति की राशि वास्तव उखानन का जमा किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा अतिरिक्त उखानन किये जाने हेतु अर्बदम्ब राशि रुपये 1,39,000/- लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/02/2022 द्वारा अर्बदम्ब राशि रुपये 1,39,000/- खनिज विभाग में जमा किया जाकर सीज की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उखानन का कार्य किया गया है। अतः उखानन का प्रकरण होने के कारण Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. समिति में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये किन्तु उखानन नहीं करने एवं उखानन क्षमता से अधिक उखानन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड वार्षिक सीज रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 5. कार्यलय कन्वेक्टर (खनि बाका), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/1393/ख.नि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 05/07/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.29 हेक्टेयर है।
 6. पर्यावरण आर्वात पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 7. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करने हेतु जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों की अस्थांश एवं वेस्टांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।



समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धी से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्योन्मय परियोजना, वन एवं जलवायु परिवर्तन नजदालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्धन प्राप्त वन प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त के लिए Environment Compensation की राशि की वास्तविक गणना करने हेतु जुलाई 2020 से अब तक किए गए उपखनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करके प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करती हुई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना वन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा खदान का अडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रभावी अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार अडिटेड अधिसूचित किया जा सके।
5. समिति द्वारा परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा किए गए उपखनन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आम-वास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रीनोवेट इन्फ्रस्ट्रक्चर, टालाब गहराकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं पुनरोपकरण किए जाने हेतु विस्तृत कार्योन्मय (समाप्तित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्योन्मय कार्य का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परिवर्तन प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया जाए।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार पुनरोपकरण इसी मानसून में करती हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिवर्तन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. मेरगाँव बोलबम मिनरल्स (प्रो.- श्री हाकर ज्ञानबेदानी), डाम-कलकला, तहसील-बीरामगढ़, जिला-राजनांदगाँव (सविद्यालय का नक्शा क्रमांक 1081बी) ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 43665/2017, दिनांक 27/12/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 43665/2017, दिनांक 19/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित घुना पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान डाम-कलकला, तहसील-बीरामगढ़, जिला-राजनांदगाँव स्थित खनन क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(घटी), कुल क्षेत्रफल-1.295 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उपखनन क्षमता-25,000 टन प्रतिवर्ष है।



पूर्व में एस.आई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्राप्य दिनांक 08/08/2020 द्वारा प्रकल्प 'बी' कोटेनरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकल्पित स्टैप्टर्ड एम्स जीव निवेश (टी.ओ.आर) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निष्कासन इन्फार्मेट कमीशन अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित कंपनी 1(ए) का स्टैप्टर्ड टी.ओ.आर (लोक पुनर्वास सहित) नोन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.आई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्राप्य दिनांक 08/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंकर ज्ञानचंदानी, प्रोफेसॉर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एच एम सील्युशन, मोरदा, उत्तरखंड की ओर से सीन्टी पुनर् मंचलन एवं श्री जयशंकर शर्मा उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौ, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में एस.आई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्राप्य दिनांक 08/08/2020 द्वारा मेसर्स महावीर कोस्टलकॉम्पनी (पार्टनर-की प्रशांत बोहरा) के नाम पर टी.ओ.आर. जारी किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का हस्तांतरण मेसर्स बोलबन मिनरल्स (प्रो.- श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज साख), जिला-राजनांदगांव के प्राप्य अंशक 1886/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2020 द्वारा उत्खनिष्टता के अंतरण अनुबंध बाध् चर जारी किया गया है।

साथ ही संयुक्त-संचालक (ख.ज.), संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्म, का रायपुर अटल नगर के प्राप्य अंशक 3632/खनि 02/रा.पर.अनुवीदन/न.क्र. 06/2018(2) का रायपुर, दिनांक 08/07/2021 द्वारा माडिफाईड स्वामी प्लान (स्वीटी का इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान) को भी मेसर्स बोलबन मिनरल्स (प्रो.- श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बोलबन मिनरल्स (प्रो.- श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु समिति के समक्ष अनुरोध किया गया।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्बनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इन्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इन्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कठिनाई से आवेदित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्वीकृति जारि हेतु आगामी कार्बनली को जारी रखने में अलक्षमता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एच एम सील्युशन, मोरदा, उत्तरखंड को नियुक्त किया गया। इस बाध् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्धरस्टेडिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार मेसर्स पी एच एम सील्युशन, मोरदा, उत्तरखंड द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर कार्बनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकल्प से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एच एम सील्युशन का होता बताया गया।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

[Handwritten Signature]

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(सर्ट), कुल क्षेत्रफल-1,296 हेक्टेयर, क्षमता-25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभायाल निर्धारण प्रक्रियाल, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार सुधारोपलन नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि साखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 261/ख.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 के अनुसार जिला वर्षी में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वार्षिक उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	वार्षिक उत्खनन (घनमीटर)
2007	—	2014	1,525
2008	555	2015	10,177
2009	516	2016	20,246
2010	276	2017	6,324
2011	3,715	2018	19,695
2012	662	2019	12,249
2013	1,702		

4. घाम संरक्षक का अनापति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में घाम संरक्षक खसरापुर का दिनांक 07/09/2007 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. उत्खनन योजना — जारी प्लान, विध खरीदी कलेक्टर प्लान एन्ड इन्हायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो घाम संरक्षक, कार्यालय कलेक्टर (खनि, जिला), जिला-राजपुर के डायन क्रमांक/लीन-6/ख.नि./2016/534 राजपुर, दिनांक 01/03/2016 द्वारा (मिसर्स नडावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर-बी प्रसांत मोहरा) के नाम पर) अनुमोदित है। तत्पश्चात् मॉडिफाईड जारी प्लान (खरीदी कम इन्हायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संरक्षक (ख.प्र.), संरक्षकालय, बीमिडी तथा खनि, नया राजपुर अटल नगर के डायन क्रमांक 2002/खनि 02/ख.प्र.अनुमोदन/प.क.05/2019(2) नया राजपुर, दिनांक 06/07/2021 द्वारा (मिसर्स बीलकम मिनरल्स (प्री.- बी संकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर) अनुमोदित है।
6. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि साखा), जिला-राजनांदगांव की डायन क्रमांक 2768/ख.नि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4,818 हेक्टेयर है।
7. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनि साखा) जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 2768/ख.नि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी डायन पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे एवं अन्य कोई

(Handwritten Signature)

मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

8. भूमि एवं लीज का विवरण — भूमि आवेदनक के नाम पर है। पूर्व में लीज की प्रस्ताव बीकानेर के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 31/07/2020 को श्री लोकपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के नाम पर किया गया है। लीज की अवधि 08 वर्षों अवधि दिनांक 18/12/2007 से 14/12/2013 तक की अवधि हेतु थी थी। लीज का नवीनीकरण 08 वर्षों अवधि दिनांक 18/12/2013 से 14/12/2017 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज की अवधि में 20 वर्षों की, दिनांक 18/12/2017 से 23/12/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. इन विभाग का अनापत्तित प्रमाण पत्र — कार्यलय वनस्पत/वन्यजीव, सामान्य वनस्पत/वन्यजीव, जिला-राजसंरक्षण के द्वारा दिनांक/मा.सि./4230 जिला-राजसंरक्षण, दिनांक 13/08/2007 को जारी अनापत्तित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदनित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
11. महात्मा पूर्ण संरक्षण क्षेत्र की दूरी — निकटतम आवासीय घाट-कलकत्ता 860 मीटर एवं अस्पताल बालेपुर 1.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राजमार्ग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। ललाच 2.2 कि.मी. दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइण्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
13. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार विद्यमान रिजर्व 9,71,250 टन एवं पाईपेबल रिजर्व 3,23,137 टन एवं रिजर्वेबल रिजर्व 1,20,682 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,788 वर्गमीटर है। खनन कार्य सभी मेकेनाइज्ड विधि से करवाया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में क्वारी मिट्टी की गहराई 5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,000 घनमीटर है, इस क्वारी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर पुनःस्थापना के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की गहराई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। उत्खनन की अवधि अनु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक ड्रमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल बलस्टिंग किया जाता है। उत्खनन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रल किया जाता है। उत्खनन प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,500	षष्ठम	12,500
द्वितीय	12,500	सातम	12,500
तृतीय	12,500	अष्टम	12,500
चतुर्थ	12,500	नवम	12,500
पंचम	12,500	दशम	12,500

RLI

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति सू-जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत कोट्टल प्रायमरी स्टाडिनिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 990 वन वृक्षारोपण किया जाएगा। जंगल प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,17,450 रुपये, खाद के लिए राशि 7,140 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,13,200 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,56,740 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 8,88,580 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पर्याप्त रूप से व्यवसाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,788 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 243 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 247.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिण दिशा में 645 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिशोधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्तरदायक है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निषेधनुसार आवश्यक दण्डालयक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 11(1) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षीत जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के जलमय एकांशित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएच, एसडी, एनडी, का साप्ताहिक लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.10	44.77	65
PM ₁₀	47.32	67.15	100

SO ₂	9.03	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

- ii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की शुद्धता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में वर्णित गैरे टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।
- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

- v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीपल हबी वाहनों को सम्बन्धित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (VC ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तात्पर्यतः कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (VC ratio) 0.05 होगी। जिसका के प्रस्ताव की पी-स्टेरियाल / डोडवर्क के परिष्कार हेतु सड़क मार्ग की लीड वीथिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.01 to 0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 18/08/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत भावन कलकटा, ग्राम-कलकटा, तहसील-बीरगंज, जिला-राजमन्सगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया राजपुर अटल नगर, जिला-राजपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान में प्लास्टिक से पत्थर दूर खोली में जाकर मिलते हैं एवं मकानों में पत्थर आ चुका है। इसी प्लास्टिक होने से पत्थर के स्कूल में सूचना देने के लिए मुसीबत आती है एवं नजदीक स्थित ज्वार को बंद किया जाना चाहिए।
- खदान आवधिक गहरा हो चुका है। वर्षों के दिनों में 5-7 जानवर मिर चुके हैं, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। पत्थर की लीड क्षेत्र को घाटी और पेंसिंग किया जाना चाहिए।
- गांव कलकटा से बलदेवपुर जाने वाली सड़क बहुत जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने-जाने में जैतानी का सामना करना पड़ता है।
- प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/संरक्षक का कथन निम्नानुसार है:-

- अनुमति कॉन्ट्रोलर की निगरानी में कंट्रोल प्लास्टिक किया जाएगा।
- खदान के घाटी और कटौले तारी से पेंसिंग किया जाएगा, जिससे गांव को जैतनी खदान के ज्वार नहीं आ पायेगे।

- क. खदान से निकलने वाले वाहनों को कारण जो सड़क में गड़बड़े हो गये हैं, उसकी समय-समय में मरम्मत की जाएगी।
- ख. विभिन्न रोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

21. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवंटित खदान को शामिल करते हुए कलक्टर में कुल 6 खदानें आती हैं। आठ कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
3.7 कि.मी. वर्ग के दोनों तरफ (2.487 गज) पुखारीयन हेतु	पुखारीयन (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,340	4,940	4,940	4,940	4,940
	परिशिष्ट हेतु राशि	34,78,750	-	-	-	-
	खार, सिंचाई एवं रखा- रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		41,20,112	3,46,752	3,46,752	3,46,752	3,46,752

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
300 मीटर वर्ग के दोनों तरफ (200 गज) पुखारीयन हेतु	पुखारीयन (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	परिशिष्ट हेतु राशि	2,98,000	-	-	-	-
	खार, सिंचाई एवं रखा- रखाव हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		5,02,700	1,68,870	1,68,870	1,68,870	1,68,870

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (नया संशोधित) के प्रावधानों एवं मानकीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

[Handwritten Signature]

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहायता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली बीच समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इम्प्लायमेंट केनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संकलक, संकलनालय, भूमिहीन तथा खनिजन, इत्यादी मन्त्र, नया रायपुर अदालत नगर, जिला – रायपुर (अलीराजपुर) के तार से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के माध्यम से वार्षिक उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kaikasa	
			Fixtra Van	10.78
			Total	10.78

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिष्कृत जल" के तटार (आयला, बड़ पीछल, नीम्, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षांशण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 980 मग पीछों के लिए राशि 19,800 रुपये, कोठिन के लिए राशि 67,500 रुपये, खाद के लिए राशि 7,350 रुपये, सिंचाई तथा रज-रजान आदि के लिए राशि 2,41,880 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,36,130 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,89,112 रुपये हेतु घटकवार काम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल संकटात बन्देखन के सहमति उपरोक्त व्यापीय स्थान (खसला समंके 153, क्षेत्रफल 1.22 एकड़) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु किये गये आवेदन के माध्यम प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 10 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के माध्यम प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 30 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख होना पाया गया है। उक्त कार्यों के रिजर्व की गणना में विन्नात परिवर्धित हो रही है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से सम्बंधित गंगाया जाना आवश्यक है।

26. कार्पोरेट कलेक्टर (जानि राख), जिला-राजनांदगांव के दायन दिनांक 29/01/2020 के अनुसार किनात वर्षों में किये गये उत्खनन के विवरण की जानकारी में वर्षवार उत्खनन का इकाई सन्मीटर में है, जबकि पर्यावरणीय

स्वीकृति में लगभग 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्वीकरण संसाधन जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. रिलीफ की योजना में निम्नांकित धर्मों के संबंध में स्वीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. उल्लेखित धर्म करने की दिशि से वर्षवार अद्यतन स्थिति तक चालूधरित समिति की माता समिति विभाग से प्रभावित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में अधि उल्लेखन किया जाना चर्चे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निवमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा समिति एवं पर्यावरण को इति चर्चुधाने हेतु उत्तीरसमद पर्यावरण संरक्षण संकल, नया रामपुर अटल नगर को निवमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपानुसार एल.ई.ए.सी., उत्तीरसमद के ज्ञापन दिनांक 30/06/2022 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइनिंग प्लान दिनांक 06/07/2021 अनुसार कुल पत्थर उल्लेखन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कुल पत्थर उल्लेखन क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि कुल पत्थर उल्लेखन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष हेतु ही विचार किया जाएगा।
2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनि साखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 281/ख.सि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 द्वारा उत्पादन कृषिकर्मी की जानकारी में टन के स्थान पर घनमीटर का उल्लेख हो गया था। कार्यालय कलेक्टर (खनि साखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1340/ख.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्ष में किये गये उल्लेखन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	वार्षिक उल्लेखन (टन)	वर्ष	वार्षिक उल्लेखन (टन)
2007-08	30	2015-16	14,279
2008-09	841	2016-17	14,489
2009-10	288	2017-18	8,324
2010-11	2,768	2018-19	19,895
2011-12	1,387	2019-20	10,599
2012-13	1,435	2020-21	3,200
2013-14	1,720	2021-22	8,230
2014-15	2,020		

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरोक्त भी उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 28/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यवाहियों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उल्लंघन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अतिरिक्त केमिसेप्शन दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अतिरिक्त केमिसेप्शन दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैंडर्ड ऑक प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार—

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - d) Damage Assessment
 - e) Remedial Plan and
 - f) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.
- iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त विन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन द्वारा वन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरोक्त शर्तसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त वन प्रस्तुत किया जाए।
2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करती हुई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की योजना कर जागरूकता प्रस्तुत की जाए।
3. समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत सत्य पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. जमीनमाली आवर्त पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
6. लोकमुनवाई के दौरान उदाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों को करने बाबत सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी जीमा गट्टी में अधिक उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत निम्नानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संसाधक, संसाधनकार, सीमिडी तथा खनिकर्मा को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु जमीनमाली पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निम्नानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
8. बलस्टर हेतु ऑपिन इन्फ्लायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करती हुई जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा ऑपिन इन्फ्लायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान को तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कन्वेंशन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को क्रिए तैयार ऑपिन इन्फ्लायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अस्थाई एवं देहांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
10. बलस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन नतिविविधों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, बलस्टर हेतु ऑपिन इन्फ्लायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये

[Handwritten Signature]

जाने तथा क्षिपान्वित बनाने हेतु संघालक, संघालकलय, भीमिही तथा खनिजन, इटावाकी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के ररर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आररर का रररन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खरण से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण ररर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लररित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आररर के नोटरी से सत्यापित सफर पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लररित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आररर दिनांक 14/09/2022 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425-वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी एवं अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि भूमि यह समस्त विस्तार का प्रकरण नहीं है। अरर परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्राररन प्रतिवेदन सफर प्रस्तुत कर प्रस्तुत किया गया है। इस संकेत में समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्राररन प्रतिवेदन सफर कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संकेत परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि हमारे द्वारा अधीन उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है। उल्लंघन का कार्य खनिज विभाग से अनुमति तथा सीवटी बना करके ही खनन कार्य किया गया है तथा लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना नहीं की गई है। इस संकेत में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की रररता दिनांक 30/08/2020 को सफर होने के पश्चात् भी उल्लंघन का कार्य किया गया है। अरर उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को

सहित काले हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. भविष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्राप्त किये बिना उखनन नहीं करने एवं उखनन क्षमता से अधिक उखनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. ब्लैस्टरिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. प्रतीक्षण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों को निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. क्लेअर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में इंगरित काले हुए जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लेअर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
8. क्लेअर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान हेतु सभी खदानों को अर्बन एवं रीसायल सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, सर्वोच्च, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उखनन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का पालन प्रतिबन्धन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उखनन के लिए Environment Compensation की रशि की वार्षिक गणना करने हेतु जुलाई 2020 से अब तक किए गए उखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से उपानित कराकर प्रस्तुत किया जाए।



3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की योजना बन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग अलग-पलग के सरकारी स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर इंस्टीट्यूट व्यवस्था, टालाब पहरीकरण, वीने योग्य घाटी की व्यवस्था एवं पुनर्वासन किए जाने हेतु विमुक्त कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यकार्य कार्यक्रम) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार पुनर्वासन इसी संनधून में कराते हुए पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर सौंपेयासत सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी/दस्तावेज इस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

ईदक धन्यवाद आपन के साथ संगम हुई।



(अनलकुमार सिंघी)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़



(अ. बी. पी. सिंघारे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION IN EXISTING
DRI KILN (SPONGE IRON) OF CAPACITY (1X50 TPD) - 11,000 TONNES / YEAR
TO 1X125 TONNES / YEAR, NEW DRI KILN (SPONGE IRON) OF CAPACITY
(1X125 TPD) - 41,250 TONNES / YEAR (TOTAL CAPACITY - 57,750 TPA) OF
M/S HANUMANT ALLOYS (INDIA) PVT LTD**

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1987 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of draw of ground water / from the competent authority concerned in case of draw of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 377(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5} in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x in reference to SO₂ and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. In existing Sponge Iron (1X50TPD) pollution control arrangement water scrubber shall be replaced by ESP. The proposed Sponge Iron (1X125TPD) pollution control arrangement ESP shall be installed adequate capacity and high efficiency. Height of the chimney for both stack shall not be less than 70 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm³ at the time. The project proponent shall install lime dosing unit before the stack inlet to control the sulphur dioxide emission. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in vibrating screen, feeding point, coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered through GI sheets. Adequate provision shall be made for spraying of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition at the time and future (if any), shall be immediately rectified without delay, otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measure are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit :-

Particulate Matter	30 mg/Nm ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	--



Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. Project proponent shall install continuous emission monitoring system in the stack and connected with the CPCB/SPCB server.
- vi. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vii. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- viii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.
- ix. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- x. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- xi. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- xii. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron, Ferro Alloys etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system). The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. MBBR based sewage treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Aai Nagar, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run-off.
- v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

- vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
- vii. The project proponent shall use the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Aal Nagar, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light systems for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Ash generated from DRI unit shall be given to brick manufacturer. Doocher generated from DRI unit shall be given to power generation unit. Kilo accretion slag and Wet scrapper sludge shall be used in road/civil construction within the premises and extra slag and sludge will be given to road construction contractor. Tar and Dry sludge shall be given to coal tar recyclers / agencies engaged in construction activities/given to nearby Pefel plant units.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP and shall use the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 34.8% (3.25 Acre) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
- ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health issues

- i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue/ the raised during Public Hearing.

 _____

- ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-85/2017-(A.3) dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall make CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1100	1%	11	Following activities at Village-Hardikala	
			Pavitra Van Yojna	12.85
			Total	12.85

Development of "Pavitra-van Yojna" at gram panchayat in Village-hardikala (Teena), Kharsa no. 215A, area 2.5 Acre as dense and religious plantation. Estimate cost of this plantation is around Rs. 12.85 Lakhs.

- ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake-holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nave Rajpur Atal Nagar, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

- vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

3. Additional Conditions

- i. Project proponent shall ensure that what ever phenolic water be generated shall be immediately incinerated in own gasifier. Project proponent shall ensure the no phenolic water shall be discharged outside the premises under any circumstances. Project proponent shall also follow the guidelines of SOP issued by CPCB in the matter and shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
- ii. Project proponent shall ensure that as per the Wildlife conservation plan mentioning the budget in the 2nd and 3rd year will allocate the similar budget in the 4th and 5th year. Project proponent shall not disturb the forest landscape of the vicinity. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.
- iii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.
- iv. Project proponent shall prepare Wildlife conservation plan and get its approval from concerned Authorities for every 5 years for entire life of the unit. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.
- v. The EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board facing which the EC shall deemed to be cancelled.
- vi. No additional land shall be acquired for the project.
- vii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.
- viii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- ix. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- x. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- xi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely: PM_{10} , SO_2 , NO_2 , (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- xii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- xiii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SOIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- xiv. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- xv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xvi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

- xvii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xviii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xix. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xx. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xxi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xxii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 19 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xxiii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC

वेस्ट कलकत्ता लाईव स्टॉक कारी (प्रो. - श्री परेश कुमार)
 को पार्ट ऑफ क्वॉटा क्रमांक-2014, कुल लीज क्षेत्र 1.214 हेक्टर,
 ग्राम-कलकत्ता, तहसील-खैराबाद, जिला-राजनांदगांव में चूना पत्थर (वीन
 खनिज) उत्खनन - 20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने
 वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.214 हेक्टर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की कौलदा माता सरकार से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (ज्या सेंटिफिक) के प्रावधानों से पट्टा रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को अनुसार क्लस्टरिंग एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक चट्टान खानों के संयोजन का कार्य 8 महीने में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु टीआर ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, मिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्थात् (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परिसीजन प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) को उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरक्षरित नहीं किया जाए, अतः इस प्रक्रिया में अथवा क्लस्टरिंग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्पीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरक्षरित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल अपसर्ग में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संघटन बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) उक्त क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस विधि तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनपरिधि, जीवों आदि के उपयुक्त हेतु उपयुक्त हो। परिसीजन प्रस्तावक द्वारा सख्त प्राधिकारी से अनुमोदित चर्टन क्लस्टर प्लान एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. न्यू-जल के उपयोग हेतु संबंधी न्यू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी किनारी / बंद / पार्श्वट सीमा से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अतः, सीमा, ट्रांसपार प्लांट्स (यदि कोई हों) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च प्रवाह का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। उचित उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पार्टिकुलेट डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। नदुंक मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम संवेक्षण सिस्टम एवं जल सिंक्रास की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संभालन / संभारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परिदोषना प्रभावक द्वारा खदान के चारों तरफ डेसिग का कार्य किये जाने के समयात ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सीइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः संधार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्र (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
14. उत्खनन करने के पूर्व अवैद्यक क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 8,720 घनमीटर है, जिसमें से 1,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 1,620 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहजता प्राप्त भूमि (विकास क्रमिक 525/5, रकबा 1,1315 हेक्टेयर) में भंडारण हेतु सख्त प्रक्रियाओं से विधिवत अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., एनटीएमए को प्रेषित की जाए।
15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विनाश एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःसंधार के लिए किया जाए।
16. औद्योगिक एवं अनुसंधानी/बिड़ी अयोग्य खनिज (रिफ्ट रीक) को पृथक से पूर्व से किरीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि भण्डारित पदार्थ आत-प्रात की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढलान की ढीलाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। औद्योगिक ढलान का ढलान रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से वृक्षारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो औद्योगिक एवं अन्य अनुसंधानी/बिड़ी अयोग्य खनिज (रिफ्ट रीक) को खनन के समयात बने गड्ढों में पुनःसंधार (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया



जाए, ताकि धूमि का कुल उपयोग अच्छा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खाना प्रक्रिया से उत्पन्न क्लिस्ट और ड्रेज को आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रकटित न हो। इसे रोकने हेतु माईन वीट तथा अन्य ड्रेज से रिटैनिंग बॉल / गार्गलिंग ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनिज का परिवहन सड़कें सहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बहने नहीं मिले। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरना जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.45	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Particulars	10.14
			Total	10.14

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही प्रतिवर्ष 08 महीने में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आसक्त उत्तरदायित्व होगा।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आवना, बड़ पीपल, नीम, आम, जर्बुन, बेत आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नए पौधों के लिए राशि 18,000 रुपये, पौंसिंग के लिए राशि 1,68,100 रुपये, खाद के लिए राशि 8,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,72,800 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,66,900 रुपये तथा अगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,53,920 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बन्देपुर के सहमति उपरान्त पंचायीय स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) को संरक्षित प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के वॉलंटियर एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षीय समिति (ग्रैपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जिल्लासमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित वि-क्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोख/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपनी द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जाना जिम्मेवारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (सारी तलक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, औसतवर्धन कम आदि में स्थानीय प्रजाति के 775 पौधों का समय वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्राथमिकता के आधार पर खदान इबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 नव प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बर, पीपल, नीम, करंज, गीबू, आम, इमली, अर्जुन, चीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण (कुल 1,075 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (गर्भा काटेदार छार के बाड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वजह से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्दीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं लीज के नाम का चलेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जलवाही अर्थात्निक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
28. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सॉफ्टवेयर एवं फोटोग्राफ अर्थात्निक रिपोर्ट में समाहित करते हुए फ्लोचार्ट पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं सी.ई.आर.ए.ए., फ्लोचार्ट को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर केनोवैट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमतिता के कार्य करना नहीं गये करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारी को हथरज/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विविधस्वीच जीक एवं आवाजकता अनुसार उनका उपयोग भी कराया जाए।
32. कंट्रोल स्टाफिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए परन्तु की छोटे-छोटे टुकड़ों (साईं पीक) को उठाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सभ्य व्यवस्था किया जाए। सेट डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित डिजिटिंग किया जाए, जिससे हल्ल का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

Handwritten signature

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कलाकृतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
35. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे उल्लिखित का उत्खनन छत्तीसगढ़ नीचे उल्लिखित नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्च एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि बेहिनग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्थायी व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं को रूप में हो सकती है, जिसे परिवोजना पूरी होने के पश्चात् हटाना जा सके।
37. श्रमिकों के लिए खान पान तथा पेयजल विहितसंवीय सुविधा, मोंबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, उल्लिखित की कार्य एवं अग्रिम समिति है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान करने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अतिक्रमण अथवा अंध, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की संप्रदाय से परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दृष्टि से किसी भी शर्तों में संशोधन/निराकरण करने अथवा नई शर्तों जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निष्काशन के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करने का परिवोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिनी सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण कण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण कण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण कण्डल, जिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निरीक्षण की जाएगी। इस हेतु परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर जलपत्र किंग गण दस्तावेजी एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

भारत सरकार, रायपुर / संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली सौमिहिन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धकृत और अन्य अधिनियम (प्रबंध एवं सीमाकार संघलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वृत्त में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाधत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं उपयोग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 14 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।


सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.


-सचिव, एम.ई.ए.सी.